खण्ड-248, अंक-7
शनिवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1886
(28 मार्च, 1964 ई0)

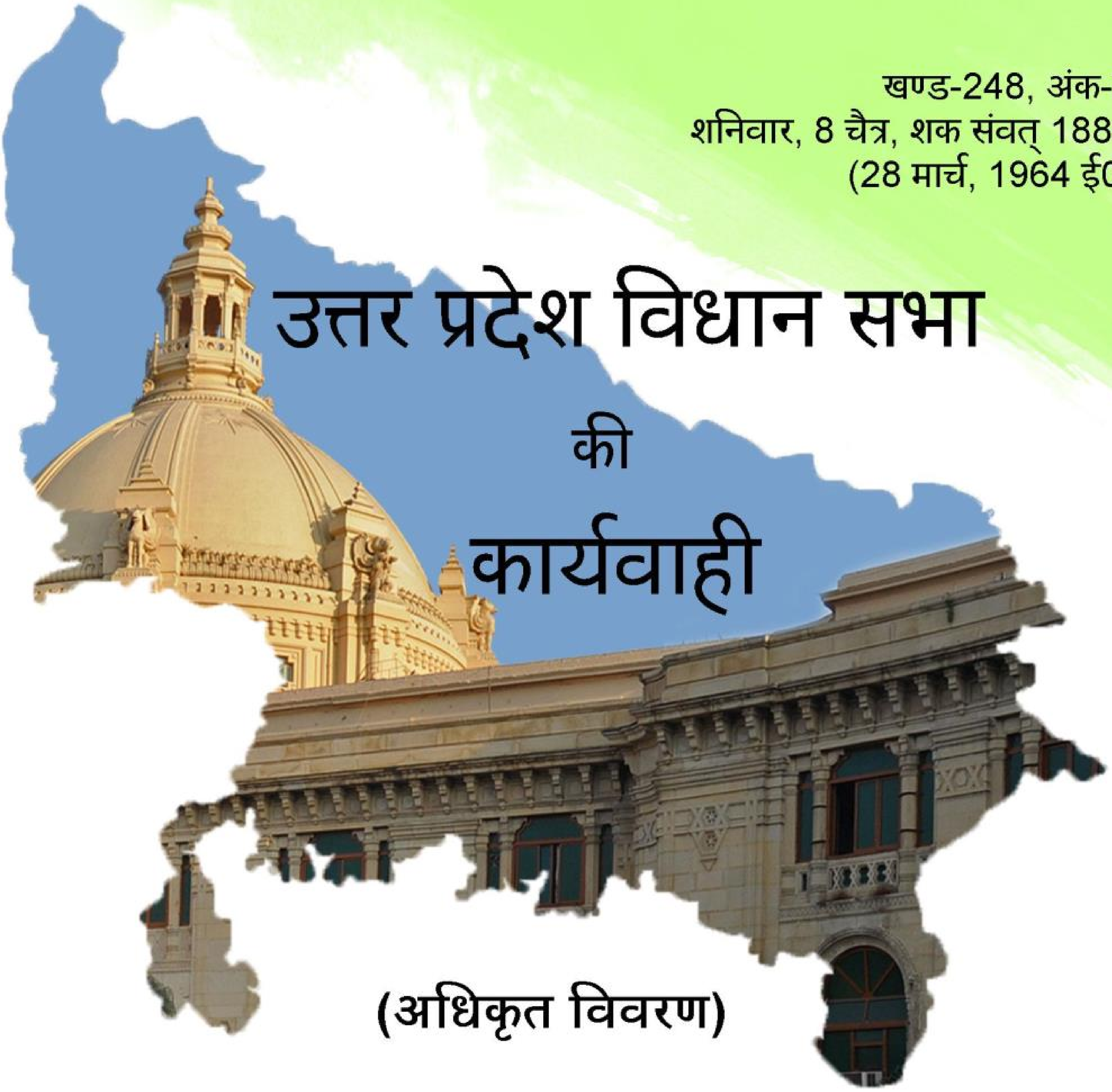

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 248 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४९५–४९९
प्रश्नोत्तर	४९९–५०३
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५०३
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	५०३
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५०३–५०५
विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं	५०५–५१५
प्रदेश में पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के सक्रिय होने के सम्बन्ध में कार्यगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	५१५–५२०
थाना इंचार्ज, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद द्वारा दो गिरफ्तार व्यक्तियों को पीटने के सम्बन्ध में वक्तव्य	५२०–५२१
१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	५२१–५२२
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर (स्वीकृत)	५२२
अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	५२२–५२३
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (स्वीकृत)	५२३
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	५२३
अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशि मूल्य (स्वीकृत)	५२३
अनदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	५२३–५२४
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) .. विधेयक, १९६४ (पुरः स्थापित किया गया)	५२४
जनसंघ के गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई	५२४–५२५
अनुदानों पर विवाद के लिये समय निर्धारण	५२५–५२६
१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन (जारी)	५२६–५४६

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३९—परिवहन (जारी) ..	.. ५४६–५५१
अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवा योजन (स्वीकृत) ..	.. ५५१–५५२
अनुदान संख्या ३९—परिवहन (स्वीकृत) ..	.. ५५२–५७०
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित)	.. ५७०–५८५
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारोपरान्त पारित) ..	.. ५८५–६०३
सरकार द्वारा जनवरी, १९६४ में खरीदे गये १० रेलवे वैगन चावल खराब निकलने से सम्बद्ध विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा (स्थगित) ..	६०३
लोक लेखा समिति, प्राक्कल समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	६०३
पार्लियामेंटरी ग्रूप द्वारा आयोजित कलचरल प्रोग्राम	६०३

विधान सभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदश विधान सभा की २८ मार्च, १९६४ की कार्यवाही (खंड २४८—अंक ७) के पृष्ठ ५५२, ५९५ तथा ५९६ पर मुद्रित "श्री कृष्णा नन्द राय (जिला आजमगढ़)" के स्थान पर "श्री कृष्णा नन्द राय (जिला गाजीपुर)" पढ़िये।

आज्ञा से,
देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २८ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४३

अक्षयबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेधनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम कुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसाहय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री

हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, २८ मार्च, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दुर्गागंज डकैती में हत इन्स्पेक्टर श्री बख्शीश हुसैन के आश्रितों को सहायता

**१--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २५ जनवरी, को उन्नाव जिलान्तर्गत थाना बारा सगवर के हल्के में दुर्गागन्ज गांव में डकैतों के साथ संघर्ष में मारे गये बारा थाना के सब-इंस्पेक्टर श्री बख्शीश हुसैन जैदी के आश्रितों के भरण पोषण की क्या व्यवस्था की गयी है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

स्वर्गीय सब-इंस्पेक्टर श्री बख्शीश हुसैन के आश्रितों को पुलिस बेनिफिट फंड से १,५०० रु० दे दिया गया है । इनके आश्रितों को असाधारण पेंशन, पारिवारिक पेंशन दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या सरकार बख्शीश हुसैन जैदी के बलिदान को देखते हुये बेनिफिट फंड की रकम को बढ़ाने की कृपा करेगी ?

(गृह मंत्री) श्री हरगोविन्दसिंह--

इस पर विचार हो रहा है । बेनिफिट फ़ंड तो उनको दे दिया जायेगा । लेकिन जो नये रूल्स बने हैं वे अप्लाई किये जायेंगे जिसमें रिटायरमेंट के वक्त तक पूरी तनख्वाह उनकी स्त्री को दी जायगी और जब तक वह जिन्दा रहेंगी तब तक जो पेंशन उनको मिलती वह उसे मिलेगी ।

श्री देवदत्त मिश्र--

क्या संघर्ष में भाग लेने वाले अन्य सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल, खासतौर से सब-इंस्पेक्टर रामप्रसाद जिसकी गोली से बच्चू मारा गया पुरस्कृत करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है कि किस की गोली से वह मारा गया लेकिन कायदे के अनुसार जिसको पुरस्कृत करना होगा किया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पेंशन देने की व्यवस्था है, इस पर ध्यान रखते हुये कि उनके परिवार की जीविका का प्रश्न है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगी, करेगी, ताकि रूल्स इसमें बाधक न हो सकें ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

रूल्स केबिनेट से पास हो गये हैं। ए० जी० के यहां से जैसे ही आयेगा उनको दे दिया जायगा। इसलिये स्पेशल बेनिफिट फंड से उनको दे दिया गया है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार बतायेगी कि श्री बख्शी हुसेन जैदी के परिवार में कितने आश्रित थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह तो निश्चित रूप से नहीं बता सकता लेकिन उनकी स्त्री है और ५-६ बच्चे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके आश्रितों को जो १,५०० रुपया मंजूर किया है, उनको दे दिया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी हां, दे दिया गया है।

श्री देवदत्त मिश्र---

श्रीमन्, इस संघर्ष में पुलिस की सहायता में नागरिकों ने अपनी-अपनी बन्दूक ले कर काम किया तो क्या उनको वीरता के प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि इस एनकाउन्टर की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं बता नहीं सकता कि कौन वहां गया था किसका वहां क्या पार्ट था। इसलिये इस समय इसकी निस्बत में कुछ नहीं बता सकता।

जौनसार बावर में अफीम की खेती बन्द होना

**२---श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनसार-बावर, तहसील चकरौता, जिला देहरादून में सरकार ने अफीम की खेती कब से बन्द कर दी है और क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रति हमारे वचनबद्ध होने के कारण जौनसार-बावर, तहसील चकरौता-जिला देहरादून में अफीम की खेती को जारी रखने के लिये भारत सरकार राजी नहीं हुई। अस्तु १ अक्तूबर, १९६२ से उपरोक्त क्षेत्र में अफीम की खेती बन्द कर दी गई।

श्री गुलाबसिंह---

श्रीमन्, अन्तर्राष्ट्रों के प्रति वचनबद्ध होने के कारण केवल जौनसार-बावर में अफीम की खेती बन्द कर दी है या पूरे प्रदेश में ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अफीम की खेती के लिये सेंट्रल अथारिटी लाइसेंस देती है और उसने ही कुछ जिलों में एलाऊ कर रखा है और यहां (जौनसार-बावर) में बन्द कर दिया है।

श्री गुलाबसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनसार-बावर में अफीम की खेती बन्द करने के परिणामस्वरूप रिहैबिलिटेशन के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस बात की कोशिश कर रहा है कि वहां हार्टिकल्चर की स्कीम जारी की जाय जिस में वह लोग लग सकें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अफीम की खेती अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार बन्द की गयी है इस से प्रदेश के किन-किन जिलों पर या कितने जिलों पर असर पड़ा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैंने अर्ज किया कि जौनसार-बावर में बन्द कर दी गई और जिलों में अब भी जारी है।

श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि अब भी कुछ मैदानी जिलों में अफीम की खेती होती है और सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाले जिले देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया इनको क्यों उससे वंचित कर दिया गया है जब कि यहां बाराबंकी, फैजाबाद, लखनऊ में अफीम की खेती करने की इजाजत सरकार ने दी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इसकी इजाजत भारत सरकार देती है। अपनी प्रदेशीय सरकार से ताल्लुक नहीं है वह जहां मुनासिब समझते हैं इजाजत देती है।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रस्ताव किया है उसमें इस सरकार ने कौनसा वादा सम्मेलन के सामने किया था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वह ऐक्चुअल प्रस्ताव तो मेरे पास नहीं है लेकिन वहां पर वादा था उसके कारण जौनसार-बावर में अफीम की खेती बन्द है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अफीम की खेती उसने इसलिये बन्द कर दिया है कि चाइना ने अफीमखाना बन्द कर दिया है और इसलिये एक्सपोर्ट नहीं हो रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया)।

श्री उग्रसेन--

मुझे यह जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जौनसार-बावर का जिक्र नहीं आया था यह बिलकुल गलत सूचना है।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मैंने यह अर्ज किया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो हमने वचन दिया था उसकी वजह से भारत सरकार ने बन्द कर दिया ।

श्री उग्रसेन---

जौनसार-बाबर के लिये हुआ था या देश भर के लिये ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

यूनाइटेड नेशंस के अन्दर कई कमेटियां हैं जिसके हम भी मेम्बर हैं । उसमें हम कनवेंशंस साइन करते हैं । जब कनवेंशन साइन कर लेते हैं तो बन्दिश होती है कि धीरे-धीरे वह पालिसी अपना लें । डिटेल मुझे इस सवाल का नहीं मालूम है लेकिन पालिसी बतला रही हूं । कनवेंशन साइन कर लेते हैं तो फिर बन्दिश हो जाती है कि अहिस्ता अहिस्ता इसको देश में लाएं । सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है पालिसी को । उसी के मातहत धीरे-धीरे उस पर अमल करवा रहे हैं ।

श्री गुलाबसिंह---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि १९५८ में भी यह प्रतिबन्ध जौनसार बाबर पर लगाया गया था, तो किन कारणों से यह प्रतिबन्ध उस टाइम पर हटाया गया और क्या वह कारण आज भी मौजूद हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

१९५८ में भारत सरकार के अफसर यहां आये और मीटिंग हुई । उस वक्त जौनसार-बाबर में अफीम की खेती बेकायदा कर रहे थे । तो भारत सरकार ने कहा कि उन पर कार्यवाही की जाय । हमारी सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि एकदम से कार्यवाही करने में बहुत परेशानी में डाल देना होगा इसलिये १९५८ में मीटिंग हुई उसमें तय हुआ कि धीरे-धीरे वहां अफीम की खेती बन्द की जाय, अगले चार वर्षों में २५ फीसदी खेती हर साल खत्म कर दें । उसके फलस्वरूप १९६२ से वहां अफीम की खेती बन्द हो गई ।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या यह सही है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच में यह बात तय हुई, किसी खास जिले का सवाल नहीं था, कि अफीम का प्रोडक्शन खत्म कर दिया जाय उस आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को यह लिखा कि फलां फलां जिलों में अफीम की खेती खत्म की जा रही है और उसमें जौनसार-बाबर का नम्बर आया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मैं तो यह कह चुका कि इसका लाइसेंस भारत सरकार देती है । उत्तर प्रदेश सरकार की कोई जिम्मेदारी उसमें नहीं है । जिस जिस जिले में उन्होंने इजाजत दी है वहां उसकी खेती हो रही है ।

श्री गुलाबसिंह---

माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को सूचना मानकर जांच करायेंगे कि नीचे के मैदानी इलाके में करीब ४५ हजार एकड़ में इसका कल्टीवेशन होता है और जौनसार-बाबर में केवल १०० एकड़ में यह कल्टीवेशन होता है । तो केवल शासकीय सुविधा के लिए वहां यह अफीम की खेती उन्होंने बन्द की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह सही नहीं है कि मैदानी इलाके में ४५ हजार एकड़ अफीम की खेती होती है और न यह सही है कि जौनसार-बाबर में १०० एकड़ में होती है ।

अब यह जौनसार-बावर में क्यों इजाजत नहीं दी है भारत सरकार ने इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमने तो बार-बार भारत सरकार को लिखा और हमेशा हमदर्दी के साथ जौनसार-बावर का केस वहां पर रेप्रेजेन्ट किया लेकिन भारत सरकार ने इजाजत नहीं दी तो हम कुछ नहीं कह सकते।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ५६६/१-क—३८३-डी०-६१, दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमवली, १९६१ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८३४/१-क—५३१-डी-६३, दिनांक २४ फरवरी, १९६४ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन*

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। इस प्रतिवेदन में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियमों के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अधीन बने नियम और अनुच्छेद ३२० (३) के परन्तुक के अन्तर्गत बने विनियमों के संबंध में भी सिफारिशें की गयी हैं। समिति ने अपने पूर्व प्रतिवेदनों में जो सामान्य सिफारिशें की थीं उनके कार्यान्वयन पर भी समिति ने विचार किया और इस प्रतिवेदन में, नियम विनियम आदि के संहतीकरण और अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित विधान बनाने की शक्ति देने पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। समिति ने यह देखा कि कई कई वर्ष पुराने अधिनियमों के अधीन प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का अभी तक शासन द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे कुछ अधिनियम निम्नलिखित हैं:—

(१) उत्तर प्रदेश कांस उत्पादन अधिनियम, १९५१;

(२) यू० पी० फेमीन रिलीफ फण्ड ऐक्ट, १९३६;

---

*छापे नहीं गये।

[श्री बृजभूषणशरण]

(३) यू० पी० रोड साइड कन्ट्रोल ऐक्ट, १९४५;

(४) यू० पी० (टेम्पोरेरी) ऐकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७;

(५) यू० पी० वेटेरिनरी कौंसिल ऐक्ट, १९४७;

(६) इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट ऐक्ट, १९४६;

(७) यू० पी० मुस्लिम वक्फ़ ऐक्ट, १९६०।

समिति का विचार है कि नियम न बनाये जाने से सरकारी अधिकारियों में स्वेच्छाचारिता को प्रोत्साहन मिलता है और विधि के शासन पर आघात पहुंचता है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त कुछ अधिनियमों में नियमों द्वारा फीस के आरोपण का अधिकार दिया गया है। नियम के अभाव में सरकारी राजस्व की हानि हो रही होगी।

समिति ने देखा कि कुछ नियमों द्वारा सरकार ने फीस आरोपित की है किन्तु मूल अधिनियम द्वारा उसे यह शक्ति प्रतिनिहित नहीं की गयी है। समिति ने सिफारिश की है कि अधिनियम में स्पष्टतया फीस आरोपण का अधिकार संबंधित धारा में तथा नियम बनाने की शक्ति प्रतिनिहित करने वाली धारा में किये बिना फीस का आरोपण नियमानुसार नहीं है।

कुछ नियमों में समिति ने यह देखा कि शासन के प्रतिनिहित विधान की शक्ति का अतिक्रमण किया है। सेवा नियमों में यह प्रवृत्ति विशेषतया दृष्टिगत हुई। नगरमहापालिका सेवा नियमावली में कुछ सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित कर दिया गया है और ऐसी सेवाओं पर ऐसे निर्बन्धन लगा दिये गये हैं जिसके बारे में समिति को संदेह है कि अधिनियम द्वारा भी वे निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं अथवा नहीं। उक्त नियमावली उक्त नियम के उपनियम (१) और (२) के उपबन्धों की अवहेलना करने में मदद करने वाले व्यक्तियों (Abetters) को नियम १२९ (३) में ५०० रु० के अर्थ दंड का प्राविधान कर दिया गया है जब कि ऐसे व्यक्तियों को दंड देने की शक्ति मूल अधिनियम में प्रदान नहीं की गयी है।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और भरती को विनियमित करने वाली विधि बनाने की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अन्तर्गत नियम बना कर या अनुच्छेद ३१३ के अन्तर्गत प्रवृत्त रखे गये नियमों से काम चलाया जा रहा है। समिति ने इस संबंध में यह सिफारिशें की हैं कि अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक के अन्तर्गत बनाये गये नियम और ३१३ के अधीन प्रवृत्त रखे गये नियमों में संशोधन करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदान नहीं की गयी है और वे केवल शून्य की स्थिति को बचाने के लिये केवल अंतरिम अवधि के लिये हैं। सेवा की शर्तों और भर्ती को विनियमित करने का अन्तिम अधिकार समुचित विधान मंडल को ही है।

सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के नियम ५-क तथा ५-ख के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर निर्बन्धन लगाये गये हैं जो वैध नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों (सेवा संस्थाओं की मान्यता) संबंधी नियमावली, १९५९ नियम ५-ख के अवैध होने के कारण कोई बन्धनकारी प्रभाव नहीं रखती।

सरकारी कर्मचारियों को किसी सीमा तक मादक पदार्थों के सेवन की छूट देना संविधान के अनुच्छेद ४७ में अन्तर्निहित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के विपरीत हैं।

समिति की योजना थी कि वह अपने पूर्व प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अपना प्रतिवेदन देती और अब तक जितने नियम एवं विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखे जा चुके हैं और जो नियम संविधान के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत बनाये या जारी रखे गये हैं उन पर विचार करके अपना प्रतिवेदन देती। किन्तु उचित और पर्याप्त कर्मचारिवर्ग के अभाव में समिति अपनी इस आकांक्षा को पूरा न कर सकी।

मैं विधान सभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूं जिनके कठिन परिश्रम और सहयोग से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना सम्भव हुआ।

मैं समिति के सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपनी मूल्यवान सम्मतियों से समिति को लाभावन्ति किया और जिसका समवेत रूप ही यह प्रतिवेदन है।

मैं उन सरकारी अधिकारियों और विशेष रूप से मुख्य सचिव एवं विधि परामर्शी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित होकर संवैधानिक एवं विधिक समस्याओं के समाधान में सहायता पहुंचाई। यह दूसरी बात कि समिति विधि परामर्शी की राय से पूर्णतया सहमत न हो सकी।

विधान सभा द्वारा पारित विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर अन्तरिम आदेश द्वारा रोक लगाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों आदि के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कुछ विशेषाधिकार की सूचनायें आई हैं जिनको मैं पढ़कर सुना देता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं विशेषाधिकार की सूचनायें दे दूं तब आप कहियेगा। मैं इनको विशेषाधिकार समिति में भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जो आदेश आपने कमिश्नर को दिया उसका पालन कमिश्नर महोदय ने नहीं किया है। २१ तारीख के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने जो बयान दिया, मैं उस दिन यहां नहीं था। अखबार में पढ़ा था। उस प्रस्ताव के अनुकूल आपके आदेश का पालन नहीं किया गया। उसके बाद २५ तारीख का प्रस्ताव पास हुआ और उसके अनुसार भी आदेश का पालन नहीं हुआ। २१ तारीख के प्रस्ताव के विरोध में बहुत लोग थे और १२९ आदमियों ने उसका समर्थन किया था कि निश्चित अवमान हुआ है और फिर अब आप इस प्रश्न को प्रिविलेज कमेटी में भेज रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय यह विधान सभा, यह सरकार और इस सभा के अध्यक्ष विधिवत् हैं इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न समाप्त हो जाय तो मैं देखूं।

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इन विशेषाधिकार के प्रस्तावों को पढ़ देना चाहता हूं। पहले में यह है "श्रीमन्, आपकी आज्ञा से सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल इलाहाबाद के २३ न्यायाधीशों ने इस सदन का और सदन के विशेषाधिकार समिति का अवमान किया है। अतः यह आदरणीय सदन उक्त न्यायाधीशों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे"।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने अब कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है इस वास्ते कि मैं इसको विशेषाधिकार समिति में भेजता हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह सारी चीजें न्यायालय के सामने विचाराधीन हैं । आप एक गुत्थी के बाद दूसरी गुत्थी पैदा करते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप कई बार कह चुके हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं नये सिरे से आपका ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं । विधान सभा और न्यायाधीशों की जो गुत्थमगुत्था चल रही है और यह उलझाव जो बढ़ता जा रहा है उसे मैं ठीक नहीं समझता । इसलिये इसे बचाने के लिये मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में न भेजा जाय । यह सारा मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । विशेषाधिकार समिति को भी रिस्ट्रेन किया गया है उच्च न्यायालय द्वारा ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात सुन ली । आपका कहना यह है कि चूंकि यह समस्त विषय न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये विशेषाधिकार समिति को न भेजा जाय । मैं इसका कारण बतला दूंगा ।

श्री उग्रसेन—

धारा १४३ जो संविधान की है उसके अन्तर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिये यह सारा मामला भेजा है और उन्होंने इसके ५ प्वाइंट्स बनाये हैं । तो क्या यह विषय उनके परे है ? यदि उसके अन्तर्गत है तो क्या यह विशेषाधिकार समिति को जा सकता है जबकि राष्ट्रपति ने इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट को भेजा है ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

जैसा माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि यह सारा मामला सर्वोच्च न्यायालय में भेज दिया गया है, तो राष्ट्रपति महोदय के वहां भेजने के बाद भी जब कल २३ जजों ने एक स्टे आर्डर ईश्यू किया तो उग्रसेन जी की दलील को अगर मान भी लिया जाय, जो कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, तो भी हाईकोर्ट ने यह काम करके राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है ।

श्री उग्रसेन—

वह समझते नहीं हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस आदरणीय विधान सभा के लिये यह शोभा नहीं देता कि न्यायालय से वह किसी प्रकार का झगड़ा चलावे ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने सुन लिया ।

श्री नवलकिशोर—

मेरी बात तो पूरी होने दीजिये । दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की बात भी अगर मान ली जाय, जिसको मैं नहीं मानता, तो यह एक बुनियादी सवाल है कि हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन हमारे यहां नहीं है इंटरफियर करने का, और इसी पर तमाम चीजें हुई हैं ।

मैं समझता हूं कि जो चीजें हुई हैं उनको जुडीशियरी ज्यादा गम्भीर बनाती चली जा रही है। इसलिये जो प्रस्ताव आया है उसे प्रिविलेज कमेटी को जाना ही चाहिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री उग्रसेन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। २१ के प्रस्ताव को जब २५ के प्रस्ताव द्वारा, जो जबरदस्ती डंडे के बल पर पास कराया गया, संशोधित किया गया, तो क्या वसा करा कर माननीय नवलकिशोर जी और माननीय बी० बी० शरण जी ने सदन का और आप का भी अवमान नहीं किया? और यह मूल सवाल है।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

मुझे जवाब देने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न में जवाब देने का सवाल नहीं उठता।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मेरी बात आप सुन लें। मैं यह कह रहा था कि ....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बता दूं कि जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का संबंध है, इस संबंध में नियम यह है कि अध्यक्ष उस पर अपनी व्यवस्था देगा। अगर वह जरूरी समझे तो सदस्यों को सुन सकता है। अब मैं इस समय जरूरी नहीं समझता कि आपको सुनूं। इसलिये आप काम चलने दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। आपने कहा कि आप सुनें या न सुनें आप निर्णय दे सकते हैं। तो आप बिना सुने ही किस यंत्र से जान जायेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी सदस्य ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया हो तो उसके पक्ष में या विपक्ष में मुझे आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आपत्ति उठायी गयी है उस पर मैं अपना निर्णय बिना आपको सुने हुए दे सकता हूं। जो माननीय सदस्य वह प्रश्न प्रस्तुत करेंगे वह अपनी बात कह सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

लेकिन कम से कम जिनका ओरिजिनल रेजोल्यूशन हो उनको तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उचित नहीं समझता, जरूरत नहीं समझता।

श्री उग्रसेन—

२१ के और २५ के एक बी० बी० ने दूसरे बी० बी० का अवमान किया, इस पर आप व्यवस्था दें।

सचिव, विधान सभा—

यह श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर की ओर से प्रस्तुत किया गया है—

आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के अवमान के प्रश्न को उठाना चाहता हूं—

[सचिव, विधान सभा]

"सर्वश्री हैदर हुसैन, बैरिस्टर, एच० एन० मिश्रा तथा बी० के० धवन, एडवोकेट, ने तारीख २३ मार्च को इस आदरणीय सदन का अवमान किया है; अतः उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावें।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अमीनुद्दौला पार्क में तो, श्रीमन्, ५,००० की सभा के लोगों ने इस सदन का अवमान किया है।

सचिव, विधान सभा—

यह श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री कमला सिंह यादव ने उठाया है—

"इस सदन ने गत २१ मार्च, १९६४, को अपने अवमान के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करके अवमान करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध उन्हें सदन में उपस्थित करने के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया। सदन ने यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद १९४ के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, श्री एम० सी० देसाई, और उनके द्वारा निर्मित बेंच के २७ अन्य न्यायाधीशों ने एक रिट पेटीशन पर अन्तरिम आदेश देते हुए सदन द्वारा जारी किये गये वारंटों को कार्यान्वित करने पर रोक लगा दिया है। उक्त बेंच का यह निर्णय उसके क्षेत्राधिकार की सीमा के बाहर है। इस निषेधात्मक आज्ञा द्वारा उन्होंने सदन के इस कार्य-संचालन में हस्तक्षेप किया है और सदन का अवमान किया है।

अतः सदन को इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करने की स्वीकृति प्रदान की जाय ताकि सदन तत्काल उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सके।"

यह प्रश्न श्री रामकिशोर त्रिपाठी की ओर से उठाया गया है—

"मैं सदन के अवमान का एक प्रश्न माननीय मुख्य न्यायाधीश, श्री एम० सी० देसाई, तथा कम्पेनियन जजेज इलाहाबाद उच्चन्यायालय के न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्ला बेग, श्री डी० सहगल, श्री बी०सालोमन, वकील, लखनऊ हाल मुकदमा हाई कोर्ट, लखनऊ, के विरुद्ध उठाना चाहता हूं। आशा है ऐसी आज्ञा अध्यक्ष महोदय प्रदान करने की कृपा करेंगे।

सदन, समिति तथा सदस्यों के वही अधिकार हैं जो हाउस आफ कामंस के हैं। अनुच्छेद १९४(३) भारतीय संविधान।

कल दिनांक २३-३-६४ के फैसले के विरुद्ध जिसमें कि सदन में अपने अवमान हेतु श्री बी० सालोमन, न्यायमूर्ति श्री सहगल, न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग तथा केशव सिंह के विरुद्ध जो निश्चय २१-३-६४ को लिया था उसके विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश श्री देसाई की अध्यक्षता में जजों की एक बेंच ने इस सदन के निर्णय को न कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निषेधाज्ञा अध्यक्ष, विधान सभा, आदि के विरुद्ध जारी किया है।

यह निषेधाज्ञा न्यायमूर्ति सर्वश्री नसीरुल्ला बेग, डी० सहगल तथा बी० सालोमन वकील के प्रार्थना-पत्र पर जो उपरोक्त बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया था इसमें माननीय सदन का अवमान हुआ है तथा यह कार्य जान-बूझकर विधान सभा को स्वच्छन्दता और निर्भीकतापूर्वक कार्य करने हेतु बाधा डालने की प्रवृत्ति रखती है।

अतः इस अवमान के प्रश्न पर सदन तत्काल विचार कर कार्यवाही करे।"

यह माननीय श्री नरसिंह नारायण पांडेय तथा माननीय श्रीपति मिश्र का है—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन के अवमान का एक प्रश्न माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एम० सी० देसाई तथा २८ जजों की बेंच और प्रार्थी श्री नसीरुल्लाह बेग तथा जी० डी० सहगल, वकील श्री जगदीश स्वरूप के विरुद्ध जिन्होंने कल दिनांक २३ मार्च सन् १९६४ को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक २१ मार्च, १९६४ को कार्यान्वित होने से रोकने के सम्बन्ध में उपरोक्त बेंच के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिया तथा उपरोक्त बेंच ने अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर श्री मदन मोहन

वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश सरकार तथा मार्शल के ऊपर जारी किया कि आप सदन के प्रस्ताव को अमल में न लायें, के विरुद्ध उठाना चाहता हूं। आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे।

सदन, समिति तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार वे ही हैं जो हाउस आफ कामन्स के समिति सदन तथा सदस्यों के हैं। अनुच्छेद १९४ (३) भारतीय संविधान।

मुख्य न्यायाधीश श्री यम० सी० देसाई ने २८ जजों के पूरे बेंच के साथ कल दिनांक २३ मार्च, १९६४ को न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्ला बेग तथा न्यायमूर्ति श्री जी० डी० सहगल के प्रार्थना-पत्रों पर जिसको वकील श्री जगदीश स्वरूप ने पेश किया अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी कर विधान सभा द्वारा पारित दिनांक २९ मार्च, १९६४ को कार्यान्वित करने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है तथा माननीय न्यायाधीशों का इस प्रकार का कार्य विधान में दिये गये सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तथा सदन के कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक न चलने देने की प्रवृत्ति रखता है जिससे सदन तथा उसके सदस्यगण विधान में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते तथा न तो सदन द्वारा पारित प्रस्तावों को ही कार्यान्वित विशेषाधिकार के सम्बन्ध में करा सकते हैं। अतः निवेदन है कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुये सदन तत्काल उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करे।"

एक माननीय दीपनारायण सिंह जी का है, जो इस प्रकार है—

"कल शाम को लखनऊ रेडियो ने, आज नेशनल हेराल्ड आदि समाचार-पत्रों ने यह खबर प्रकाशित की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के उस निर्णय के कार्यान्वयन को, जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज श्री नसीरुल्ला बेग व श्री जी० डी० सहगल व एडवोकेट श्री बी० सोलोमन को सदन के समक्ष सदन के अवमान के आरोप का उत्तर देने के लिये हिरासत में बुलाने का आदेश हुआ था, स्थगित करके हमारे माननीय अध्यक्ष व मार्शल आदि को उक्त सदन के निर्णय को कार्यान्वित करने से रोकने का अन्तरिम आदेश राज्य के उक्त इलाहाबाद के २८ जजों की फुल बेंच ने श्री जगदीश स्वरूप की दरख्वास्त पर निकाल दिया। इसके साथ ही यह भी प्रकाशित हुआ कि अवध बार एसोसियेशन न संविधान के अनुच्छेद २१५ के अन्तर्गत आपके अर्थात् हमारे अध्यक्ष, मार्शल व २ अन्य विधायकों को उक्त सदन में उस प्रस्ताव पर बोलने के कारण हाई कोर्ट के अवमान की पिटीशन भी दी है।

अतः उक्त राज्य के हाई कोर्ट के उक्त २८ जजों व श्री जगदीश स्वरूप जी व उक्त अवध बार एसोसियेशन के उक्त पिटीशन दायर करके इस सदन व सदन के सम्मानित सदस्यों को धमकाने वाले वकील, एडवोकेटों आदि के विरुद्ध भी इस सदन व सदन के सदस्यों के संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) में प्रदत्त अपने विशेशाधिकारों के प्रयोग करने में रोकने व सदन के अवमान करने के अपराध में तलब किया जाय व उचित प्रकार दंडित किया जाय व सदन की गरिमा की रक्षा की जाय।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिन विशेषाधिकार के प्रश्नों को मित्तल साहब ने पढ़ कर सुनाया है, यह विशेषाधिकार के प्रश्न हैं ही नहीं। जो भी प्रश्न पेश हुये हैं अगर यह प्रश्न विधान सभा के प्रोसीजर से सम्बन्धित होते तब विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न हो सकते थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

नियम ३०० के अन्तर्गत (व्यवधान) मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस तरह से सवाल पेश किये गये हैं, ये विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं हैं। जो प्रस्ताव यहां २५ तारीख को पास हुआ वह २१ तारीख के प्रस्ताव के विरुद्ध जाता है और उसके द्वारा सदन का अवमान हुआ है। यह केवल प्रोसीडिंग्स का सवाल नहीं है। २५ तारीख के प्रस्ताव से माननीय जस्टिस बेग और माननीय जस्टिस सहगल प्रभावित हुये हैं। हमारे सदन का कोई भी प्रस्ताव जो बाहरी लोगों को प्रभावित करता है, उसके बारे में वे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इसमें विशेषाधिकार का कोई सवाल नहीं है।

कल अमीनाबाद में ५,००० आदमियों ने....

श्री अध्यक्ष—

यह बहस नहीं होगी। आप बैठ जायं।

एक बहुत मोटी-सी बात हमें समझ लेनी चाहिये कि प्रश्न तो यह है कि हाईकोर्ट ने हमारा अवमान किया है या नहीं। इस प्रश्न में हाई कोर्ट और हम पार्टीज हैं। अगर आप कहते हैं कि जो हमारा मुद्दाअलह है वही फैसला करे, तो यह तो बड़ी एबसर्ड सी बात है। हम विशेषाधिकार समिति को भेज रहे हैं, इसलिये कि वह हमारे सामने सब बातों को जांच करके रखे और हम उस पर शान्तिपूर्वक विचार करें।

दूसरी बात यह है कि माननीय उग्रसेन ने अनुच्छेद १४३ का जिक्र किया। वह प्रश्न सुप्रीम-कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बहस होगी, जो फैसला होगा, उसका हम आदर करेंगे। उसका हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जैसी कि इस समय स्थिति है, मैं स्वयं चाहूं तो भी अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं देखता हूं कि हाई कोर्ट स्वयं रोज-रोज हमारे ऊपर एक आक्रमण की भावनायें रखता-सा प्रतीत होता है। तो....

श्री उग्रसेन—

आप भी तो रोज-रोज प्रस्ताव लिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

हमारा प्रत्येक प्रस्ताव हाई कोर्ट से किसी न किसी कार्य के बाद होता रहा है। अब यह सारा मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द है। वे इन पर विचार करेंगे। आप उसके सामने अपने विचार रख सकते हैं, वह आपकी ही तो समिति है। वह चाहेंगे तो अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत रोक देंगे, या जैसे वे चाहेंगे करेंगे। हमने उन्हें अधिकार दिया है। वहीं जाकर कुछ बात हो सकती है।

वकीलों के सम्बन्ध में एक प्रश्न है। उस पर हम बात कर लें, तब मैं अपना निर्णय दूंगा।]

श्री राजनारायण मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैंने निवेदन किया था कि श्रीराम एडवोकेट साहेब के....

श्री अध्यक्ष—

मैं, आप और माननीय नेकराम जी शर्मा बात कर लें, तब तय कर लेंगे।

श्री उग्रसेन—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ कि यह सदन, यह सरकार और आप क्या विधिवत् इस समय गठित हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं कह चुका हूं कि मेरा निश्चित मत है कि यह सदन विधिवत् गठित है और जो कार्यवाही इसने अभी तक की है वह अपने नियमों के अनुरूप की है।

अब मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं--ध्यान से उतर जाय तो बात रह जायगी--कि संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत जो कार्यवाही हुई है उसमें जाकर हम अपनी तरफ से पैरवी करेंगे, यह अनिवार्य है। उसके लिये दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपनी विशेषाधिकार समिति को अधिकार दे दें कि वह इस बारे में सारे काम करे, या फिर माननीय नेतागण बैठकर निश्चय कर लें कि क्या हम कोई छोटी-सी समिति बनावेंगे कि जो इस विषय पर विचार करके अपने वकील को अच्छी तरह से तैयार कर सके। यह बात, माननीय नेकराम जी, हम दोपहर के बाद ले लेंगे। इस बीच में आप विचार कर लीजिये कि हमें पैरवी करनी है और वह किस तरह से होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि एक प्रश्न तो आपने साफ कर दिया। दूसरी बात यह है कि २१ तारीख को जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन ने पास किया उसके ३ हिस्से हैं, जहां तक मैं समझता हूं। एक हाई कोर्ट, दूसरा वकीलों से सम्बन्धित और तीसरा आप जानते ही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष--

जिसको आपने नहीं कहा, वह कार्यवाही जारी है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

एक में तो आपने कह दिया कि समिति बनानी चाहिये। दूसरा है वकीलों का सवाल, जिस पर अदालत में रिट दाखिल हो गया है। तो क्या यह भी सवाल इस समिति को जायगा जिसकी तरफ आपका इंडीकेशन है?

श्री अध्यक्ष--

अनुच्छेद १४३ का ही मैंने जिक्र किया है, और कोई नहीं किया है। विशेषाधिकार समिति को सब मामले सुपुर्द हैं, उसे देखने दीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

जिस भावना से प्रेरित होकर १४३ का मैंने प्रस्ताव दिया था और भाग्य से वह स्वीकार भी हो गया, उसमें मेरी भावना यह थी कि न्यायपालिका और विधान सभा के संघर्ष से एक बड़ा क्षोभ का वातावरण बन रहा है। न्यायपालिका, जैसा आपने कहा, संघर्ष को बढ़ाती चली जा रही है और इधर उसकी प्रक्रिया-स्वरूप यह सदन कुछ न कुछ करता चला जा रहा है। जिस भावना से वह कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में उधर से कोई कार्य होंगे तो क्या आप रिजर्व नहीं रह सकते हैं ताकि यह संघर्ष समाप्त हो?

*श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय शरण साहब ने जो प्रस्ताव उस दिन पेश किया था वह आज इस ऐजेंडे पर नहीं है, इसके अलावा ग्रांट नंबर २३--सहकारिता भी आज एजेंडे पर नहीं है, वह इस सदन द्वारा पास नहीं की गयी है और एजेंडे से निकाल दी गयी है। वह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, वह इस सदन का अधिकार है, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकेंगे तो उसके लिये कौन-सी जगह है? २१ तारीख को जो प्रस्ताव पास हुआ था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

उसके विरुद्ध माननीय सदस्यों को मौका न देकर २५ तारीख को जल्दबाजी में उसको पास कर दिया गया । इसके अलावा एडवोकेट जनरल की राय भी इस हाउस को नहीं बतायी गयी । अतः उनको भी न सुनवा कर, आप सदन के मान और अधिकारों को ठेस पहुंचा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, उसे इस समय आपको नहीं उठाना चाहिये । एक कारण तो यह है कि जब किसी विनिश्चय के संबंध में अध्यक्ष यह घोषणा कर देते हैं कि वह स्वीकृत हुआ या अस्वीकृत हुआ, तब नियमों के अन्तर्गत उसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । दूसरी बात यह है कि उस स्वीकृत प्रस्ताव के ऊपर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गयी याचिका के ऊपर जो वहां कार्यवाही हुई है, उसके संबंध में माननीय नेकराम जी और ब्रह्मदत्त जी मायर को अवमान की सूचनाओं को मैंने विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है । अतः अब यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मुझे खेद है कि मैं उसको ओवर-रूल करता हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, आपने यह भी कहा था कि अगर २१ तारीख का प्रस्ताव मैं कार्यान्वित नहीं करा पाया तो त्याग-पत्र दे दूंगा । लेकिन २५ तारीख को जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें भी सदन के अधिकारों की रक्षा नहीं हुई है । अब आप कहते है कि व्यवस्था नहीं उठायी जा सकती । मेरी राय में जो इस संबंध में सदन की कार्यवाही हुई है और उस संबंध में जो रिपोर्ट पेश की गयी वह न्यायोचित नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष—

जो बात आप कह रहे हैं, वह आपको कहना मुनासिब नहीं है । मैंने रिपोर्ट को हाउस के सामने पढ़ कर सुना दिया था । वारन्ट वापस लेने के हस्ताक्षर मैंने उस समय किये, जब विशेषाधिकार समिति में यह प्रश्न चला गया और उन्होंने कार्यवाही कर ली, यह नहीं कहा कि मैंने उसको वापस ले लिया ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

श्रीमन्, २१ तारीख के प्रस्ताव के अनुसार आपको श्री केशव सिंह जी को गिरफ्तार करना चाहिये था लेकिन वे लखनऊ में होते हुये भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं, उसके द्वारा आप सदन का अवमान कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, उस दिन के प्रस्ताव के बाद आपने यहां की सारी कार्यवाही स्थगित कर दी और बताया कि कान्स्टीट्यूशन की धारा १४३ के अनुसार प्रेसीडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को वह रिफर कर दिया है राय के लिये । अब ओपीनियन के विषय में यह भी लिखा हुआ है कि वह अपनी ओपीनियन से भी बाध्य न होगा । अगर उसके बाद कोई फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आयें तो वह अपनी ओपीनियन को बदल भी सकता है और उस पहली ओपीनियन के विरुद्ध भी निर्णय दे सकता है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया गया है तो हमें उसको देखना चाहिये, क्या मत वे राष्ट्रपति महोदय को देते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो हमें वहां अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेड होना चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा तो विचार है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार वहां बहस नहीं हो सकती ।

श्री अध्यक्ष—

होगी ।

श्री नेकराम शर्मा—

अगर वहां बहस होती है तो सदन की ओर से किसी वकील को हमें वहां भेजना चाहिये । अगर वहां बहस नहीं होती है तो सारे लेजिस्लेचर्स के प्रतिनिधियों और स्पीकर्स को हमें लखनऊ में एक मीटिंग बुलानी चाहिये क्योंकि इस समय यह क्वेश्चन लेजिस्लेचर वर्सेज जुडीशियरी हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सब चीज प्रीमेच्योर है । इसको आप परसों कह दीजिये, ओपेनली कहने में अच्छा नहीं है ।

श्री भगवान सहाय—

मैं एक बात कहना चाहता था कि आज हाईकोर्ट से जो आर्डर प्राप्त हुआ है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप अपने प्वाइंट आफ आर्डर का प्रोपोजीशन बताइये ।

श्री भगवान सहाय—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने जो ये शब्द कि "हमले पर हमले होते जा रहे हैं" इस्तेमाल किये हैं, यह शब्द भड़काने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है, आक्षेप है, मैं इसको ओवररूल करता हूं ।

श्री भगवान सहाय—

मेरी बात सुन लीजिये । यह आप न्याय नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

बात मैं बाद में सुन लूंगा, लेकिन यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, जब कि राष्ट्रपति ने धारा १४३ के अनुसार उसको सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया है और इस आदरणीय विधान सभा के खिलाफ तमाम वकील और जजेज हो गये हैं, और ऐसा ज्ञात होता है कि जज एक यूनियन बना कर अवमान पर अवमान कर रहे हैं और वकीलों ने भी अपने को हमारे खिलाफ संगठित कर लिया है । तो प्लीड करने के लिये आप किस वकील को खड़ा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । मैंने तो यह कहा कि यह प्रिविलेज कमेटी तय करेगी । इस विषय में दोपहर के बाद बातचीत करेंगे ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

सवाल यह है कि श्री केशव सिंह की अभी एक दिन की सजा बाकी रह गयी है। हाई कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया और उसको बेल आउट कर दिया है; तो वह अभी बाहर हैं और लेक्चर देते फिर रहे हैं। यहां का कैबिनेट जो धारा १६४(२) के अनुसार असेम्बली के प्रति रिस्पांसिबिल है, उन्हें गिरफ्तार करके इस सदन में नहीं ला रहा है। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कैबिनेट जो यू० पी० असेम्बली के प्रति रिस्पांसिबिल है, श्री केशव सिंह को गिरफ्तार करा कर असेम्बली के सामने पेश करे ?

श्री उग्रसेन---

श्री केशव सिंह की जमानत जजों ने ली है, फिर उनको कौन गिरफ्तार कर सकता है ? आये कोई गिरफ्तार करने वाला, तो हम उसे बतलावें। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय---

मैं यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के रेस्ट्रेंट आर्डर को मद्देनजर रखते हुये, क्या आप श्री केशव सिंह को गिरफ्तार करने के लिये अपना आर्डर फिर से जारी करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष---

वह आर्डर अभी तक वापस नहीं हुआ है। (व्यवधान)

इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है नहीं ?

श्री भगवान सहाय---

आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। आप कोई हमसे अलग थोड़े हैं ?

तो मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के रेस्ट्रेंट आर्डर होने के बावजूद क्या आप श्री केशव सिंह के खिलाफ अपने आर्डर को एक्जीक्यूट करने के लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष---

अब मैं कह देता हूं कि जब तक इस आदरणीय सदन का वह आर्डर मौजूद है, मैं उसका पालन करूंगा। और वह आर्डर है यहां पर गिरफ्तार करके लाने का, तो गिरफ्तार कराऊंगा, जो कुछ उसका कंसीक्वेंस हो।

श्री भगवान सहाय---

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---

अब प्वाइन्ट आफ आर्डर का कोई सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय---

प्वाइंट आफ आर्डर को प्रायरिटी मिलती है। तो मेरा कहना यह है कि इस सदन का यह भी आर्डर है कि हाई कोर्ट के दो जजों तथा श्री सालोमन को भी गिरफ्तार किया जाय, तो क्या आप उसको कार्यान्वित करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इस आदरणीय सदन में माननीय जेड० ए० अहमद ने उस रोज उसकी ओर संकेत किया था और माननीय चरण सिंह ने भी उसको स्पष्ट किया और उस रोज जो इंटरप्रिटेशन मैंने प्रस्तुत किया था वह सही है।

श्री उमाशंकर तिवारी—

श्री केशव सिंह को आप कब तक गिरफ्तार करावेंगे ? अगर आप उस कुर्सी पर पीठासीन होकर सत्य बोल रहे हैं, तो या तो आप उनको गिरफ्तार कीजिये, नहीं तो इस्तीफा दीजिये, जैसा कि आपने पहले कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

हम गिरफ्तार करायेंगे ।

प्रदेश में पंचमांगियों तथा साम्प्रदायिक तत्वों के सक्रिय होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास बहुत से कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें से एक तो माननीय शारदाभक्त सिंह का है और श्री यादवेन्द्रदत्त जी का है, और उसी विषय से संबंधित श्री उग्रसेन जी का भी है । एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय कल्पनाथ सिंह जी का भी है । और माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी का नियम ५२ के अन्तर्गत है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने आपसे निवेदन किया था कि आज के ऐजेंडे पर जितने प्रश्न हैं उनको देखने से मालूम होगा कि जो प्रस्ताव व सहकारिता सम्बन्धी अनुदान २५ का पास हुआ बतलाया गया है वह न तो पेश ही हुआ था और न पास ही हुआ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल—

सुन तो लीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा भी एतराज यह है कि उस दिन न तो कोई प्रस्ताव पेश हुआ और न पास ही हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप कार्यवाही उठा कर देखें, तो उस दिन उग्रसेन जी ने कहा कि आपने अपने बल पर पास करा लिया और अब आप कहते हैं कि पेश ही नहीं हुआ ।

श्री उग्रसेन—

इस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी पर पास करा लिया तो वह अवैधानिक है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ मिश्र जी ने एक नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है—पाकिस्तान की साजिश से नियोजित ढंग से शस्त्र बनाने का कोई कारखाना पकड़ा गया है । श्री रामकिशोर त्रिपाठी का है और माननीय कल्याण चन्द मोहिले जी का है, इतने आये हैं.....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, एक मेरा भी नियम ५२ का बहुत आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप बैठें। आपका भी एक मथुरा जिले से संबंधित है और पाकिस्तानी भेदियों का उसमें कुछ जिक्र है। मैं यह सोच रहा था कि आज तो चूंकि हमें बजट का समस्त काम समाप्त करना है और आज अन्तिम दिन है इसलिये मैं चाहूंगा कि आज तो बजट का काम समाप्त हो जाय। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के लिये नियम है कि वह सारा कार्य दिन का समाप्त करके ४ बजे शाम को लिया जाय तो आज सम्भव नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि नियम ५३ के अन्तर्गत मैं इसको ले लूं और परसों इस पर २ घंटे की बहस हो जाय तो उचित होगा। अतः मैं इनको सरकार के पास भेज रहा हूं और इस विषय पर परसों माननीय गृह मंत्री या माननीय मुख्य मंत्री तैयार हो कर वक्तव्य दे दें और फिर उस पर बहस हो जाय।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जिसे आप नियम ५३ में ले रहे हैं उसको पढ़ तो दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं पढ़े देता हूं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सदन का काम रोक दिया जाय और काम रोक कर इसे लिया जाय।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण और गम्भीर है कि उसको २ दिन टालना या उस पर परसों बहस हो जाय यह उचित न होगा। आप के बजट का भी अन्तिम दिन है और नियम भी है यह सही है लेकिन आप नियम को निलम्बित कर सकते हैं। इस एमर्जेन्सी के युग में थोड़ा अधिक भी हमें बैठना पड़े तो हम बैठें और इस महत्वपूर्ण विषय को आज ही ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप के लिये अधिकार है.....

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आपको कष्ट होता हो तो मैं न बोलूं परन्तु मेरा कहना यह है कि यह सीक्योरिटी का प्रश्न है और यह चीज राष्ट्र और प्रदेश के लिये सब से मुख्य चीज है बनिस्बत ड्राई फिगर्स आफ बजट के। इसलिये आप नियमों को निलम्बित कर के लांग सिटिंग बैठा लें और आज ही इस पर विवाद हो जाय। अन्यथा इसकी जो गम्भीरता और गरिमा है वह २ दिन के बाद बहस होने पर समाप्त हो जायगी और समाज को भी जो उसकी गरिमा और गम्भीरता का अनुभव आज है वह नहीं रह जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव दफा ५२ में दिया था, वह भी इसी के साथ सम्मिलित कर दिया जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

वह नियम ५२ का है और भी कई एक थे, वह सब इसमें सम्मिलित हो जायंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी एक निश्चित मंशा है और उसके द्वारा हम इस सरकार को सेन्सर करना चाहते हैं क्योंकि यह सरकार विफल रही है इस सूबे में भेदियों के जाल को रोकने में और पंचमांगी, देशद्रोही तत्वों को पकड़ने में। इसलिये मैंने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव किया है, इसको अवश्य लिया जाय। नियम ५३ में बहस के लिये हमें २॥ घंटे का समय मिलेगा लेकिन आधे घंटे का मोह छोड़ कर २ घंटे के लिए भी, प्रस्ताव के रूप में इसको २ घंटे ही सही, कार्य-स्थगन के रूप में मौका मिलना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

चाहे रात को १२ बजे तक चले, इसे आज ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम १९९ के अन्तर्गत हमारे लिये यह आवश्यक है कि वित्तीय कार्य आज पहले समाप्त हो जाय और अगर आप उसे ४ बजे तक समाप्त कर सकें, तो ४ से ६ तक कामरोको प्रस्ताव के रूप में इसको लिया जा सकता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी।

एक सदस्य—

ऐसा नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—

नहीं हो सकता, तो यह प्रस्ताव कामरोको के रूप में नहीं लिया जा सकता।

श्री उग्रसेन—

चूंकि आपकी बात हम नहीं मानेंगे, इसलिये आप हमारी नहीं मानेंगे?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, ऐसा नियम है कि आज बजट का कार्य मुझे पहले समाप्त करना है।

श्री उग्रसेन—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस कामरोको प्रस्ताव की गरिमा कम कहां हो गई?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, हमारे पास जितनी सूचना होनी चाहिये वह परसों तक ही मुझे मिल सकती है, अतः अच्छा होगा यदि परसों इस पर विचार करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

फैक्ट्स नहीं हैं, मंत्री जी ने कहा है। मैं समझता हूं ऐसे डेलीकेट मामले की डिटेल्स में बहस नहीं होगी, परन्तु जिस पौलिसी के कारण और जो रोकने की गति है, जिससे यह खतरा खड़ा हुआ है, उस पर हम सरकार को सेंसर करेंगे। तो पौलिसी और गति के बारे में तो मंत्री जी के पास पूरे फैक्ट्स होने ही चाहियें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आपने सुझाव दिया, श्रीमन्, कि कामरोको प्रस्ताव ४ से ६ तक लिया जाय। मैं समझता हूं यह अत्यन्त समीचीन है और गृह मंत्री जी को जो सूचना प्राप्त है उसी के आधार पर वह वक्तव्य दें और वाद-विवाद हो जाय। इसको टाला नहीं जा सकता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अगर गृह मंत्री निकम्मा है तो परसों ही बहस हो जाय, कोई हरज नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, २, ३ मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कल सीक्रेट सेशन हो, न प्रेस रहे, न गैलरीज में दर्शक हों। तो सीक्रेट सेशन कल दोपहर तक बैठे और जजेज से संबंधित भी जो मामला है उस पर भी विचार करें, १, २ दिन सीक्रेट सेशन होना चाहिये जिससे हम बैठ कर सब बात निर्णय कर सकें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव है कि कल बैठ जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मुझे यह निवेदन करना था कि जैसी शर्तिया बात आपने कही वैसी ही मैं कह रहा हूं। यदि नियम ५३ में आप लेते हैं तो २ के बजाय ढाई घंटा कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नियम १९९ के अन्तर्गत आज सारा काम समाप्त करना जरूरी है, हो सकता है ४ बजे तक न समाप्त हो पाये जिससे संतोष हो। इसलिये यह विषय परसों नियम ५३ के अन्तर्गत लिया जायगा और ढाई घंटा बहस होगी। अब माननीय नेता विरोधी दल, श्री यादवेन्द्रदत्त तथा कल्पनाथ सिंह के प्रस्ताव सचिव पढ़ कर सुना दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा भी है।

श्री अध्यक्ष—

जी हां। जो नेताओं के आये हैं वह सचिव पढ़ कर सुनायेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जो मंजूर किया है उसे भी सुनवा दीजिये।

सचिव, विधान सभा—

"उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य भाग में स्थित नयागांव नामक मोहल्ले में एक गुप्त शस्त्रागार पकड़ा गया है। इसमें १० पिस्तौलें तथा ४०० से अधिक विदेशी कारतूस पकड़े गये हैं। उक्त कारखाना किट्स इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से चलता है।

उक्त कारखाने का संचालक १९५८ से बराबर पाकिस्तान आता जाता रहा है। उसका एक लड़का दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कार्यालय में पदाधिकारी है अर्थात् इस कारखाने के पीछे पाकिस्तान का पूर्ण हाथ स्पष्ट है। पाकिस्तानी पूंजी से चलाये जाने वाले उक्त कारखाने में हथियारों के अलावा चेहरों की नकाबें, बुरके, रबर के दस्ताने, मोटर में लगाने की नकली नम्बर प्लेटें और सांकेतिक भाषा में लिखी गईं अनेक चिट्ठियां भी मिली हैं। वहां साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाला पाकिस्तानी साहित्य भी पकड़ा गया है। स्पष्ट है कि उक्त स्थान पाकिस्तानी भेदियों का ट्रेनिंग सेंटर भी है। बम भी बनाये जाते हैं। विदेशी मशीनों द्वारा उक्त हथियार बन रहे हैं।

इसके पूर्व आये दिन बम आदि प्राप्त होने तथा विस्फोट की घटनायें हो रही हैं। कुछ दिन पूर्व गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के पुल वर्कशाप की टंकी में एक बम मिला। देहरादून में सर्वे आफ इंडिया कार्यालय के पास एक भारी बम बरामद किया गया। चीन तथा पाकिस्तान गठबंधन के कारण सीमा पर उत्पन्न संकट के काल में प्रदेश के भीतर इस प्रकार का एक गुप्त षड्यंत्र चलने से हमारे प्रदेश की आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

सरकार उक्त परिस्थिति पर नियंत्रण पाने में बिलकुल अफसल रही है। अस्तु सरकार के प्रति जनता में अविश्वास तथा उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिए सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन जी का कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--

"दिनांक २३ मार्च को १० बजे दिन में राजकीय रोडवेज स्टेशन गोरखपुर के दक्खिन पूरब कोने के फाटक पर दो बम फटे और उसके पास ही दो बम और पाए गये। इसी प्रकार १३ मार्च सन् १९६४, को सिगनल वर्कशाप एन० ई० रेलवे की टंकी के नीचे एक बम मिला जिसके कागज पर लिखा था कि जहां लाल निशान लगा हुआ है वहां आग लगाने से विस्फोट होगा। इस प्रकार अराजकीय तत्वों के सक्रिय होने के कारण नगर की और आस पास की जनता का जीवन अरक्षित हो गया है। यही नहीं, २० अक्टूबर सन् ६२ को जो विद्यार्थियों पर पुलिस ने गोली चलाई तो उसी समय पेकिंग रेडियो से उसकी घोषणा हुई। इन तमाम कार्यवाहियों से जनता में एक असंतोष का वातावरण व्याप्त है। एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करने हेतु माननीय सदन आज की अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।"

कुंवर श्रीपालसिंह और श्री कृष्णपाल सिंह आदि का प्रस्ताव इस प्रकार है:--

"पाकिस्तानी पंगमांगियों द्वारा प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेह भड़काने के निरंतर सुनियोजित प्रयास से उत्पन्न आन्तरिक संकट के अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर विचार करने को प्र० नि० के नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

चर्चा उठाने के कारण एवं टिप्पणी

(१) पाकिस्तानी पंचमांगियों द्वारा मुरादाबाद नगर के अनेक स्थानों पर एक सम्प्रदाय विशेष को भड़काने वाले पर्चों का चिपकाया जाना तथा बांटा जाना।

(२) जिला खीरी से प्रकाशित होने वाले उर्दू साप्ताहिक "उभरती किरने" नामक जो पाकिस्तान "डान" का अनुवाद है, द्वारा खुले आम साम्प्रदायिक विद्वेष उभाड़ने का प्रयास।

(३) बहराइच के भगहा बाजार, देहरादून रेलवे स्टेशन, गोरखपुर बस स्पेशन, फर्रुखाबाद, तथा अन्य अनेकों स्थानों पर बम विस्फोटों का होना आतंक करने के उद्देश्य से।

(४) फैजाबाद जिले में एक संसद सदस्य का साम्प्रदायिक उत्तेजना उत्पन्न करते पकड़ा जाना।

(५) होली के दिन बस्ती जिले में गोहत्या करके हिन्दुओं को भड़काने का प्रयास करना।

(६) लखनऊ तथा कानपुर में खाकसारों की रैली एवं उत्तेजनात्मक भाषण।

(७) लखनऊ रेलवे स्टेशन पर वैगन स्टोर में अग्निकांड होना।

(८) प्रदेश के अनेकों स्थानों पर गुप्त ट्रान्समीटरों द्वारा प्रसारण।

(९) मसजिदों में धार्मिक पढ़ाई के नाम पर पूर्वी पाक के नागरिकों का अवैध रूप से रहना।

(१०) देहातों में बड़े पैमाने पर मिलाद तथा बाज आदि धार्मिक प्रवचनों का बहाना बना कर सांप्रदायिक विद्वेश उभाड़ने वाले भाषणों का दिया जाना।

(११) कलकत्ते के मुसलमानों की तथाकथित दुर्दशा को बढ़ा-चढ़ा कर बता कर धन संग्रह करके उसने शस्त्रास्त्रों की खरीदारी।

[सचिव, विधान सभा]

(१२) लखनऊ नगर के नयागांव नामी मुहल्ले में शस्त्र निर्माणशाला तथा उसकी प्रदेशभर में फैली शाखाओं का अन्वेषण आदि ऐसे सुपुष्ट तथ्य हैं जिनसे प्रदेश में साम्प्रदायिक कलह उत्पन्न करने के सुनियोजित षड्यन्त्र का पता लगता है।

अस्तु, उक्त समस्या के कारणों पर प्रकाश डालने एवं निदान पर सरकार को प्रभावी पग उठाने हेतु सुझाव देने के लिए चर्चा होना आवश्यक है।"

एक माननीय काशीनाथ जी का प्रस्ताव है—

"उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बाराणसी, आगरा और अलीगढ़ के महानगरों में पाकिस्तानी ऐजेन्टों द्वारा नियंत्रित पैमाने पर शस्त्र बनाने के अवैधानिक कारखाने संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना का रहस्योद्घाटन लखनऊ पुलिस ने लखनऊ शहर में माडल हाउस के पीछे एक निजी मकान पर छापा मार कर किया है। इस मकान पर इंजीनियरिंग कारखाने का नाम पट्ट लगा कर इस कारखाने को संचालित किया जा रहा था।"

एक श्री कल्पनाथ सिंह का प्रस्ताव है—

"प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर देशद्रोही तत्व सक्रिय हो गये हैं। गोरखपुर जिले में रेलवे वर्कशाप में हथगोले पाये गये। उसके तुरन्त बाद उसी शहर में रोडवेज बस स्टेशन के समीप पुनः कई स्थानों पर एक ही दिन में हथगोले पाये गये। लखनऊ में हथियार बनाने का कारखाना पकड़ा गया जिसमें पिस्तौलें, बन्दूकें, हथगोले, बम आदि तो पकड़े ही गये, सांकेतिक भाषा में तथा अन्य प्रकार का लिखा हुआ साहित्य भी पकड़ा गया है। कम्युनिस्ट पार्टी का चीन समर्थक दल ने भी जो प्रस्ताव अभी हाल में पास किया है उसमें जिस किसी प्रकार भी हो सरकार उलटने की बात जहां कही गयी है, वहीं उसी प्रस्ताव में पाकिस्तान और चीन को एशिया का सबसे बड़ा शांतिवादी देश बनाया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस देश में न केवल पाकिस्तानी देशद्रोहियों बल्कि चीन समर्थक कम्युनिस्ट और पाकिस्तान समर्थक दोनों ही एक मित्र मिल गये हैं। इस स्थिति से प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर असर पड़ा है।"

श्री लखीसिंह—

हमारा प्रस्ताव पढ़ कर नहीं सुनाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रेस को बतला दिया जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

या तो केवल नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया जाता या फिर जितने भी प्रस्ताव आये हैं सभी को पढ़कर सुनाया जाता।

श्री अध्यक्ष—

जिसको मैंने मुनासिब समझा पढ़ कर सुना दिया।

थाना इंचार्ज, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद, द्वारा दो गिरफ्तार व्यक्तियों को पीटने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

१६ मार्च, १९६४ को थानाध्यक्ष, इन्दरगढ़, जिला फर्रुखाबाद, को सूचना मिली कि डाकुओं का एक दल अर्द्ध रात्रि में उमरदह पुल के पास इकट्ठा होगा और वहां से ग्राम फिरोजपुर में श्रीराम प्रधान के यहां डकैती डालने जायगा। इस सूचना के प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष उपलब्ध पुलिस लेकर पुल के पास पहुंचे जहां पर जनता के कुछ व्यक्ति भी उनसे मिल गए और वे

लोग पुल के पास छिप कर बैठ गये। ११ बजे रात्रि में मुखबिर ने सूचना दी कि डाकुओं का दल आ गया है और पास में ही छिप रहा है। इस पर पुलिस पार्टी दो दलों में बंट गई और डाकुओं को दोनों ओर से घेर लिया। पुल के पास पहुंचते-पहुंचते पुलिस के एक हेड कान्सटेबिल ने प्रकाश करने के लिये बरी लाइट पिस्टल से तीन राउन्ड किये और पुलिस वाले तत्काल डाकुओं पर झपट पड़े। डाकुओं ने पुलिस दल पर गोलियाँ चलाकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी बदले में गोलियां चलाईं और डाकुओं का पीछा किया। दो डाकू जो बाद में पहचाने गये जदुनाथ सिंह निवासी ग्राम परसीपुर, जिला फर्रुखाबाद, और रामसिंह निवासी ग्राम कांठ, जिला शाहजहांपुर, लाठियों से चोट पहुंचा कर पकड़ लिये गये। उनके अन्य ५ या ६ साथी भाग गये।

जदुनाथसिंह के पास एक देशी १२ बोर की एक नली बन्दूक एक देशी तमन्चा ३२ बोर, ११ करतूसें और एक खाली कारतूस बरामद हुए। रामसिंह के पास से १ देसी १२ बोर की पिस्तौल, १ इस्तेमाल किया हुआ कारतूस तथा अन्य ४ कारतूस बरामद हुए। थाना इन्दरगढ़ पर इस सम्बन्ध में धारा ३९९/४०२/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत तथा दो अलग-अलग मुकदमें धारा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत १७-३-६४ को ५ बजे प्रातःकाल कायम हुए जिनकी जांच हो रही है।

जदुनाथसिंह थाने के हवालात में १० बजे सुबह मर गये। एस० डी० एम० कन्नौज ने जदुनाथसिंह की लाश का पंचायतनामा भरा और लाश को पोस्टमार्टम के लिये भजने के बाद जांच की।

जांच से वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जदुनाथसिंह की मृत्यु उन चोटों के फलस्वरूप हुई जो उसे पुलिस व जनता के गवाहों से मुठभेड़ के समय आई थीं। अतः यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की हवालात में कोई पिटाई नहीं हुई।

जदुनाथसिंह एक कुख्यात डाकू था। कई मामलों में इसकी गिरफ्तारी होनी थी और वह "एब्सकोन्डर" घोषित किया जा चुका था।

१९६४-६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते तथा अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री अध्यक्ष—

अब जिन अनुदानों पर विवाद नहीं होगा वह पहले हो जायं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जरा एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप इस फार्मल कार्यवाही को, जिन पर विवाद नहीं होना है, पहले हो जाने दें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप फिर यह कह देंगे कि उससे सम्बन्ध नहीं है, नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या इन अनुदानों से सम्बन्धित है?

कुंवर श्रीपालसिंह—

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

तो वह बाद में कर लीजियेगा ।

रसद मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २४,५०,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अगला भी रख दीजिये ।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,०८,५५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२—राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते के अन्तर्गत २४,५०,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ७,०८,५५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर के अन्तर्गत ५९,७४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४—बिक्री कर के अन्तर्गत ५९,७४,१०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ९,००,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ९,००,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७—निबन्धन

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २१,२२,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—निबन्धन के अन्तर्गत २१,२२,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ३,९७,३०,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१–अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत ३,९७,३०,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३—पेंशनों का राशिमूल्य

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३–पेंशनों का राशिमूल्य–के अन्तर्गत ५,८५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३–पेंशनों का राशिमूल्य के अन्तर्गत ५,८५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४७,४५,३९,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४७,४५,३९,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४—६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पुरःस्थापित करने के हेतु सदन अनुज्ञा देता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

जनसंघ के गिरफ्तार व्यक्तियों की रिहाई

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमान जी, मुझे यह निवेदन करना है कि सरकार की तरफ से संविधान के अनुच्छेद १५ (१) का उल्लंघन किया गया है । बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जनसंघ की तरफ से २३ तारीख को सांकेतिक भूख हड़ताल का प्रदर्शन किया गया था । उसमें दो सौ स्त्रियां और पुरुष गिरफ्तार किये गये, दफा १४४ के उल्लंघन में । परन्तु स्त्रियां छोड़ दी गयीं और पुरुष आज भी जेल में बन्द हैं । मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद १५ (१) स्पष्ट कहता है कि सरकार लिंगभेद में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेगी । परन्तु सरकार ने पक्षपात किया है । गृह मंत्री तो पुराने कम्युनिस्ट हैं, इसलिये कम्युनिस्टों के लिये साफ्ट कार्नर हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह बातें तो संबद्ध नहीं हैं । बिलकुल असंगत हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

और माननीय मुख्य मंत्री जी.....

श्री अध्यक्ष—

महिला हैं । .....

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप मुख्य मंत्रिणी कह रहे थे लेकिन वित्त मंत्री ने मंत्री बना दिया और सब मंत्रियों को नपुंसक बना दिया । इसलिये गृह मंत्री मंत्रियों की उस केटेगरी में आ गये जिसकी परिभाषा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त मंत्री ने की। वह मर्दों की तरफ खयाल नहीं करते। मुख्य मंत्राणी जी जो हैं, वह तो हैं ही, तो मर्दों की कौन सुने? औरतों की यह सुनेंगी, उनकी वह सुनेंगे, गृह मंत्री जी, तो मर्दों की कौन सुने? या यह किया जाय कि सब की मूछें मुड़वा दी जायं!

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जनसंघ के पुरुषों और स्त्रियों में फर्क है। अब मालूम हुआ भाई श्रीपालसिंह की जबानी कि कोई फर्क ही नहीं। लेकिन फिर भी जो खतरनाक कम होता है उसके साथ रियायत की जाती है। हम अन्तर मानते हैं, हमारे भाई भले ही अन्तर न मानें। इसलिये स्त्रियों को रिहा कर दिया गया और वह प्रश्न विचाराधीन है।

अनुदानों पर विवाद के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

अब दो अनुदानों पर हमें विचार करना है, नम्बर १ और ४।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

आपके पास ५ घंटे २५ मिनट का टाइम है। मैं चाहता हूं कि श्रम को दो घंटे दे दीजिये और दो घंटे परिवहन को दे दीजिये। ५५ मिनट ऐप्रोप्रियेशन बिल को और आध घंटा मेम्बर्स वाले बिल को। इस तरह से यह कार्य पांच बजे तक सम्पादित हो जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। श्रम का बजट लाखों मजदूरों का सवाल रखता है। परिवहन में पचासों हजार मजदूरों का प्रश्न है। सदन का समय बढ़ाने का आपको अधिकार है। इसमें से एक मिनट भी न काटा जाय। यह बड़ा भारी अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं सोच रहा था कि ढाई घंटे श्रम पर दे दिया जाय और डेढ़ घंटे परिवहन को दे दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

यह नहीं हो सकता है। फिर आप यों ही पास करा लें। (व्यवधान) परिवहन का बहुत गंभीर मसला है। हम एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जितना महत्वपूर्ण लेबर है उतना ही परिवहन भी है। तो दोनों को आधा आधा समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो दो दो घंटे रहा। साढ़े ग्यारह से डेढ़ बजे तक 'श्रम' और डेढ़ बजे से साढ़े तीन बजे तक परिवहन विभाग का अनुदान चलेगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, परिवहन का समय मत काटिये। (व्यवधान) दो घंटे में क्या होगा? हम तो, श्रीमन्, बोल नहीं पायेंगे। दस मिनट तो हमको जरूर दीजियेगा और परिवहन पर हम बोलेंगे। हमारे माननीय सदस्य का कटौती का प्रस्ताव है। तो हमारा समय तो आप काटियेगा मत। अगर काटियेगा तो उनका काटियेगा। हम तो बहुत दुखी होंगे.....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, आप क्यों परेशान हैं ?

१९६४–६५ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६–श्रम और सेवा योजन–के अन्तर्गत २,७६,४९,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, इस अनुदान की धनराशि को पेश करते हुये चूंकि समय कम है इसलिये मुझे अधिक समय नहीं लेना है, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम विभाग की नीति के मुख्य आधार सिर्फ दो रहे हैं—एक तो यह कि हमारे उत्पादन की बृद्धि हो और दूसरे मिल मालिक तथा श्रमिकों के बीच के संबंध मित्रतापूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण हों ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी अनुदान प्रस्तुत कर दिये । अब हमको मौका दें । कटौती का प्रस्ताव पेश हो और वह सबका उत्तर एक ही बार में दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री बनारसीदास से) आप थोड़ा बोलियेगा ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा उग्रसेन जी ने कहा है, मैं बाद में जवाब दे दूंगा । वह अब अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करें । मैंने बजट पेश कर दिया है ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६–श्रम तथा सेवा योजन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(इस समय ११ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, यह मेरा सौभाग्य है कि प्रदेश के लगभग २,८८,५०,१४१ मजदूरों के संबंध में प्रस्तुत श्रम एवं सेवायोजन के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके माध्यम से सुझाव देने का मुझे अवसर मिला है । सरकार के आंकड़ों के ही अनुसार १,८२,७८,९७७ मजदूर ऐसे हैं कि जो खेतों पर काम करते हैं । उसमें से लगभग ३२ लाख के संबंध में सरकार कुछ भी नहीं करती है । यह विभाग उनके लिये कुछ भी नहीं करता । लेकिन उनका भी नाम इसमें लिखा जाता है । उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । कुल केवल ७३,०९,९८६ मजदूर ही ऐसे हैं कि जिनके संबंध में सरकार व्यवस्था करती है । वैसे तो बजट के संबंध में बहुत सी बातें कहनी हैं लेकिन समय न होने से मैं अधिक नहीं कहूंगा । केवल इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर जो २ करोड़ ७६ लाख का अनुदान है उसमें काफी मात्रा में गोलमाल होने की संभावना है । और उसका कारण यह है कि जहां भी बजट के अन्दर इसकी व्यवस्था हो वहां पर कंटिजेन्सी का खर्चा ५ फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिये । इससे अधिक रुपया रखा जाता है तो यह समझा जाता है कि अधिक कंटिजेन्सी है । मैंने हिसाब लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि इस बजट में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्लानिंग के लिये ६० लाख रुपया रखा गया है । यहां पर श्रम विभाग का बजट २,२०,६८,८०० रुपये का रखा गया है जिसमें कंटिंजेंसी के लिये ९९,४१,५०० रुपया रखा गया है । यह पूरे अनुदान का ४५ परसेंट होता है । इस विभाग के अन्दर इस प्रकार से अधिक कंटिंजेंसी रखना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाय, यह कठिन है । सरकार को इस मद में पूरी तरह से बतलाना चाहिये कि किस बात पर यह व्यय होने वाला है । अधिकारियों के जिम्मे इतनी बड़ी रकम को छोड़ देना किसी प्रकार से उचित नहीं है । २ करोड़ के बजट में ९९ लाख की रकम उन लोगों पर छोड़ देना उचित नहीं है ।

अगर दूसरे हेड को देखा जाय तो उसमें इस हेड पर ४ लाख ३२ हजार रुपया रखा गया है जिसमें ५६ हजार रुपया केवल कंटिंजेंसी के लिये रखा गया है । इसी प्रकार से श्रम कल्याण के १८ लाख ६५ हजार के बजट में ६ लाख ७८ हजार रुपया आकस्मिक खर्चे के लिये रखा गया है जो बहुत अधिक धन है । इसी प्रकार से शिल्पकारी योजना के लिये ३८ लाख रुपया रखा गया है जिसमें १३ लाख रुपया आकस्मिक व्यय के लिये रखा गया है । जब यह विभाग इतनी बड़ी रकम को अपने ढंग से खर्च करेंगे तो इस बात की गुंजाइश है कि गोलमाल अधिक हो । इसमें इसका उल्लेख नहीं है । मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिये और बतलाना चाहिये कि किस प्रकार से इस रुपये को व्यय किया जायगा । इतनी बड़ी रकम को अधिकारियों के जिम्मे रखना ठीक नहीं मालूम होता है । इस मद में इसको स्पष्ट करना चाहिये ।

श्रम नीति के बारे में यह निवेदन है कि अगर यह कहा जाय कि हमारी कांग्रेस सरकार की कोई श्रम नीति नहीं है तो सही होगा । अगर कोई नीति है तो वह पूंजीपतियों के पक्ष में है । हम देखते हैं कि अपने प्रदेश के मजदूर परेशान हैं । सरकार जो उनके लिये तरह तरह की नीति और व्यवस्था लाने का प्रयत्न करती है उससे वह और परेशान होते हैं । आज हमारे प्रदेश के मजदूर बड़ी परेशानी से अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं । इतना ही नहीं, सरकार की गलत नीति के कारण मजदूरों को और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है । सरकार एक बिल लाने का विचार करती है लेकिन वह विचार ५८ से चल रहा है । सरकार सोच रही है कि एक बिल लाकर बम्बई और मद्रास के आधार पर कानून बनाया जाय लेकिन वह बिल अभी तक सरकार के विचाराधीन है। आज भी यह सरकार उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है । हम यह समझते हैं कि सरकार की नीति मजदूरों के प्रति उपेक्षा की नीति रही है और उसके बारे में सरकार कुछ करना नहीं चाहती है । उनके वेजेज के बारे में देखा जाय तो मालूम होगा कि सूती वस्त्र के मजदूरों को अपने प्रदेश में १०६ रुपया ३७ नये पैसे मिलते हैं । बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास में १३७ रुपये, १२४ रुपये और ११९ रुपये मिलते हैं । इसी प्रकार से मजदूरों की औसत आमदनी को देखा जाय तो २०० रुपये से कम पाने वाले मजदूरों की संख्या ४.०६ है । बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश से यह आमदनी कम है । वहां की आमदनी यहां से अधिक है । इस वजह से इस पर सोचना होगा और विचार करना होगा और विचार करके कानून को बदलना होगा । १९४७ में इसके लिये कानून बना लेकिन अब वह कानून पुराना हो गया है और हालत बदल गई है । उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है जो कि बहुत जरूरी था ।

आज मजदूर चारों तरफ से परेशान है । इस वजह से उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है । जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो उनका सुधार होना कठिन है । मजदूरों को २५ फीसदी अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलना चाहिये । उसके बिना वह जिन्दा नहीं रह सकते हैं । हमारी यह मांग है कि सरकार सभी व्यवस्थाओं को देखते हुये इसमें परिवर्तन लाने का कष्ट करें। सरकार को चाहिये कि ४, ५ स्थानों में, जैसे कानपुर, आगरा, वाराणसी और बम्बई जैसे स्थानों में देखकर सरकार को ५०,५० परिवारों को लेकर उनके खर्चे का पता लगना

[श्री रक्षपालसिंह]

चाहिये और उनका फैमिली बजट नयी परिस्थितियों के अनुसार तैयार करा कर उनका वेतन-क्रम निर्धारित करना चाहिये । इसके लिये विभिन्न स्थानों के परिवार आप ले लें ।

इसके बाद मैं सरकार की नीति की असफलता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस असफलता का पहला कारण यह है कि हमारी सरकार भी आदर्श सेवा योजक की तरह से काम करने में असमर्थ रही है । उसे पहला अपना आदर्श प्रस्तुत करना होगा तभी वह अपनी बात दूसरों से मनवा सकेगी । मैं इसके लिये दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वे रोडवेज में हों अथवा कहीं और, उनको स्थायी करने के लिये सरकार को एक यूनिफार्म पालिसी बनानी चाहिये और उनको स्थायी करने के लिये सरकार को निश्चित कदम उठाने चाहिये । आपकी जो ऐंटी बायोटिक प्रोजेक्ट ऋषिकेश का है वह सेमी गवर्नमेंट कंसर्न है लेकिन उसमें चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को कोई सुविधायें प्राप्त नहीं है और जो ऊपर के कर्मचारी है उनको सारी सुविधायें है । इसके साथ ही जो आपके रोडवेज के कर्मचारी है उनको एक निश्चित नियमावली बना कर उसके अनुसार पैसा देना चाहिये । जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को स्टापेज का समय काट कर ड्यूटी आवर्स जोड़े जाते है और ओवरटाइम नहीं दिया जाय, यह ठीक नहीं है । इसके अतिरिक्त विधायक निवास के कर्मचारियों को जो उनके मूल अधिकार हैं, एसोसियेशन बनाने का वह भी नहीं दिया गया है । इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा दावा है कि कांग्रेस सरकार पिछले १६ साल से मजदूरों के शोषण की नीति अख्तियार कर रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश के मजदूरों का रहन-सहन बराबर गिरता जा रहा है । आप देखें कि तनख्वाह दो हिस्सों में होती है । एक बेसिक वेज होते हैं दूसरा मंहगाई होता है । आजादी के पहले जो तनख्वाह मिलती थी वह बम्बई में ४४.९० रुपये थी, अहमदाबाद में ५६.२० रुपये थी, मद्रास में ३२ रुपये थी और कानपुर में ६४ रुपये थी । और १९५८ में बम्बई में मजदूरों की तनख्वाह थी ८१ रुपये, ४४ से बढ़ कर ८१ हो गया। अहमदाबाद में ५६ रुपये से ७५ रुपया हो गया और मद्रास में ३२ से ५५ हो गया और कानपुर में ६४ से ५१ रुपये रह गया जबकि मंहगाई के आंकड़े यू० पी० में सब से ज्यादा है इंडेक्स जबकि ५८४ है।

अब १९६१ और १९६३ का मुकाबला कीजिये डीयरनेस एलाउन्स का । बम्बई में १९६१ में ९४ था जोकि १९६३ में ९७ हो गया । अहमदाबाद में ८८ से ८६ हो गया । मद्रास में ७७ से ८३ हो गया और कानपुर में १९६१ में ६२ था । सारा देश बढ़ रहा है और जहां आंकड़े बढ़ते हैं तो मंहगाई भी बढ़ती है, लेकिन कानपुर में अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो महंगाई कम मिलती है । यह अभी जो जांच हुई इंडेक्स की जिसमें ९७ बम्बई का मैंने पेश किया है उसमें ३० प्वाइंट का फर्क मिला है और इस साल बम्बई में महंगाई भत्ता ११० रुपया है जोकि सन् ४८ में २० रुपया था और हमारा ७३ है । अहमदाबाद में १०५ है और मद्रास में ८३ है, जबकि यहां ७३ है । यानी देश में सब से कम यू० पी० में है । क्यों है ? निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट निकली तो कह दिया कि बटवारा हुआ है हिन्दुस्तान पाकिस्तान का, कंडीशंस नहीं है । उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ । उसको १८ साल हो गये । उसको

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हिसाब से भी अगर महंगाई मिले तो ९० रुपया मिलना चाहिये । १९४८ में हमें ३ आने पर प्वाइंट देते थे, उसके मुताबिक भी ९० रुपया बनते हैं । लेकिन सरकार ने उसको जी०ओ० से कम कर दिया और १८ साल से उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया । बिन्दबासनी कमेटी की रिपोर्ट हुई तो हमारा वर्कलोड बम्बई, अहमदाबाद और कोइमबिटूर के बेसिस पर था । बिन्दबासिनी कमेटी ने कहा कि कानपुर का मंहगाई का मामला नजर अन्दाज नहीं करना चाहिये, इससे मजदूरों में बेचैनी रहेगी, इस मामले को हल करना चाहिये । ९० परसेंट न्यूट्रलाइजेशन निम्बर ने, बिन्दबासनी ने और सम्पूर्णानन्द जी ने कहा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ ।

अब लाक-आउट का मामला ले लीजिये १९५७ में २ लाख, १९५८ में १ लाख, १९५९ में १ लाख, १९६० में १ लाख, १९६१ में थोड़ा बढ़ा है, ५ लाख, १९६२ में ३ लाख और १९६३ में ५ लाख । इसमें वह दिन शामिल है जो इमरजेंसी का पीरियड था—६ महीने मजदूर ने हड़ताल वगैरह कुछ नहीं की तो ६ महीने में ५ लाख दिन लाक आउट या हड़ताल में हुआ है । इससे साबित होता है कि इमरजेंसी के बाद मजदूरों में असंतोष बढ़ा और देश में बढ़ रहा है । इसलिये मैं नम्र-निवेदन करूंगा कि बम्बई में जबकि आंकड़े सब से कम थे १९४८ में वहां सबसे ज्यादा है और यू० पी० में आज सबसे कम है । इस मामले में हम सबसे पीछे हैं । हम तैयार हैं ट्राइपारटाइट के अन्दर इस मसले को तय करने के लिये । इसलिये बेहतर है कि १८ साल पहले की निम्बकर कमेटी की सिफारिशें अब लागू की जायं वरना हम एक महीने का नोटिस देते हैं कि अगर इसके अन्दर यह काम न हुआ तो कानूनी या गैर-कानूनी लड़ाई होगी । (लाल बत्ती होने पर) मुझे ५ मिनट और दे दीजिये । आज तक परमानेंसी का क्वेश्चन १८ साल से हल नहीं हुआ । कायदे से ९० दिन के अन्दर अवार्ड का हमें पैसा मिलना चाहिये, लेकिन ऐसे मजदूर मौजूद हैं कि साल भर हो गया, न लेबर डिपार्टमेंट सुनता है, न मालिक, न सरकार सुनती है, अन्धेर खाता मचा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अपनी मुख्य बातें कह दीजिये, मजबूरी है ।

श्री सर्तासिंह यूसुफ—

जूट मिल का मामला है, त्रिदलीय सम्मेलन ने एक फैसला दे दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । पिछली बार बहुगुना जी गये । उन्होंने कहा कि कानपुर के मालिक बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन साल भर में कुछ कार्यवाही नहीं की गयी । जूट मिल का मालिक फैसले को नहीं मान रहा है । मजदूरों ने नोटिस दिया है हड़ताल का । दूसरी बात यह है कि ठेकेदारी प्रथा बन्द होनी चाहिये । लोहे के कारखानों में डेढ़ रुपया रोज पर भरती होती है, हमारी सरकार त्रिदलीय सम्मेलन के फैसले के बाद भी कुछ नहीं करती है । चमड़े के कारखानों में भी यही हालत है । वहां भी डेढ़ रुपया वेजेज हैं और मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस दे रखी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट पर विवाद का जो अवसर आपने दिया है इस पर यदि एक वाक्य में मैं अपनी तथा अपने दल की प्रतिक्रिया को व्यक्त करूं तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि इस सरकार की जो श्रम नीति है वह पूंजीपतियों की चेरी बन गयी है । यदि आपने कामरेड यूसुफ को और समय दिया होता तो वे और बहुत सी बातों को आपके सामने रखते ।

श्रीमन्, आज सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति कपड़ा मिल के मजदूरों की है । उनके विवाद को निपटाने के लिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने एक एवार्ड दिया । उस एवार्ड में सरकारी पक्ष के मतलब की जितनी बातें होती हैं उनको तो तुरन्त लागू कर दिया जाता है, जो मजदूरों

[श्री उग्रसेन—]

से प्रबंध रखती है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उसमें कहा गया है कि मजदूरों को ज्यादा भरती होना चाहिये, मगर वह नहीं हुआ। और भी जो बातें उस एवार्ड में हैं उनको पूरा नहीं किया गया। कपड़ा मिल में आज करीब ५० हजार मजदूर काम कर रहे हैं। उनकी जो स्थिति आज है, अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो वे लोग अपना हथियार उठा लेंगे और फिर संघर्ष चल जायगा। इनके विवाद के निबटारा के लिये एक सुपरवाइजरी कमेटी का निर्माण हुआ था। कामरेड यूसुफ साहब भी उसके एक मेम्बर थे। मगर उन पर एक मुकदमा चल गया और वे उसमें से हटा दिये गये, वे उसमें बैठ नहीं सकते। एक प्रभाकर त्रिपाठी भी, जो आई०एन०टी०यू०सी० के सदस्य हैं, उसके मेम्बर हैं। उनकी भी यह हालत है कि यूनियन ने उन पर मुकदमा चला रखा है वह कुछ रुपया लेकर भाग गये थे। कहने का मतलब यह है कि इस कमेटी से कुछ नहीं हो रहा है। जब मजदूर श्रमायुक्त श्री भाटिया, के पास गये, मजदूरों ने उनसे अपनी दिक्कतों को बताया। मगर उनको सरकार ने हटा दिया। उनका ट्रांसफर हो गया। सुपरवाइजरी कमेटी कहती है हम सब पर विचार कर रहे हैं। श्रीमन्, जिस तरह से मेडिकल के सम्बन्ध में सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनायी थी और उसकी जो दशा आज है, वही दशा आज इस सुपरवाइजरी कमेटी की हो रही है। मेरी मांग है कि इस सुपरवाइजरी कमेटी को तुरन्त भंग किया जाय। सीधे-सीधे मिल मालिकों और मजदूरों को निबट लेने दिया जाय। जब आप के सामने विवाद होगा, वे अपनी बात तय कर लेंगे।

श्रीमन्, सभी कपड़ा मिलों के संबंध में निम्न कर कमेटी की सन् ४८ की एक रिपोर्ट है। मैं बाम्बे में निमकर साहब के साथ मजदूरों में काम करता था। उन्होंने एक एवार्ड दिया। लाखों रुपया सरकार का उस कमेटी पर खर्च हुआ। लेकिन सरकार ने उनकी एक सिफारिश को नहीं माना। फिर कैसे समझा जाय कि यह जनता की सरकार है? यह सरकार तो सिंघानिया, रामरतन और अन्य पूंजीपतियों की है। अध्यक्ष महोदय के पास अगर कोई मिल होती या उनका बेटा मजदूर होता तो वे एसी बात न कहते। लेनिन ने लिखा है कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां बड़ी बड़ी हुई हैं वे सब कपड़े मजदूरों ने की हैं। रूस और फ्रांस की क्रांतियों में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। बाम्बे में भी यही हुआ और कानपुर में भी ८० हजार मजदूरों ने क्रांतिकारी कदम उठाया, सम्पूर्णानन्द कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपना एक एवार्ड दिया लेकिन इस सरकार और पूंजीपतियों ने मिलकर उनके नाम पर कालिख लगा दी। आपने मजदूरों की तनख्वाह को नहीं बढ़ाया है, उनको ग्रेचुइटी नहीं दिलाई है, बीमा की ओर से उनको दवाइयां नहीं मिलती हैं। मजदूर से तो कहा जाता है कि रेशनेलाइजेशन के नाम पर आप ४–४ सांचे चलाइये लेकिन यह सरकार अपने में रेशनेलाइजेशन करती नहीं है। मंत्री जी आप बराबर कानपुर जाया करते हैं जरा मजदूरों की हालत को देखकर उसको सुधारिये।

लोहे, चमड़े और बिस्कुट तथा तेल का करीब डेढ लाख मजदूर हैं लेकिन इसमें से करीब ८० हजार मजदूर ऐसा है जो एवजीदार है, वह लोबिया के मैदान में राजपूत रेजीमेंट हो रहा है। ६०–६० वर्ष के मजदूर हो गये हैं, २०-२० साल उनकी ऐवजी करते हुये हो गये हैं, उनसे कह दिया जाता है कि तुम्हारे पास चश्मा नहीं है, निकल जाओ। ग्रेचुइटी का पैसा उनको नहीं दिया गया है, और दूसरी प्रकार के हक हकूक उनको नहीं दिये गये हैं। वह सब मिल मालिकों की जेब में है और सरकार का अभी तक कानून ही नहीं बना है। डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि जिस मजदूर को काम करते हुये ३ साल हो गये हों उनको परमानेंट कर दिया जाय। बम्बई में भी तो कांग्रेस की सरकार है, बर्मा शैल में मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाता है लेकिन माननीय बनारसीदास की सरकार उनके लिये अभी तक कुछ कर ही नहीं रही है।

इसके अलावा चीनी मिल मजदूरों का भी बड़ा भारी सवाल है । उसके लिये इस सरकार ने केवल एक ही नेता अब तक बनाया, श्री काशीनाथ पांडेय । बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभानअल्ला । चीनी मिल वालों पर २,२०,००,००० रुपया बोनस का निकला । कमेटी ने फैसला दिया कि उनको इतना रुपया देने की क्षमता नहीं है, एक करोड़ ४२ लाख कर दिया जाय । इस तरह से एक करोड़ रुपया मिल मालिक, काशीनाथ पांडेय और यह सरकार खा गयी । रामबाण एक चूर्ण होता है जिससे सब मर्ज अच्छे हो जाते हैं । तो मैं बनारसीदास जी से कहता हूं कि हे बनारसीदास जी ! अविलंब घोषणा कर दो कि कपड़ा, चीनी, सीमेंट, लोहा, दवाइयां, इन सब का राष्ट्रीयकरण कर दो । ब्रह्मा का उदाहरण आपके सामने है, उन्होंने टिम्बर और कपड़े की दूकानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया । आप समाजवाद लाना चाहते हैं फिर क्यों नहीं हिम्मत करते और अपने लेबर कमिश्नर से कहते कि वह जाय मजदूरों के बीच में, मजदूर यूनियनों में ? लेकिन वहां क्यों जाने लगा ? वह तो जाता है, जयपुरिया और बागला की शादियों में । मजदूरों का ५–५ रुपया करके लाखों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है, लेकिन वे नहीं दे रहे हैं, ग्रेचुइटी नहीं दे रहे हैं । वह रुपया सरकार नहीं दिलाती । इतना ही नहीं २२ करोड़ रुपया इस उत्तर प्रदेश की सरकार का उनके ऊपर पड़ा हुआ है, उसको भी उनसे वसूल नहीं करती है । कहां तक कहूं ? हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता । माननीय बनारसीदास जी के गुण कहां तक वर्णन करूं ? बनारसीदास जी से मतलब लेबर मिनिस्टर से है ।

इसी प्रकार से लाखों मजदूर रोडवेज और पी० डब्ल्यू० डी० आदि के बहुत दुखी हैं । आप इस वर्क चार्ज को खत्म कीजिये । इसी प्रकार से सिंचाई विभाग में एक बरकंदाज होता है, मैंने उसका नाम बरतन मांज रख दिया है । वह सिंचाई इंजीनियरों के बरतन ही मांजता है । इन छोटे कर्मचारियों का वेतन कम से कम १०० रुपया कर दीजिये । नगरमहापालिका के सफाई मजदूरों का जो नेता है उसको मार डालने की धमकी दी जाती है । मंत्री जी जरा गौर करें । चौथी श्रेणी और अराजपत्रित कर्मचारियों में बहुत असंतोष बढ़ रहा है, वह शीघ्र ही हड़ताल करने जा रहे हैं । उनको कम से कम ३० रुपया महंगाई में बढ़ाया जाय । १९४७ में महंगाई का आंकड़ा २१६ था तो इस समय वह ५२२ हो गया है । उसके लिये आपने कह दिया कि पे कमेटी बैठायेंगे । दिल को बहलाने का गालिब यह ख्याल अच्छा है । सरकार ने इन छोटे-छोटे मजदूरों के लिये अभी तक कुछ नहीं किया है । रोडवेज और सरकारी कारखानों के मजदूरों को बोनस दिलाया जाय । बीमा से मजदूरों को कुनेन की गोली भी नहीं मिलती और श्री बनारसीदास के कुत्ते का वहां पूरा इलाज होता है । इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, श्रम विभाग के विषय में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । श्रम विभाग तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह कांग्रेस का वालंटियर विभाग है । दूसरी बात यह है कि चाहे मंत्री जी बाहर सहकारिता की भावना न पैदा कर पायें हों लेकिन अपने आफिसरों और पूंजीपतियों के बीच सहकारिता की भावना पैदा करने में मंत्री जी सफल हुये हैं ।

अब प्रदेश की चीनी, जूट और कपड़े के मिलों के मजदूरों को लीजिये । लेबर डिस्प्यूट के जितने भी केसेज हैं वे सब या तो कंसीलिएशन मशीनरी में पड़े हैं या सरकार के पास पेंडिंग में पड़े सड़ रहे हैं और किसी मशीनरी से भी मजदूर आज न्याय पाने में असमर्थ हो रहा है ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी ये आंकड़े पेश करते कि लेबर संबंधी कितने मामले कांसिलिएशन बोर्ड में गये और कितने मामले में फैसले हुए या समझौते हुए और उन समझौतों का कहां तक पालन हुआ या जितने एवार्ड आये कितने एडजुडिकेशन से आये, उनका कहां तक पालन हुआ, बिलकुल सोच समझ कर इसका उत्तर माननीय मंत्री जी

[श्री कल्पनाथसिंह]

देते और सारे फीगर्स सामने रखते तो बड़ा कल्याण होता। क्योंकि लेबर डिस्प्यूट्स के बारे में आज जो सारी सरकारी मशीनरी बनी हुई है वह लेबर के अन्दर कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की पोजीशन को खतम करने के लिये ही बनायी गयी है। यह मशीनरी बनायी तो इस खयाल से गयी है कि राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि हो, मजदूरों और मालिकों में अच्छा रिश्ता कायम हो और उनका आपसी संबंध बिगड़ने न पावे, उनका संबंध सुदृढ़ बना रहे, लेकिन इसके बावजूद यह सरकार मजदूरों का गला घोंटने में बिलकुल सक्षम रही है और पूंजीपतियों की चेरी बनी रह कर वह आज तक काम करती रही है।

इसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। देवरिया जिले में खड्डा में एक शुगर मिल है। वहां के मजदूरों का जब मामला आया तो मजदूरों को एक एवार्ड मिला। सब होने के बाद १-११-६२ को एक प्रश्न के सिलसिले में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि मिल मालिक की आर्थिक स्थिति विषम है, इसलिये यह नहीं लागू किया जा सकता है। दूसरी तरफ प्राविडेंट के बारे में सवाल उठाया गया कि मजदूरों का प्राविडेंट फंड कटता है और वह सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। प्राविडेंट फंड के खाते में जमा नहीं हुआ तो सरकार की तरफ से कह दिया गया कि "अब कार्यवाही करने की नोटिस दी जा रही है और कुछ के मामले में यहां तक कह दिया कि मिल की रीति और नीति के अनुसार मिल मालिक की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया है, जब कि इस सदन में यह घोषित हो चुका है कि मिल मालिकों ने अपनी रीति-नीति के अनुसार यह कार्य किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज जो ग्रांट हमसे लेना चाहती है, इस सरकार ने इस ग्रांट का प्रापर युटिलाइजेशन नहीं किया है। ३० अक्तूबर, १९६३ को लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश ने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसके पृष्ठ ११ में लिखा है—"श्रम विभाग ने ६६.९५ लाख रुपया लिया और उसमें से १७.३ लाख रुपया इस सरकार ने खर्च ही नहीं किया।" करीब-करीब एक चौथाई रुपया जो इस सरकार को ग्रांट के रूप में मिला था उसे खर्च नहीं किया। यह मेरा कहना नहीं है बल्कि यह लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में दिया हुआ है, जो इस सदन में प्रस्तुत किया गया था।

दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि एक तरफ तो रुपये के इस्तेमाल की यह हालत है और दूसरी तरफ यह सरकार क्या करती है, इसे भी आप देख लें। मकानों के बनवाने के सिलसिले में इस विभाग ने कानपुर शहर में कुछ जमीन खरीदा लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं हो सका, उसे कोई देखने तक नहीं जा सका, जिसे बाद में मेजरमेंट करने के बाद मालूम हुआ कि ३.९६ एकड़ जमीन का लास हो गया। जब इस पर आडिट आब्जेक्शन हुआ तो कहा गया कि डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा उस जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो जमीन के लास की यह बात है कि डिपार्टमेन्ट सोता रहा और पैसा खर्च करने की यह हालत है कि अपना माल भी नहीं देख सके और जमीन जैसी चीज का मेजरमेन्ट भी नहीं कर सकते वह जमीन जैसी चीज का भी नाप नहीं कर सकते और आज हम से विभाग पैसा मांगता है जो पैसे को ठीक से खर्च तक नहीं कर सकता है और अगर खर्च करता भी है तो वह फजूलखर्ची करता है।

जैसा कि माननीय यूसुफ ने कहा, आज मंहगाई की हालत क्या है, उसका प्रतिशत आज किस कदर बढ़ता चला जा रहा है, आज हर मजदूर में असन्तोष व्याप्त है। चीनी मिल के मजदूरों के बारे में जो पिछला कमीशन बैठा हुआ था उसके मंजूरशुदा महंगाई इन्डेक्स के मुताबिक जितनी मजदूरी आज उनको मिलना चाहिये वह यह सरकार नहीं दिला रही है। मंहगाई की दर आज दस प्वाइंट तक आगे बढ़ गई है।

आज उनके अलावा खेतिहर मजदूरों की हालत क्या है? यह सरकार श्रम कल्याण योजनाओं के द्वारा श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है लेकिन आज अगर सरकार में हिम्मत है तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मुताबिक उसने

खेतिहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में क्या काम किया है ? यह सरकार पूर्णतया खेतिहर मजदूरों की उपेक्षा करती है और मेरा निवेदन है कि अगर यह सरकार खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ नहीं कर सकती और उसे उनकी उपेक्षा ही करना है तो मजदूरों की लिस्ट से ही वह उनका नाम निकाल दे और महज इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में ही दावा करे तो ठीक होगा।

सेवा आयोजन के बारे में भी मैं कहूंगा कि यह विभाग भी बिलकुल निकम्मा साबित हो चुका है क्योंकि सेवा योजन के संबंध में इस सरकार का कोई निश्चित दावा हो ही नहीं सकता कि उसके पास कितनी नौकरियां थीं, कितनी सूचनायें आईं और उनके लिये कितने लोगों को नौकरी दी गई। यहां से नौकरी उनको दी जाती हैं जिनके नाम पहले से तय होते हैं और उन्हीं के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा चले जाते हैं और उन्हीं को फार्मेलिटी आब्जर्व करते हुये एम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा कर दिया जाता है। इस तरह की धोखाधड़ी की बातें बन्द होनी चाहियें और एम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में लोगों के अन्दर अच्छी भावना हो, उनमें उसके प्रति विश्वास बढ़े और वह लोगों के लिये दरअस्ल कामदिलाऊ दफतर बन सके इस ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं.....

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आप केवल अपोजीशन को ही मौका दे रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

आप तो खड़े ही नहीं हुये।

श्री एस० जी० दत्त—

आप तो खड़े होने से पहले ही नाम पुकार देते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं आशा करता था कि जब सरकार ने एक समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया है और इस बात का साफ तरीके से एलान किया है कि हम समाज में एक जनतांत्रिक सिद्धान्त का निरूपण करना चाहते हैं जिससे कि उत्पादकों और श्रमिकों, दोनों को ठीक तरह से चलाया जा सके, दोनों को हिस्सा आज की महंगाई को देखते हुये ठीक से मिल सके और उनकी सर्विस कन्डीशन्स दुरुस्त हो सकें। मैं समझता था कि श्रम मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया होगा और उन्होंने कोई सही नीति अपनाई होगी लेकिन मुझे दुख है कि माननीय श्रम मंत्री जी को सुनने के बाद मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उनके पास कुछ कहने को था ही नहीं, लेकिन श्रमिकों के बारे में यह आवश्यक है कि उन की नीति स्पष्ट हो। जब आपने कोड आफ डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल ट्रस्ट के दो मौलिक सिद्धान्तों को आपत्तिकालीन स्थिति में शान्ति बनाये रखने के लिये माना है जिससे श्रमिक और एम्प्लायर्स के रिलेशन्स को ठीक किया जाय, तो जहां एक तरफ श्रमिक उसका पालन करते हैं वहां सरकार और एम्प्लायर्स क्या उसका पालन करते हैं ? यदि नहीं करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कायदे, कानून श्रमिकों के लिये ही हैं। अगर एम्प्लायर की तरफ से कोई ज्यादती होती है उसको मजदूर कैसे दूर करें ?

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

हमारे यहां प्रदेश में ७१ चीनी मिलें हैं, उनके मजदूरों के लिये वेज बोर्ड का फैसला हुआ। हम उम्मीद करते थे कि उनकी वर्किंग कंडीशन्स, वेजेज और फिटमैन के केज को सही तरीके से निश्चित किया जायगा, उस वेज बोर्ड की सिफारिशों का पालन करेंगे। लेकिन ९,००० फिटमैन के केसेज पड़े हुए हैं। उस बारे में सरकार ने क्या क्या किया? आज जब क्वार्टर्स की बात करते हैं वेज बोर्ड ने क्वार्टर्स का स्पेसीफिकेशन किया है लेकिन उसके मुताबिक चीनी मिलों के मजदूरों के क्वार्टर्स नहीं बने हैं, बल्कि ऐसे हैं जहां सुअर भी नहीं रखे जा सकते और क्वार्टर का किराया भी वेज बोर्ड के अनुसार काटा जाता है। इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया है? एल० ए० टी० एवार्ड के मुताबिक जो शुगर फैक्ट्रीज के मजदूरों को बोनस डेढ़ करोड़ रु० के करीब मिलना चाहिये था उसको क्यों नहीं कार्यान्वित किया गया? क्या यह स्पष्ट नहीं करता कि आपकी नीति मजदूर परस्त नहीं है, बल्कि कैपिटलिस्ट्स के पक्ष में है? मैं चाहूंगा मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

आज कम्पलसरी ऐडजुडीकेशन करना चाहिये। ऐसा न होने से मजदूरों में बड़ा असंतोष है। ऐक्यूज्ड को भी अपनी बात रखने का, अपना वकील करने का अधिकार मिला है, लेकिन मजदूर की जिन्दगी को कंसीलियेशन अफसर के पास लटका दिया है। सहजनवा जूट मिल के हजार, डेढ़ हजार मजदूर एक पोस्ट कार्ड पर १९५३ में निकाल दिये गये। जस्टिस धवन ने ७ अक्तूबर को फैसला दिया और मजदूर विभाग के सारे अधिकारियों को चार्ज किया कि उन्होंने गैरकानूनी ढंग से निकाला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मिल मालिक अपील में नहीं जाते, सरकार पहले अपील में जाती है। सरकार क्यों जाती है जब हाई कोर्ट का फैसला हो गया कि मजदूरों को रखा जाय और हाई कोर्ट ने अधिकार दिया कि उनके मामले को देख कर कम्पलसरी ऐडजुडीकेशन में भेजें? मैं वहां का वर्किंग प्रेसीडेंट हूं, ६ महीने तक जेल में पड़ा रहा, मैं न्याय चाहता था कि आप हमारे मामले को कम्पलसरी ऐडजुडीकेशन में भेज दें। लेकिन आप जानते थे कि मिल मालिक वहां हार जायेंगे इसलिये हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। १९५३ से लगातार आज तक मुकदमा लड़ने के बाद ७ अक्तूबर को जो फैसला होता है तो मिल मालिक तो बाद में जाते हैं, सरकार पहले पहुंच जाती है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो आज डी० ए० का सवाल है वह सवाल मजदूरों के सामने सब से बड़ा है। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। आपने कोई वेज बोर्ड भी नहीं बनाया है। शुगर वेज बोर्ड की तरह से एक बोर्ड बनाइये जो महंगाई के स्तर को देखते हुए सही तरीके से उनके डी० ए० को फिक्स करे।

फर्टिलाइजर के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहां पूर्वी जिलों में एक फर्टिलाइजर का कारखाना खोला जा रहा है। आज अगर हम कोई उद्योग की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पूर्वी जिले में तो फर्टिलाइजर का कारखाना खोल दिया गया। पर, श्रीमन्, हालत वहां की क्या है। वहां पर आज मजदूर कहां से आ रहे हैं? श्रीमन्, ये मजदूर नांगल से आ रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री जी, आप हमें आज सफेद हाथी दिखा कर एक इन्डस्ट्री देकर यह कह कर के यह पूर्वी जिलों के लिये लूट कर रहे हैं। श्री टी० एन० सिंह, जो प्लानिंग के मेम्बर थे उनकी सिफारिश पर श्री राठौर का ट्रान्सफर मुख्य मंत्री ने कैन्सिल किया। श्रीमन्, वहां पर देखने से पता चलेगा कि किस तरह से पंजाबी, जो कि हमारे सूबे के नहीं हैं और जो हमारे सूबे के नागरिक भी नहीं हैं, उनको इस कारखाने में रखा जाता है। पंजाब के एक अधिकारी को की पोस्ट (key post) पर रखकर हमारे मजदूरों को नहीं रखा जाता है। जिस तरीके से वातावरण जूट मिल के मजदूरों में है वह बड़ा शोचनीय है। जूट मिल मजदूरों को अभी तक उसके क्या एवार्ड है नहीं देख पाये। सहजनवा जूट मिल, महेश्वरी देवी, तथा जे० के० जूट मिल में जितनी तनख्वाह मजदूर पाते हैं वह भी घटती जा रही है। एक भारी असंतोष व्याप्त है।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय सदस्य का प्रस्तुत अनुदान पर भाषण सुना और मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी, जो भी कमजोरियां या खामियां बतायी गयी, श्रमिकों की हालत सुधारने के लिये, उन पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे। जहां तक सरकार की नीतियों का संबंध है, मैं सरकार को उसके लिये बधाई देता हूं कि सही दिशा में नीतियां अख्तियार की गयीं, उनकी माली हालत सुधारने के लिये। लेकिन जो कदम सरकार उठाती है वह दृढ़ता के साथ बहुत कम होता है और उसमें बहुत समय लगता है। उदाहरण के रूप में एक प्रमाण में पेश करना चाहता हूं। श्रमिकों के रहने के लिये मकानों की व्यवस्था की गयी, लेकिन जब वे मकान बने तो सोचा कि उन मकानों का किराया तो श्रमिकों के लिये बहुत था, तो बाहर के लोगों को किराये पर उठा दिये गये। यह कदम बहुत अनुचित था। जो मकान श्रमिकों को मदद करने के लिये हैं वे श्रमिकों को ही दिये जाने चाहिये थे। अगर वे उनकी आय के, उनकी पेइंग कैपेसिटी के बाहर है तो सरकार को चाहिये था कि वह किराया कम करे और उनको राहत दे।

इसी प्रकार इस सदन में मैंने सरकार का ध्यान कई बार दिलाया है कि जो श्रमिकों का ४–६ दिनों का वेजेज होता है और जो उनसे छूट जाता है तो उसको पाने के लिये एक गोरखपुर का मजदूर कानपुर में नहीं जा सकता है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा प्रबन्ध हो जाये कि कम से कम उस मजदूर को, जो मजदूरी कमा लेता है, उसकी वह मजदूरी जरूर उसको पहुंचनी चाहिये। कोई इनसान जो तनिक भी इन्सानियत रखता है ऐसा करने को तैयार नहीं होगा कि मजदूर को उसकी मजदूरी न दे। मजदूरों की मजदूरी अगर मिल मालिक किसी फंड में जमा करे तो उसको वहां से निकलवाकर चैरिटी फंड में जमा करा दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार को कतई शोभा नहीं देता है। मजदूर की जो मजदूरी है वह उसको पहुंचा देनी चाहिये। जितने एवार्ड होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती है, वह नहीं होना चाहिये। सरकार को मजदूरों को सपोर्ट करना चाहिये, इसलिये कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिये। सरकार की हर इमदाद और सहायता मजदूरों को मिलनी चाहिये। एवार्ड का बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोसेस है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी आनाकानी होती है और मिल मालिक उसको नहीं मानता। मैं समझता हूं कि सरकार का कर्त्तव्य है कि सरकार उसे इम्प्लीमेंट कराये और जो उसे मानने को तैयार न हो उसके खिलाफ कार्यवाही करे। कोई भी आदमी सरकार के हुक्म को नहीं मानता है तो जस्टिस डिमांड करता है कि सरकार उसे मनवाये वर्ना किसी के साथ सोशल जस्टिस नहीं हो सकेगी और कानून खोखला रह जायगा, कोरा रह जायगा। हमारी सरकार जनता को ताकत नहीं पहुंचा सकेगी। यह नाकाफी है कि हम कानून बनायें लच्छेदार, आदर्शवादी, सब लोगों के खुश करने की बात उसमें हो लेकिन उससे लोगों को सोशल जस्टिस न मिल सके। तो वह कानून खोखला है, मृतक है। ऐसे कानून से समाज को फायदा पहुंचने का नहीं है। माननीय मंत्री जी को लम्बा अनुभव है। राजनीतिक प्रांगण के वे खिलाड़ी हैं और उसी में वह जिन्दा रहना चाहती है, तो उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि मुल्क के अन्दर हर किसी को वह सोशल जस्टिस पहुंचायें। इसलिये मेरा उससे निवेदन है कि मजदूरों को माकूल मजदूरियां अवश्य मिलनी चाहिये। एक कवि ने कहा है—

"Our soul which rises with us
Our life's star has hath its setting
and cometh from a for
Not in entire forgetfulness not in
utter nackedness
Butt trailing clouds of glory do we come
from God who is our home."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हम भगवान के घर से इस दुनिया में आते हैं उसके मकसद को हल करने के लिये। हर इंसान के पास एक प्रकार का प्रकाश है, शक्ति है, टेलेंट है। जो सरकार उस टेलेंट को विकसित करने में उसका सहारा नहीं हो सकती वह सरकार बेकार है। हम भगवान के उस प्रकाश और विकास को संसार में फैलाना चाहते हैं क्योंकि वह हमारी जिन्दगी का लक्ष्य है और मैं समझता हूं कि जब हमारी वेलफेयर स्टेट हमसे वायदा करती है कि वह लोगों का भला करेगी, उनको कपड़ा, खाना देगी, उनके रहने-सहने की व्यवस्था करेगी, नौकरी दिलायेगी, शिक्षा देगी, तो मैं समझता हूं कि उस जिम्मेवारी को जम्हूरियत की बेसिस पर सरकार को निभाना चाहिये।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जहां इंडस्ट्रीज हैं वहां लेबर होना चाहिये और होता है, लेकिन आज भी हमारे यहां की लेबर प्राब्लम जैसी २० साल पहले थी वैसी ही है। तीसरी योजना का अन्त होने जा रहा है लेकिन वह प्राब्लम अपनी जगह पर मौजूद है। जो हमारी ट्रेड यूनियन्स हैं मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कोई रचनात्मक कार्य मजदूरों के लिये किया है। यदि कोई किया हो तो बतावें। उन्होंने डोनेशंस के नाम पर मजदूरों से करोड़ों रुपया लिया लेकिन क्या कोई लाइब्रेरी कायम की, क्या कोई उनमें शिक्षा प्रसार का काम किया और क्या कोई कोआपरेटिव बेसिस पर इंडिपेंडेंट डिस्पेंसरी कायम की जिसमें उनकी मुफ्त चिकित्सा हो सके? केवल लम्बे-चौड़े नारों से कि "मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी कपड़ा और मकान" मजदूरों का हृदय थोड़ी देर के लिये अपनी तरफ आप कर लेते हैं लेकिन सही मानों में कोई भला नहीं होता। मेरा मत है कि ट्रेड यूनियनिज्म इंडिपेंडेंट हो। किसी राजनीतिक दल के आधार पर उसका निर्माण न हो, तब मजदूरों का, मिल मालिकों का और श्रम विभाग का एक स्तर बनेगा। आज ट्रेड यूनियनिज्म एक राजनीतिक दलदल में फंसा हुआ है। दूसरे मुल्कों में जहां डेमोक्रेसी है वहां ट्रेड यूनियनिज्म बिलकुल इंडिपेंडेंट है, किसी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित नहीं है। लेकिन हमारे यहां इस तरह की यूनियनिज्म को बढ़ावा देने के लिये डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी और दूसरे लोगों ने बड़ा प्रयास किया।

जयप्रकाश नारायण जी के भी विचार हमने पढ़े हैं। बड़े इंडिपेंडेंट विचार हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि एक तरफ तो हमारी कांग्रेस ट्रेड यूनियनिज्म में इंडिपेंडेंस की बात कहती है और दूसरी तरफ आई० एन० टी० यू० सी० की स्थापना करती है और उसमें बिलकुल डिमारलाइज्ड किस्म के लोगों की लीडरशिप, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट डिमोक्रेसी में हासिल हो जाय, पैदा करती है। इसी वजह से हमारे यहां ट्रेड यूनियनिज्म आई कि एक ओर हम करोड़ों रुपये बोनस की मांग करते हैं और दूसरी ओर वही ट्रेड यूनियनिस्ट्स १०, २० हजार रुपयों पर मिल-मालिकों के हाथ बिक जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ट्रेडयूनियनिस्ट्स से कि क्या आपका यही मारल करेक्टर है कि एक ओर लेबर को आप बोनस के लिये भड़कावें और दूसरी ओर मिल ओनर से रुपया लेकर उनके हाथ बिक जावें। यही क्या आपका कर्त्तव्य है? थर्ड ईयर प्लान में लिखा है :—

> "Joint Management Councils should be set up in all establishments in the public as well as the private sectors in which conditions favourable to the success of the scheme exit."

आज नेशनलाइजेशन की बात कही जाती है कि होना चाहिये। हम कहना चाहते हैं कि नेशनलाइजेशन की अपेक्षा पहले सोशलाइजेशन होना चाहिये। मैनेजमेंट के अन्दर मजदूर का प्रतिनिधि जो स्वयं मजदूर हो वह, मिल-मालिकों और उपभोक्ता जो उस मिल के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रोडक्शन को इस्तेमाल करता है उनके प्रतिनिधि होने चाहियें, जिनके ऊपर सदन में लोगों ने कहा कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को भी पता लगे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है। इन तमाम कामों के लिये इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे देश में सुदृढ़ समाजवादी समाज की स्थापना हो सके, जिसकी देश को अत्यंत जरूरत है और इस तरह से सही सोशलिज्म की स्थापना हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि हम देश में सोशलिस्टिक समाजवाद चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते हैं और कुछ कहते हैं कि हम देश में मार्क्सवादी समाजवाद चाहते हैं। आखिर समाजवाद है क्या? आखिर आपने समाजवाद को आंवले का मुरब्बा बना रखा है! आपने देश की करोड़ों जनता को गुमराह करने के लिये सस्ती और चीप बात कह कर समाजवाद को एक खिलौना बना रखा है। महलों में रहने वाले आदमियों के लिये, मोटरों में बैठने वाले मंत्रियों के लिये और उन बड़े-बड़े नेताओं के लिये जो किसी कमेटी के चेयरमैन के रूप में उंची-ऊंची जगहों पर बैठे हुये हैं, उनके लिये समाजवाद एक खिलौना है। असल में समाजवादी समाज की तो उस इंसान को जरूरत है जो गरीबी, बेकारी और भुखमरी का शिकार है, जिसका छोटा-सा झोपड़ा है जिसमें उसकी बीबी और बच्चे रहते हैं और वह टी० बी० का शिकार होता है। उसके बाद जब वह टी० बी० का शिकार हो जाता है तो उसको दवा तक नहीं मिलती है। यह लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करने वाले मंत्री जी और उनकी सरकार द्वारा उनके लिये दवा और शय्या की व्यवस्था नहीं हो सकी।

श्रीमन्, मैं एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधि हूं जिसका संबंध प्रदेश की महिलाओं के सुहाग से है। फीरोजाबाद में चूड़ियां बनती हैं और उसमें ४० हजार मजदूर काम करते हैं। उनकी कुल लाइफ १० साल होती है। किसी जमाने में जो सब से बढ़िया और शानदार काम है, जिसको एक मुसलमान कारीगर फारेन से लाया था उसने काटेज इंडस्ट्री के रूप में यहां इसे स्थापित किया था। इस काम में सब से अच्छे कारीगर की आमदनी ५० रुपये प्रति सप्ताह है। लेकिन वह १० साल के बाद टी० बी० का शिकार हो जाता है। दूसरे कारीगर हैं जो जुड़ाई का काम करते हैं; यह काम जुड़ाई का कैरोसीन से होता है। इसके संबंध में हमारी सरकार ने एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला था और सरकार ने चाहा था कि गैस प्लांट कायम किया जाय जिससे मजदूरों के जीवन को बचाया जा सके। एक स्कीम के अन्तर्गत एक छोटे से इलाके में एक गैस प्लांट दिया गया। लेकिन वह एक प्रतीक की तरह रह गया है। उसका कोई इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ। १० वर्ष का बच्चा जो एक्ट के अनुसार मजदूरी नहीं कर सकता है लेकिन गरीबी और बेकारी के कारण मजदूरी करता है वह २० वर्ष में टी० बी० का शिकार हो जाता है। टी० बी० के अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग से मालूम हो सकता है कि कितने आवेदन-पत्र वहां के मजदूरों के हैं। इस तरह से मजदूरों के श्रम का शोषण होता है, इसलिये कि वह इंतजार कर रहा है कि आपका समाजवाद कब आयेगा। कोई झोंपड़ी से, कोई बैल पर बैठकर नारे लगाता है और कोई हवाई जहाज से समाजवाद के इश्तिहार बांटता है। उसने इसके लिये ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका और आपके समाजवाद की आज भी इन्तजार कर रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी मजदूरों से, ग्लास इंडस्ट्री में, १०, ११ घंटे काम लिया जाता है। लेकिन फैक्टरी इंस्पेक्टर, लेबर लीडर्स और लेबर से न मिल कर, कारखाने में बैठ कर चाय पी कर और इनाम ले कर वापस चले जाते हैं। यह है लेबर विभाग के लोगों का कैरेक्टर।

*श्री एस० जी० दत्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस लेबर ग्रांट के सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे बहुत से साथी जो खास मजदूरों में काम करते हैं उनके भाषण हुए। अभी माननीय उग्रसेन जी ने यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री एस० जी० दत्त]

कहा कि कांग्रेसी मिनिस्टर जब जाते हैं शहर कानपुर में तो बागला, सिंहानिया के यहां ठहरते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस में हो वह अपने मुल्क के किसी अमीर या सरमायदार से बातचीत नहीं कर सकता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट जब आयेगी तभी वह ऐसा कनून पास कर सकती है। इसके साथ ही जब इनको पैसों की जरूरत होती है, लोहिया साहब का एलेक्शन था, तो लोहिया साहब ने खुद सिंहानिया से, जैपुरिया से पैसा हासिल किया।

श्री अधिष्ठाता---

व्यक्तिगत आरोप आप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री एस० जी० दत्त---

आरोप नहीं; यह बिलकुल हकीकत है क्योंकि उस एलेक्शन में मैं काम कर रहा था। हाथी के दांत खाने के और व दिखाने के और। (व्यवधान) मैं सही कहता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

यह निहायत तूफाने बदतमीजी सदन में बरदाश्त नहीं किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं है, जैसे डाक्टर लोहिया का नाम लिया....

श्री काशीनाथ मिश्र---

इनके जैसे लोग चपरासगीरी करते हैं डाक्टर लोहिया की।

श्री अधिष्ठाता---

आप भी ऐसा न कहिये।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

यह जो इन्होंने बदतमीजी और चपरासगीरी शब्दों का प्रयोग किया है वह एक्सपंज होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

कोई चपरासी होने से सोशलिस्ट पार्टी छोटा-बड़ा नहीं मानती। वह तो योग्यता के आधार पर मानती है।

श्री एस० जी० दत्त---

जो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने मजदूरों की हालत खराब कर दी, ऐसा मालूम होता है कि कहने वाले हैं उनके दिमाग में यह है कि कांग्रेस को मजदूरों से हमदर्दी नहीं है बल्कि वह उनकी हालात को खराब करने वाले हैं। लेकिन मैं क्या कहूं? अंधों की दुनियां बसती है, आंख रखते हुये देखते नहीं हैं, कान रखते हुए सुनते नहीं हैं और इस तरह की बातें करा कर हाउस में महज एक पोलिटिकल स्टंट के लिये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में मजदूरों की हालत खराब हो गई है जबकि आज उनकी हालत जो अंग्रेजी राज में थी उससे बहुत बेहतर हो गई है। कांस्टीट्यूशन के तहत में उनको बोलने की आजादी, काम करने की आजादी और जस्टिस मिलने की आजादी, हर तरह की आजादी हासिल है। यह कहना सरासर कि हालत खराब कर दी, ऐसा मालूम होता है कि अन्धे को अन्धेरे में दूर की सूझी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मजदूरों के वेलफेयर के लिये बहुत कुछ सरकार ने किया। वेलफेयर सेंटर्स बहुत से खोले, २५ हजार क्वार्टर्स उनके लिये बनवाये, उनके मनोरंजन के लिये बहुत सारी

बातें कीं, अदालतें खोलीं जिसमें कि अगर कहीं उनके साथ बेइन्साफी हो तो वहां जाकर न्याय प्राप्त कर सकें। उसमें कुछ कमी है तो उसको दुरुस्त किया जायगा। ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कहना कि मजदूरों की आवाज नहीं है, यह गलत बात है।

हां, मैं आपके साथ यहां तक मुत्तफिक हूं कि बाज मिल ओनर्स मजदूरों के हकों को पूरा-पूरा नहीं देते लेकिन बाज-बाज देते भी हैं। जो सफाई की बात है वह कहनी चाहिये। जैसे बोनस है, बोनस बंटता है। सब कुछ है लेकिन बाज मिल वाले नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। वह कहते हैं कि घाटा हो गया और जहां घाटा का सवाल आता है वहां बोनस का सवाल नहीं उठता है। इसलिये यह कहना कि सब सरमायेदार ऐसे हैं, यह बात भी ठीक नहीं है। बाज सरमायेदार ऐसे हैं कि जो हम लोगों से भी ज्यादा आजाद खयालात के हैं और लिबरल हैं। ट्रेड यूनियन्स के बारे में भगवानदास जी ने कहा, मैं उनसे बिलकुल मुत्तफिक हूं। मैंने पिछले वर्षों में भी कहा था कि ट्रेड यूनियन्स में पोलिटिकल पार्टीज के मेम्बर्स को काम नहीं करना चाहिये। माननीय राजनारायणसिंह उस वक्त यहां पर थे, वह कहते थे कि नहीं, उनको हक है और मैं कहता था कि नहीं, अगर ट्रेड यूनियन्स को बिलकुल सही तरीके से चलाना है तो किसी पोलिटिकल पार्टी को उसमें काम नहीं करना चाहिये। सिर्फ मजदूरों को ही उस यूनियन के काम को चलाना चाहिये। लेकिन इसमें माननीय राजनारायणसिंह को बड़ा एतराज था। पोलिटिकल पार्टीज जब उसमें काम करती हैं तो उसमें उनकी खुदगर्जी आ जाती है। वह मजदूरों को अपनी तरफ करके भड़काने की कोशिश करते हैं और कहीं-कहीं स्ट्राइक वगैरह करवा देते हैं हालांकि कांस्टीट्यूशनल मेथड्स से बहुत कुछ काम हो सकते हैं। मिल मालिक और मजदूरों दोनों को कांस्टीट्यूशनल मेथड अख्तियार करके पीसफुली समझाया जा सकता है। लेकिन यह नहीं होता है। तो मेरा कहने का मलतब यह है कि अगर पोलिटिकल जमातें इनसे दूर रहें तो इन ट्रेड यूनियन्स की हालत बहुत अच्छी हो जायगी। यह जो आई० एन० टी० यू० सी० और ए० आई० टी० यू० सी० वगैरह हैं सबका यही एक ही तरीका है; उनमें भी कोई फर्क नहीं है।

अब मैं कानपुर के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। कानपुर माननीय अधिष्ठाता महोदय, टी० बी० का सेन्टर सारे वर्ल्ड भर से बड़ा सेंटर है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि टी० बी० हास्पिटल्स और खोले जायं ताकि मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा सहायता हो सके।

दूसरी बात एलगिन मिल के लिये सरकार से यह इस्तदुआ करूंगा कि उसकी हड़ताल खत्म करा के उसे चलाने का कष्ट करें। इसमें सरकार का नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है और मजदूरों का नुकसान हो रहा है। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। साथ ही जो श्रम मन्त्री द्वारा अनुदान प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे किसी माननीय सदस्य ने यह बतलाया था कि यह श्रम विभाग, जो माननीय सहकारिता मन्त्री के हाथ में है, यह एक कांग्रेसी वालन्टरी डिपार्टमेंट है, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं बड़े आदर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम विभाग में भले ही शिथिलतायें हों, भले ही पूरी तरह से काम न करता हो लेकिन उनका मंशा क्या है, अब उस मन्शा की ओर अपना ध्यान दें। क्या यह सही है कि जो श्रमिकों की अवस्था १०, २० साल पहले बदतर थी वैसी ही आज भी है? आप देखते हैं कि आज श्रमिकों के लिये कितने कार्य किये जा रहे हैं। फिर भी कुछ दिक्कतें हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड जो निश्चित किया गया था मजदूर और मिल-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति 'अंचल']

मालिकों के बीच में, उस पर अभी पूरी तरह कार्य नहीं हो रहा है और उसका पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ हिस्से का पालन हो रहा है। जितना वह मिल-मालिकों के पक्ष में है उसका पालन मिल-मालिक कर लेते हैं और शेष का नहीं करते। जैसे समय का बढ़ाना, रविवार की छुट्टी में काम लेना, इनका पालन पूरी तरह से हो रहा है। लेकिन ओवर टाइम देना, छुट्टी के दिन का पैसा देना, निकाले हुये मजदूरों को काम देना, इनका पालन नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त आपका जो न्यू विक्टोरिया मिल है जिसको नोटिस दी गई है कि हम शीघ्र हड़ताल करने जा रहे हैं, उस मिल की तरफ में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी हड़ताल प्रदेश के श्रमिकों में नहीं होनी चाहिये। एलगिन मिल के बारे में एक माननीय सदस्य ने दबे शब्दों में जिक्र किया। एलगिन मिल में हड़ताल चल रही है। ६ हजार आदमी १२ दिन से बेकार बैठे हुये हैं। ६ हजार आदमियों के परिवार में ३० हजार आदमी हो सकते हैं। ३० हजार आदमियों के रोटी और कपड़े का सवाल है। माननीय मंत्री जी गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करें। हम उनको उत्तर प्रदेश का एक कर्मठ व्यक्ति समझते हैं जिनके हाथ में यह विभाग है और जो सर्वसत्ता सम्पन्न हैं। वह इसमें सब कुछ कर सकते हैं। अगर वहां पर हड़ताल चल रही है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि तत्काल हस्तक्षेप करके उस हड़ताल को रोका जाय और उन ३० हजार आदमियों की रोटी और कपड़े की समस्या का समाधान करने की चेष्टा करें।

एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने बड़ी आलोचना की। आलोचना करने का अधिकार हम सबको है लेकिन हमको देखना यह है कि जो हम कटौती का प्रस्ताव यहां पर रखते हैं, क्या कटौती का प्रस्ताव करके और विरोध करके हम उनकी सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने श्रमिकों के लिये जहां हम यह चाहते हैं कि उनके बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें और उनके बीच में मांटेसरी स्कूल खोले जायं, उनकी पत्नियों के लिये मेटरनिटी सेन्टर खोले जायं, उनकी गर्भवती स्त्रियों के लिये समुचित स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध हो और उनकी रक्षा के लिये डाक्टर भेजे जांय, तो यह बिना पैसे के नहीं होगा। इसलिये पैसा दें और जी खोलकर पैसा दें और इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे यहां रोजा शुगर फैक्टरी शाहजहांपुर में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। वहां पर चीफ मैनेजर को ६,५०० रुपये वेतन मिलता है। मैं समझता हूं कि हमारे राज्यपाल को भी इतना वेतन नहीं मिलता होगा। वहां का मजदूर केवल ४० रुपया वेतन पाता है। इसके साथ-साथ वहां के श्रमिकों के साथ दूसरी तरह का व्यवहार होता है। वहां अंग्रेजों की जो बुनियादी नीति थी उसका प्रतिपादन आज भी होता है। तो वहां के लेबर की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने की ओर माननीय मंत्री जी ठोस कदम उठायें। कानपुर में केसा की एक कालोनी है जिसके लिये सरकार गारन्टी दे चुकी थी कि उसको वह फरवरी में बनवायेगी। इसी तरह से कंज्यूमर सोसाइटी के लिये सरकार की घोषणा हो चुकी थी। यह मैं निश्चित तौर पर जानता हूं, लेकिन उसका प्रादुर्भाव नहीं हुआ। एक सुनारों की समस्या भी हमारे विचाराधीन है और उस तरफ भी मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि कविता आवश्यक है और वह मैंने कुंवर श्रीपाल जी के कहने पर लिखी थी इसलिये वह पढ़ रहा हूं और आशा है वह मंत्री जी को पसंद आयेगी। कविता इस प्रकार है :—

श्रीमन्, श्रमिक राष्ट्र के बल हैं, करें राष्ट्र उत्थान,
स्वीकृत करिये श्रम विभाग का सम्पूर्ण अनुदान।

श्रमिक राष्ट्र के संचालक हैं, इस समाज के प्रतिपालक हैं,
श्रम के रथ के प्रिय चालक हैं, धरती के सच्चे बालक हैं।
यह सच्चे दधीचि से दानी, इन्हीं से है सम्मान,
स्वीकृत करिये इनका अनुदान ।।
करूं समर्थन श्रम विभाग का, हो स्वीकृत अनुदान ।
यह अपने श्रम बिन्दु, बहाते, धूप धूल से सदा नहाते,
खुद मिट कर सुख–धार बहाते, सदा राष्ट्र श्रृंगार सजाते,
दानी कर्ण समान श्रमिक हैं, करें नया निर्माण,
पूर्ण करिये इनका यज्ञ महान्,
स्वीकृत करिये श्रम विभाग का सम्पूर्ण अनुदान ।
सूर्योदय के साथ चल पड़े, और काम में हाथ चल पड़े।
माथे पर ज्यों अधिक बल पड़े, त्यों श्रमिकों के और बल बढ़े।
थक जाती है थकी, न थकते यह हैं श्रमिक महान्
इनको पूरा दो अनुदान,
करूं समर्थन श्रम विभाग का, हो स्वीकृत अनुदान ।
श्रीमन्, राष्ट्र अभिमान श्रमिक हैं, श्रीमन्, राष्ट्र उत्थान श्रमिक हैं,
श्रीमन्, राष्ट्र अरमान श्रमिक हैं, धरती के कल्याण श्रमिक हैं,
यदि चाहें तो ला सकते हैं, वे नित नया बिहान,
मान्यवर, इनको दो पूरा अनुदान,
श्रीमन्, श्रमिक राष्ट्र के बल हैं, करें राष्ट्र उत्थान,
करूं समर्थन श्रम विभाग का हो स्वीकृत अनुदान ।।

*श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं बड़ा आभारी हूं उन सब सदस्यों का जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और उनका भी आभारी हूं जिन्होंने समर्थन नहीं किया लेकिन फिर भी अपने सुझाव रखे। वैसे तो मुझे ७ मिनट का समय मिला है और पहले भी १० मिनट का मिला था, तो थोड़ी-सी बातें मांग के रूप में इंगित कर देना चाहता हूं। यह मांगें जनसंघ की तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूं।

राज्य कर्मचारियों के लिए द्वितीय वेतन आयोग जल्दी से जल्दी निश्चित कर देना चाहिए, जिससे उनको समय के और आवश्यकता के अनुसार वेतन निर्धारित हो सके। गवर्नमेंट प्रेस के अन्दर वर्क कौंसिल बनायी जानी चाहिए, कई साल से मामला पड़ा हुआ है। पी० डब्लू० डी० के अन्दर जितने मेंटीनेंस के अन्दर कर्मचारी काम करते हैं उनको निश्चित रूप से स्थायी कर देना चाहिये और बेगार प्रथा समाप्त होनी चाहिए। केसा के राष्ट्रीयकरण के बाद वहां इमाल्यूमेंट घटा है। जैसी उसकी मांग है वेतन आयोग के बिना हड़ताल हो सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपालसिंह]

है, उसके लिए प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिये सेवा आयोग बनाना आवश्यक है। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो प्रान्त और केन्द्र दोनों से सहायता पाती है। वहां नियम है कि एक महीने के नोटिस पर कर्मचारी को निकाला जा सकता है। एक एडेड इंस्टीट्यूशन में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो वहां भी सेवा नियमावली विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए लागू होनी चाहिए जिसमें बोनस और वेतन के क्रम की व्यवस्था हो।

हाउसिंग के बारे में यह है कि सरकार ने जो स्वयं आडिट की रिपोर्ट छापी है १९६३ की, उसके पेज ६४–६५ पर सारा वर्णन है, सब अधिकारी और सदस्यों से प्रार्थना है कि उस को देखें कि किस प्रकार कमरे खाली पड़े रह गये, लाखों रुपया किराया आना चाहिये था, वह नहीं आया। यह जो न्यू झावेरी कालोनी कानपुर में बनी है उसका किराया कम होना चाहिए और वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में पक्षपात हो रहा है। इनटक का जल्दी हो जाता है और मसौधा चीनी कर्मचारी उद्योग संघ की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन १ साल हो गया, कार्यवाही नहीं हुई जबकि ३ महीने में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कमर्शियल ऐक्ट को १० हजार की आबादी की निकायों में तत्काल लागू होना चाहिए, वह नहीं किया जा रहा है। स्वर्णकारों के बसाने और रोजगार देने के बारे में सरकार कुछ नहीं करती। उनको बेरोजगारी का भत्ता देना चाहिए, उसके बिना उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता है, वे बड़ी परेशानी और मुसीबत में हैं। चूड़ी व्यवसाय के उद्योग के व्यापारी, जो फीरोजाबाद के हैं, वह बेकार होते जा रहे हैं। उनका सामान कलकत्ता भेज दिया जाता है, तो उसके लिये सरकार का प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए जिससे वह बेकार न हों। सी० डी० एफ० में कंसीलिएशन बोर्ड की जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक केस कम्पलसरिली आर्बिट्रेशन में जाने चाहिए, इस संबंध में प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिएं। कानपुर की उद्योगिक संस्थाओं के संबंध में सम्पूर्णानंद एवार्ड में जितनी बातें हैं सरकार उनका शीघ्र से शीघ्र पालन नहीं करा लेती तो पता नहीं वहां कब विस्फोट हो जाय, पता नहीं है। म्योर मिल जैसी संस्थायें बन्द हो गयीं, बेकारी बढ़ रही है। २ लाख रुपये का उत्पादन कम होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी एवार्ड लागू किया जाय जिससे मजदूरों में असंतोष समाप्त हो और हड़ताल समाप्त हो। ३० हजार मजदूर आज भूखों मर रहे हैं। तालाबन्दी और महंगाई से सब मजदूर परेशान हैं। वह आपके आभारी होंगे अगर एवार्ड लागू होता है। आज हमारे श्रमिक जबकि अपनी सारी शक्ति लगाकर उत्पादन के काम में लगे हुये हैं, अराष्ट्रीय तत्व उनको भड़काने में लगे हुये हैं। म्योर मिल में तालाबन्दी हुई। उसमें लाखों मजदूरों को भड़काया गया। आज प्रदेश में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो उनको भड़काने में लगी हुई हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और मजदूरों की जो समस्यायें हैं, जैसे बोनस की समस्या, उनके रहने आदि की व्यवस्था तथा और समस्यायें, उनको सरकार तुरन्त हल करे, चाहे उसको उनके लिये डी० आई० आर० का ही प्रयोग करना पड़े। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय नरसिंहनारायण जब बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा कि पंजाब से कुछ श्रमिक बुलवाकर उनसे काम लिया गया, उन्हें नौकरी में नहीं लेना चाहिये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी यह निश्चित राय है, या जोश में आकर कह दिया है (व्यवधान)।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा मतलब यह था कि पंजाब से तो लोग आकर वहां पर काम करें और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, जो यहां के निवासी हैं, चाहें वे पंजाबी हों, या कोई हों, उनको काम न मिले; तो यह मौलिक नीति के खिलाफ है।

*श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस अनुदान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं, किन्तु, मान्यवर, केवल भावनाओं के व्यक्त कर देने से ही किसी समस्या का हल नहीं किया जा सकता। मुख्य रूप से यह आलोचना की गयी कि इस प्रकार की कोई श्रम नीत नहीं है, और इस सम्बन्ध में माननीय उग्रसेन जी की तरफ से जो कहा गया, उस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि वे इस प्रकार की बातें कहने के आदी हो गये हैं कि हम कुछ उद्योगपतियों के हित के लिये ही काम करते हैं। उनके इस तर्क का उत्तर देना एक धृष्टता होगी। वास्तव में हमारी श्रम नीति का आधार एक तो मजदूरों का कल्याण करना है, दूसरे औद्योगिक शान्ति कायम करना है। इसी से उत्पादन बढ़ेगा और अन्ततोगत्वा प्रदेश के मजदूरों की हालत में सुधार होगा।

श्रीमन्, जब से हमारे देश में कांग्रेस की सरकार आयी है तब से उसने बराबर श्रमिकों के लिये प्रगतिशील कानून बनाये हैं। जब कभी भी औद्योगिक झगड़े हुये, उनके द्वारा उनको निबटाने की कोशिश की गयी है। माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने कहा कि हमारी औद्योगिक नीति विफल रही है। मान्यवर, आप देखें कि कन्सीलिएशन बोर्ड के सामने सन् १९६३ में कुल ४,३९६ केसेज गये हैं और उनमें से उसने ४,१२९ केसेज का निबटारा किया, २६७ बाकी रहे। इसके अलावा भी आर्बिट्रेशन द्वारा बहुत से केसेज का निबटारा हुआ। १६३ केसेज में से ५२ में आर्बिट्रेशन हुआ, और ८२ साल के अन्त तक नहीं हो पाये। जहां तक इम्पलीमेंटेशन का सवाल है, ४९५ अवार्ड्स को एनफ़ोर्स किया गया, लेकिन उनमें से २३ को कोर्ट्स द्वारा स्टे कर दिया गया और अभी १६ में इम्पलीमेंटेशन का सवाल पैदा नहीं होता है। इस प्रकार ४५६ एवार्ड्स में से ३१४ को, यानी ६९ फ़ीसदी को, कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। केवल १४२ को अब तक कार्यान्वित किया गया है। इस तरह से कंसीलिएशन मशीनरी अपनी क्षमता के अनुसार पूर्णतया काम करने का प्रयत्न कर रही है। हम बराबर इस सम्बन्ध में जागरूक हैं कि कंसीलिएशन बोर्ड में केस का निर्णय जल्दी से जल्दी किया जाय। जहां तक इंडस्ट्रियल कोर्ट्स और लेबर ट्रिब्यूनल्स का सवाल है, हम उनकी एक कान्फ्रेन्स बुला कर निर्णय करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल कोर्ट्स मजदूरों के विवादों का शीघ्र से शीघ्र निर्णय करें। साथ ही, मैं मजदूर नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादातर मजदूरों के केसेज में जो देरी होती है—जिससे उन्हें भारी क्षति पहुंचती है—वह या तो उनके एडजर्नमेंट की दरख्वास्त से होती है या एम्पलायर्स की ओर से जितनी दरख्वास्तें होती हैं उनमें हमेशा मजदूरों की सहमति होती है। इसका नतीजा यह होता है कि केसेज में देरी होती है। मैं समय के अभाव के कारण इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

सरकार के पास परमिशन देने के लिये जो केसेज हैं उनके बारे में क्या पोजीशन है ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि सारे केस आर्बिट्रेशन में जायं। मैं समझता हूं कि शायद आर्बिट्रेशन से उनका मंशा यह नहीं होगा, बल्कि एडजूडिकेशन से होगा। आर्बिट्रेशन तो पारस्परिक रज़ामन्दी पर होता है। लेकिन अगर हम सारे केसेज को रिफ़र करना चाहें तो बहुत बड़ी मशीनरी कायम करनी होगी और उसके द्वारा स्वयं मजदूरों को भी काफ़ी देरी होगी। इसलिये कंसीलियेशन बोर्ड में लेबर विभाग काफ़ी छानबीन करता है और जो केस एडजूडिकेशन में भेजने क़ाबिल होते हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र भेजने की कोशिश करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

कम्पलसरी एडजूडिकेशन में क्या आपत्ति है आपको ?

श्री उग्रसेन---

कितनी दरख्वास्तें कम्पलसरी एडजूडिकेशन के लिये लगी हुई हैं जिन पर फैसला नहीं हुआ है ?

श्री बनारसीदास---

माननीय मजदूर नेता इस बात के लिये बराबर जोर देते रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय और अबकी मर्तबा जबकि त्रिदलीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें सभी पक्ष के मजदूर नेता सहित, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मिस्टर डांगे और हिन्द मजदूर सभा के नेता भी शमिल थे, सर्वसम्मति से वहां यह प्रस्ताव पास हुआ कि एडजूडिकेशन की अपेक्षा आर्बिट्रेशन को अपनाया जाय और स्वयं मजदूर और मालिक अपने बीच में इस प्रकार की नैतिकता की आचार संहिता बनावें कि सारे मामलों को पारस्परिक समझौतों से तय कर लें।

जैसा अभी माननीय रक्षपालसिंह जी ने कहा, यद्यपि हमारे यहां महंगाई बढ़ी, राष्ट्रीय संकट की वजह से मजदूरों ने अपना कर्तव्य-पालन किया। उन्होंने ठीक किया। लेकिन कुछ इस तरह के व्यक्ति हैं जो इस राष्ट्रीय संकट के समय भी मजदूरों के धैर्य डिगाने का प्रयत्न करते हैं और उन्होंने औद्योगिक शान्ति में बाधा डालने की कोशिश की। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, ट्रेड यूनियनिज्म यदि वास्तव में सही मानों में हो और राजनैतिक दृष्टिकोण उसमें बाधा न करे, तो मजदूरों के हितों की ज्यादा रक्षा की जा सकती है।

एलगिन मिल में जो हड़ताल चल रही है उसमें रोजाना मजदूरों की करीब ५०, ६० हजार रुपये के वेतन की हानि हो रही है, उत्पादन में भी हानि हो रही है। यह हड़ताल १४ तारीख से शुरू हुई और आज इसे १४ दिन का अरसा हो गया है। वास्तव में, आप गौर करें कि हड़ताल का कारण क्या है। मैं चाहता हूं कि हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो और मैं इस सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे समझौते के प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाधा पड़े। लेकिन हमको विवेक से काम लेना होगा और मैं समझता हूं कि यह हड़ताल और प्रदर्शन यदि नहीं किये जाते, और एक शान्तिमय ढंग से सुलझाने का प्रयत्न किया जाता तो इससे मजदूरों का हित ज्यादा होता और मैं भी इसमें सहायक हो सकता था। पारसाल जबकि मिल में ७० लाख रुपये का मुनाफा था, उतना बोनस इस वर्ष दिया गया जबकि मुनाफा केवल ५० लाख का था। यह एक ऐसा कन्सर्न है जिसके लिये बार बार जोर दिया जाता है कि राष्ट्रीयकरण किया जाय। यद्यपि इस मिल का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है लेकिन एल० आई० सी० के शेयर्स के द्वारा इफ़ैक्टिव कंट्रोल करीब करीब गवर्नमेन्ट का है। यह वह मिल है जिसमें एम्पलाइज को सबसे ज्यादा सुविधायें मिलती हैं। सैंटेनरी का बोनस भी दिया गया जो करीब २८ प्रतिशत के होता है। लेकिन मजदूरों की कोई हानि थी तो वह परसुएशन से बड़ी आसानी से तय हो सकती थी। मैं आशा करता हूं कि एलगिन का विवाद शीघ्र ही समाप्त होगा और मजदूरों को जो इस समय कष्ट हो रहा है उसका जल्दी अन्त होगा और मजदूर नेता भी इसके लिये प्रयत्नशील होंगे।

माननीय उग्रसेन जी ने और माननीय यूसुफ साहेब ने भी कहा कि कानपुर टैक्सटाइल के मजदूरों के और अहमदाबाद व बम्बई के मजदूरों के बीच में भारी विषमता पाई जाती है। यह बड़ा बुनियादी सवाल है। हम को यह सोचना होगा कि हम अपने प्रदेश में उद्योग चाहते हैं या नहीं। कानपुर में हमारा वस्त्र उद्योग जलवायु की दृष्टि से, कच्चा माल मिलने की दृष्टि से, उतना उपयुक्त नहीं है जितना बम्बई और गुजरात में है। यह सही है कि तिम्बकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अगर मंहगाई बढ़े तो ६३ परसेंट तक न्यूट्रेलाइजेशन किया जाय। सरकार ने उस समय अपना जो आदेश दिया था उसी के मुताबिक न्यूट्रेलाइ-

जेशन होता है, वह क़रीब ५३ फ़ी सदी है। सरकार का आदेश ५३ फी सदी न्यूट्रैलाइजेशन का था। लेकिन६१ में महंगाई भत्ता ६७०.९४ था, एवरेज आता है ६१.८०। ६२ का एवरेज आता है ६५.९१, ६३ का एवरेज आता है ६७.४३ और ६४ में फरवरी के महीने का औसत डी० एफ० ऐ० होता है ७६.१४ .....

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

४६ में तो महंगाई कानपुर में बम्बई, अहमदाबाद और मदरास सब से ज्यादा थी, बम्बई से २० रुपये ज्यादा थी, अब ३०, ४० रुपये कम कैसे है ?

श्री बनारसीदास—

मिनिमम वेज अहमदाबाद में ३८ रुपये है, मद्रास में ३६ और बम्बई में ४० रुपये है। शोलापुर में ३४, नागपुर में ३२, कानपुर में ३८ है और वेस्ट बंगाल में ३६ है। यह सही है कि सन् ६३ के अन्त तक अहमदाबाद के मिल मजदूरों को ८९.२२ डी० एफ० ऐ० मिलता था, बम्बई में ९८ रुपये था, शोलापुर में ७० रुपये और हमारे यहां, जैसा मैंने अर्ज किया, ७० रुपये था। तो यह क़रीब शोलापुर के बराबर और बंगाल से ज्यादा है। अगर हम अपने रेट्स को रिवाइज करते हैं तो न्यूट्रेलाइजेशन के द्वारा ७० प्रतिशत हो जायेंगे। बार-बार यह कहा जाता है कि बंबई और अहमदाबाद के बराबर हमारे यहां भी रेट्स कर दिये जायं लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि कानपुर में हमें इस वस्त्र उद्योग को कायम भी रखना है या नहीं। बंबई की मिलों में फाइन कपड़ा बनता है जबकि हमारे यहां कानपुर में ज्यादातर कोर्स ही बनता है। इसके अलावा रुई भी काफी दूर से आती है। हमें दोनों हितों का सामंजस्य रख कर ही इस प्रश्न को देखना होगा। जो लोग इस प्रकार के सुझाव दिया करते हैं वे मजदूरों के हितों पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन वे केवल एक सस्ती लोकप्रियता की दृष्टि से ही ऐसा करते हैं। आजकल कानपुर में ११४ रुपया वेतन मिल रहा है जो बम्बई के मुकाबिले में कुछ कम हो सकता है।

यह भी कहा गया कि लेबर के कल्याण के लिये हमने कुछ नहीं किया। हमारे ७० वेलफेयर सेंटर्स, ६७ डिस्पेंसरीज, २ टी० बी० सेंटर्स काम कर रहे हैं, और भी इस व्यवस्था को बढ़ाने की हम सोच रहे हैं। सरकारी कंसर्न जितने हैं उनमें ३४ वर्क काउन्सिल काम कर रही हैं, शेष जगहों पर बनाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक अन्डरटेकिंग्स में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और जो अन्डर टेकिंग सरकार अब लेना चाहती है उनमें भी हम चाहते हैं कानपुर के रेट पर महंगाई भत्ता कर दिया जाय। इसी प्रकार से बोनस का मसला है। बोनस कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया जैसे ही स्वीकार कर लेगी उसको वैसे ही कार्यान्वित किये जाने का प्रयत्न किया जायगा।

माननीय उग्रसेन जी ने आई० एन० टी० यू० सी० का जिक्र किया। शुगर इंडस्ट्री में तो माननीय उग्रसेन जी का कोई स्थान है नहीं, कानपुर में भी यूसुफ साहब कुछ कह सकते हैं। वहां सेंसस ली गयी थी उसके अनुसार ही यूनियन को मान्यता दी गयी। चीनी उद्योग के बारे में हमारी नीति है कि जो संस्था सबसे अधिक चीनी मजदूरों का विश्वास प्राप्त कर लेती है उसको ही मान्यता देते हैं।

श्री कल्पनाथसिंह—

ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने में इस सरकार ने पक्षपात किया है।

श्री उग्रसेन—

जब रिफ्रेंडम हुआ था तब मैं उसका प्रेसीडेंट था और आपकी यूनियन हार गयी थी, माननीय सम्पूर्णानन्द ने उसको फिर जबरदस्ती बना दिया।

श्री बनारसीदास--

वह तो गणना के अनुसार ही किया जाता है। यह भी कहा गया कि कानूनों में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। खंडों में छोटे-छोटे संशोधन करने के बजाय हम पूरे ऐक्ट को ही संशोधित करना चाहते हैं। बिल तैयार है और आशा करते हैं अगले सेशन में उसको आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे और माननीय सदस्यों के सुझावों को उसमें शामिल करके एक ऐसा बिल तैयार करने की कोशिश करेंगे जिससे कारगर तरीके से मजदूरों की हम सेवा कर सकें। माननीय सदस्य जिन्होंने उपयोगी सुझाव दिये हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आशा है सदन इस मांग को स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६-श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत २,७६,४९,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर)

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी विभाजन की मांग नहीं कर सकते।

श्री अधिष्ठाता--

उग्रसेन जी, माननीय अध्यक्ष की यह व्यवस्था हो चुकी है कि लंच आवर में विभाजन न होगा।

श्री उग्रसेन--

इस समय दूसरा अनुदान ले लिया जाय। इस पर मतदान २ बजे ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इस मांग पर मत दो बजे ले लिया जायगा।

अनुदान संख्या ३९--परिवहन

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल महोदय, की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९-परिवहन के अन्तर्गत २५,२१,७९,७०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ३९ के मातहत जो मांग मैंने पेश की है और अनुदान संख्या ५२ जिसको यह सदन मंजूर कर चुका है, इन दोनों मांगों में हमारे परिवहन विभाग का १९६४-६५ का तखमीना करीब २५,६८,३१ हजार रुपया है। इसमें १९६२-६३ में जो वास्तविक खर्चा हमने किया उससे ४,६६ लाख रुपये का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मदों में जो कमी बेशी हुई है उसकी तफसील बजट कागजात में मौजूद है। उसको दुहराकर माननीय सदस्यों का वक्त जाया करना मुनासिब न होगा। इजाफा तो सालाना तरक्कियों के कारण हुआ है, इसके अलावा गाड़ियों के पुर्जे, टायर, पेट्रोल, डीजल वगैरह के दाम बढ़ जाने से भी काफी इजाफा हुआ है। कुछ नया खर्चा भी है जिसे बस स्टेशन की इमारतों और जमीन के लिये रखा गया है। इसके लिये २५ लाख, ५६ हजार रुपया रखा गया है। रोडवेज कर्मचारियों की जाड़े की वर्दी के लिये ६ लाख २४ हजार के करीब रुपया रखा गया है। रोडवेज वर्कशाप के लिये टूल व मशीन के लिये ४,९४,५०० रुपया और रोडवेज के पंखे और फर्नीचर पर ८६ हजार रुपया और बिल्डिंग डिवीजन के लिये सर्वे के सामान के लिये १५,२०० रुपया रखा गया है।

जहां तक रोडवेज की माली हालत का ताल्लुक है, मार्च, १९६३ तक कुल पूंजी की लागत १४,८९,२४,६२७ रुपया थी। उनका सब खर्चा काट कर रोडवेज को १३,५३,७९,४५७ रु० का मुनाफा मिल चुका था और ९,१८,३४,२२५ रुपये की मालियत का उसके पास सामान था। इस तरह से मुनाफा और मालियत की रकम २२,७२,२३,६८२ रुपये होती है, लेकिन अगर रोडवेज की मालियत को आज के बाजार भाव से आंका जाय तो यह रकम और भी बढ़ जायगी। इससे जाहिर है कि रोडवेज की माली हालत अच्छी है। माननीय सदस्यों को बखूबी जानकारी है कि जनता को यातायात की सहूलियत देने के लिये रोडवेज सर्विस का संचालन सन् ४७ में सरकार ने अपने हाथ में लिया था। शुरू में सिर्फ २०० गाड़ियां चलायी गयीं, लेकिन इस वक्त तक रोडवेज संचालन का काफी विकास हो चुका है। नवम्बर, ६३ तक इस सूबे में, ३,३७५ बसें ७५२ सड़कों पर चलने लगीं। बसों के अलावा १९६ ट्रकें और ८५ टैक्सियां भी चल रही हैं। ज्यादा ब्योरे की बातें माननीय सदस्य उस पुस्तिका से देख सकते हैं जो इस विभाग के काम के बारे में बांटी गयी है।

परिवहन विभाग द्वारा टूरिस्टों को सहूलियत देने, प्राइवेट गाड़ियों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा यात्री-कर की वसूली का काम भी होता है। पहली योजना के आखिरी साल १९५५-५६ में सिर्फ ५२.५३ लाख का मुनाफा था जो सन् १९६०–६१ में बढ़ कर २१४ लाख रुपये हो गया। इसके बाद १९६१–६२ में २१३ लाख रुपये और १९६२–६३ में २११ लाख रुपये का मुनाफा हुआ।

बजट पर आम बहस के मौके पर कुछ सदस्यों ने इस बात की चर्चा की थी कि रोडवेज की आमदनी घट रही है। मुनाफे के पिछले दो तीन साल के आंकड़ों से ऐसा लगता जरूर है लेकिन अगर तमाम वजूहात को सामने रखकर मुनाफा देखा जाय तो सही तस्वीर सामने आती है। इस सिलसिले में चन्द बातें मैं यहां अर्ज करना चाहता हूं—

१—इधर दो तीन सालों से गाड़ियों, पेट्रोल डीजल, इमारती सामान वगैरह के दामों में जो इजाफा हुआ है उससे अन्दाजन खर्च में ९० लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हो गयी है।

मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट व दूसरे लेबर लाज के मातहत कर्मचारियों को जो सहूलियतें दी गयी हैं उससे अन्दाजन ९,७६,५२० रुपये की बढ़ोत्तरी खर्च में हुई है।

सन् १९६३–६४ में यात्रीकर की अन्दाजन १ करोड़ ८५ लाख रुपये की वसूली इस विभाग द्वारा की गयी जिसमें १ करोड़ २१ लाख रुपये रोडवेज ने दिये। यह रकम रोडवेज की आमदनी में शामिल नहीं की जाती जब कि वसूली का खर्च उस विभाग को करना पड़ता है।

इसके अलावा सालाना तरक्की वगैरह से कर्मचारियों के वेतन व भत्तों की मद में काफी इजाफा हुआ है। अगर इन तमाम बातों को मद्देनजर रख कर मुनाफा देखा जाय तो स्थिति काफी तसल्लीबख्श मालूम होगी। खर्चों की बढ़ोत्तरी के कारण कुछ किराये में भी इजाफा करना पड़ा है, लेकिन ज्यादा किराया बढ़ाने से इस बात का अन्देशा है कि लोग बसों में सफर करना कम कर देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि खर्च में हर मुमकिन कमी की जाय। रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप में पुराने टायर, ट्यूब व कल पुर्जे मरम्मत किये जा रहे हैं जिससे काफी बचत हुई है। गाड़ियों के डेप्रीसिएशन की दर भी घटा दी गयी है जिससे डेप्रीसियेशन तथा रिप्लेसमेंट पर खर्च कम होगा।

जहां तक नयी सड़कों को लेने की बात है, हालांकि सरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि यह योजनायें जल्द से जल्द कार्यान्वित की जायं, लेकिन जो कानूनी व दूसरी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, उन्हें माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूं क्योंकि इस बारे में आम बहस के मौके पर कुछ आलोचना भी की गई थी। जब किसी सड़क को लेने की योजना सरकार प्रकाशित करती है तो प्राइवेट आपरेटर्स को कानूनन यह हक हासिल है कि वह उसके खिलाफ ऐतराजात दाखिल करें, जिनकी सुनवाई पिछले कुछ सालों से हमारे यहां जे० एल० आर० करते हैं। जे० एल० आर० के अधिकार क्षेत्र के बारे में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने रिट दाखिल कीं जिन के फैसले में काफी समय लग

[श्री मुजफ्फर हसन]

गया। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में नियमों में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ीं उसमें भी कुछ वक्त लगा। सन् १९६० में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक एतराज करने वाले लोगों को कागजी सबूत के अलावा जबानी सबूत भी पेश करने का हक हासिल हो गया। पहले जबानी सबूत पेश करने का तरीका नहीं था। जे० एल० आर० को जो कि अपने काम के अलावा पार्ट टाइम इस काम को करते हैं सबूत लेने में काफी समय लगाना पड़ा। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि पिछले दो तीन सालों में राष्ट्रीयकरण के मामलों का निबटारा करने में देर होती रही और सब योजनाओं को आखिरी शक्ल नहीं दी जा सकी। देरी का एक नतीजा यह भी होता है कि जनता की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुये आर० टी० ए० को टैम्पोरेरी परमिट्स देने पड़ते हैं और जब कोई नया परमिट दिया जाता है तो आपरेटर को एतराज के लिये कानूनन मौका देना होता है और इस तरह काम में रुकावट पड़ती जाती है। इस के अलावा दूसरी बातें भी सामने आती हैं। अभी तक तकरीबन ४० फीसदी सड़कों पर प्राइवेट आपरेटर्स चलते हैं। इन सब सड़कों को एक साथ नेशनलाइज करना सम्भव नहीं है इस में माली कठिनाई, बसों का न मिलना टेक्निकल आदमियों की कमी, वर्क शाप के लिये सामान आदि का न मिलना आदि तरह तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। इन सब रुकावटों के बावजूद भी सन् १९६१-६२ से १९६३-६४ तक १७५७ मील सड़कों को रोडवेज द्वारा लेने का लक्ष्य था और १,१९१ मील सड़कें रोडवेज ने अपने हाथ में ली हैं। दिक्कतों को देखते हुये यह प्रगति काबिले इतमीनान ही कही जायगी।

सूबे की बढ़ती हुई परिवहन की जरूर को मद्देनजर रखते हुये प्राइवेट सेक्टर में परिवहन को बढ़ाने के लिये बहुत से नये परमिट्स दिये गये हैं। राजस्थान, देहली, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से इंटर स्टेट रूट्स पर मोटरें चलाने के लिये मुहायदे किये गये हैं। आंकड़ों से माननीय सदस्यों को यह अन्दाज हो सकेगा कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी प्रगति हुई है।

जहां तक टूरिस्ट विभाग का ताल्लुक है यात्रियों की सहूलियत के लिये हरिद्वार, आगरा, वाराणसी व नैनीताल में टूरिस्ट आफिस कायम किये गये हैं। इस के अलावा रानीखेत, कोटद्वारा, श्रीनगर, देहरादून, व अयोध्या में सब ब्यूरो तथा काठगोदाम, ऋषिकेश, अल्मोड़ा व मंसूरी में टूरिस्ट्स रिसेप्शन सेंटर खोले जा चुके हैं। उनकी सुविधा के लिये अब तक रोडवेज द्वारा ७० और प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा ११९ कारें चलाई जा रही हैं। संकटकालीन स्थिति के कारण इस विभाग के काम में कुछ कमी कर दी गई थी, लेकिन अब फिर इसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस साल के बजट में कुछ ज्यादा रकम इस काम के लिये रखी गई है।

मैं माननीय सदस्यों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और यह उम्मीद करूंगा कि विभाग की बेहतरी के लिये रचनात्मक सुझाव उनसे मिलेंगे जिन पर अमल करके यह विभाग सूबे की जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकेगा।

*श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन कर दूं कि आज मेरी तबियत खराब है और मुझे बुखार भी आ गया है, इसलिये अगर आप कृपा करके इजाजत दे दें तो मैं बैठ कर ही भाषण कर लूं।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गयाप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९–परिवहन के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय और कमी करने का उद्देश्य है विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मैंने परिवहन मंत्री जी के भाषण को ध्यान से सुना और एक पुस्तक जो विभाग की ओर से परसों बटी है उसको भी देखा और पिछले ३,४ साल के बजट को कापीज को देखा। मंत्री जी का भाषण कोई नया भाषण नहीं है। जो वाक्य मंत्री जी ने पिछले ३,४ सालों में इस्तेमाल किये हैं, हूबहू वही वाक्य इस साल भी कहे हैं। यह भी उन्होंने हवाला दिया कि कार्य का बहुत विस्तार है, सही है। यह भी बताया कि रोडवेज से लाभ है, मैं भी स्वीकार करता हूं। किन्तु जब यह योजना शुरू की गई थी उस समय का चित्र आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश में इतनी बड़ी आबादी, आवागमन के साधन कम और उन सड़कों पर जब प्राइवेट बसेज चलती थीं, जो सड़कें, टूटी फूटी होती थीं, तो यात्री जब बस में बैठता था वह सोचता था कि अपने डेस्टीनेशन पर ठीक पहुंच जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी हालत में योजना चलायी गई और जनता में उत्साह था कि इस योजना के चलते देश में आवागमन की समस्या बहुत कुछ सुधर जायगी, किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस योजना के चलते और इसमें जिस तरह से काम हो रहे हैं और जितना रुपया खर्च किया जा रहा है उन सब बातों को देखते हुए आज इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि यदि यह विभाग शुद्ध होता और अपने आदर्शों के अनुकूल चलता तो प्रदेश में आवागमन की समस्या हल होती, सुख सुविधा होती और हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आय का इस योजना से प्रदेश को मिलता और अन्य समस्यायें इस आमदनी से हल हो सकती थीं, किन्तु वह नहीं हो सका। और खास तौर से पिछले ३,४ सालों की हालत अजीब रही है।

मंत्री जी ने अपनी पुस्तक को ४ भागों में बांटा है, रोडवेज, मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, प्रशासन और पर्यटन और आंकड़े। विशेष रूप से मंत्री जी ने मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट और रोडवेज की ज्यादा चर्चा की है। मैं आपका ध्यान मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट की तरफ ले जाना चाहता हूं। मंत्री जी के मंत्रिपद ग्रहण करने के पश्चात् इस प्रदेश में मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट जैसा कोई ऐक्ट लागू नहीं है, उसकी किसी भी धारा की मान्यता इस प्रदेश में माननीय हसन साहब के रहते हुए नहीं रखी गई। २,४ उदाहरण देना चाहता हूं। सेक्शन ६० कैंसिलेशन और सस्पेंशन आफ परमिट के बारे में है। इसमें लिखा है:

"The Transport authority which granted the permit may cancel the permit or may suspend it for such period as it thinks fit.'

(ए) में कंडीशन्स दी गई हैं:—

"If the holder of the permit ceases to own a vehicle or vehicles covered by the permit.....".

ऐसी हालत में जबकि गाड़ी का चलाने वाला या जिसके पास परमिट है अगर निजी गाड़ी नहीं रखता तो वह परमिट खत्म हो जाना चाहिये। इलाहाबाद-सग्राम गढ़ रोड पर १९५७ में और उसके पीछे परमिट चलता रहा एक विशिष्ट महिला के नाम। उन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं। उस परमिट को श्री वकील अहमद, जिला प्रतापगढ़ के हाथ बेच डाला और तब से वह परमिट इसी प्रकार से चलता रहा। ये परमिट होल्डर हमारे परिवहन मंत्री से सम्बन्धित हैं। उनके घर में अनियमित, अवैधानिक और भ्रष्ट आचरण होता रहे और इस धारा का उल्लंघन होता रहे, यह उचित नहीं है।

इसके बाद, श्रीमन्, दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, धारा ६२ का, जो इस प्रकार है:—

"The Regional Transport Authority may without following the procedure laid down in section 57 grant a permit to authorise the use of transport vehicle temporarily."

[श्री गयाप्रसाद]

अब इसमें "टैम्पोरेरी" शब्द को क्लैरिफाई किया है, फेयर, रिलीजस गैदरिंग, सीजनल बिजनेस में टैम्पोरेरी मिले या रिन्यूअल आफ परमिट हो, इन कंडीशन्स में टैम्पोरेरी परमिट देना चाहिये। हमारा वाराणसी जबलपुर, जो एक परमानेन्ट नेचर की रोड है और जिस पर परमानेन्ट परमिट देना चाहिये था उस पर टैम्पोरेरी परमिट दिया गया। इस धारा का उल्लंघन हुआ और जिस बात का सही सबूत है कि नागपुर की हाईकोर्ट ने उस परमिट को कैंसिल कर दिया। फिर भी वह परमिट चलता रहा, तो धारा ६२ का उल्लंघन हुआ। तीसरी धारा ६८ (सी) एवं (डी) में आपके सामने बताना चाहता हूं। (सी) में दिया है कि जब कोई रोड लेनी होती है तो परिवहन विभाग उसका गजट में नोटिफिकेशन करता है और जब फाइनली किसी रोड को लेना हो तो विभाग की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन होता है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ६८-सी में ५०० सड़कों का नोटिफिकेशन हो जाता है किन्तु ६८ (डी) में केवल एक का। ४९९ सड़कों का जो नोटिफिकेशन होता है वह फर्जी होता है ताकि जो प्राइवेट मोटर आपरेटर्स हैं वे अथारिटीज को और उससे सम्बन्धित लोगों को मिलें और उनसे अपना सौदा पटायें। इन सब धाराओं का उल्लंघन इस राज्य में हुआ। ६८ (जी) (२) को आप देखें, जिस में दिया हुआ है कि जब कोई रूट नेशनलाइज किया जाता है तो क्षति पूर्ति के लिए उनको दिया जाता है। उसका नियम है कि जितने महीने पूर्व का बाकी है उन्हें उतना पर मन्थ २०० रु० क्षति पूर्ति का दिया जायगा या कोई दूसरी उसी प्रकार की रियायत दी जायगी। मैं आपके सामने यह कह देना चाहता हूं कि इलाहाबाद-संग्रामगढ़ रोड नेशनलाइज हुआ तो उस महिला को कम्पेन्सेशन देने का सवाल हुआ। तो कुल कम्पैन्सेशन के ९०० रुपये होते थे। उसे कम्पैन्सेशन के रूप में न देकर उस विशिष्ट को ए क्लास रोड दी गयी इलाहाबाद से बिरवा। उसके बाद दूसरी वाराणसी-जबलपुर रोड दी गयी। इस रोड पर जो बस चलती है उसकी मासिक आय होती है १०,००० रु०। १०,००० रु० के हिसाब से एक साल में १,२०,००० रुपया होता है। और यह क्षति पूर्ति का अच्छा नमूना है कि ९०० रुपये के स्थान पर १ लाख २० हजार रुपया दिया जाय। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में किसी धारा में इस बात का जिक्र नहीं है कि रोडवेज की सड़कों का ओवरलेपिंग किया जाय, लेकिन यह भी किया गया जो कि अनियमित है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के सभी अधिकारियों ने लिख कर दिया, एम० एल० एज० तथा एम० पीज० ने लिख कर भेजा कि वाराणसी को एक रीजन बनाया जाय (लाल बत्ती होने पर) मुझे १० मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप ५ मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री गयाप्रसाद--

अच्छी बात है। जिस मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की दुहाई दी गयी उसकी किसी धारा का पालन इस राज्य में नहीं हो रहा है।

अब मैं कुछ भ्रष्टाचार के नमूने रखूंगा जिनसे सारा प्रदेश स्तब्ध रह जायगा। हसन साहब के मंत्रित्व काल में इलाहाबाद रोडवेज के दफ्तर के लिये जो नई जमीन और मकान लिये गये वह जस्टिस मुश्ताक अहमद का है। वह इलाहाबाद के रिटायर्ड जज हैं। हसन साहब के वे मित्र तथा रिश्तेदार हैं। वह जमीन एक्वायर की जा रही थी और एक्वीजीशन की कार्यवाही चल रही थी। वह जमीन लीज पर थी जो कि खत्म होने वाली थी। उस वक्त के परिवहन आयुक्त राठौर साहब ने लिखा था कि इस जमीन के लिये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है सरकार को क्योंकि वह सरकार को ऐसे ही मिल सकती है। लेकिन हसन साहब ने उस जमीन के लिये ८५ हजार रुपया सरकार का दिलवाया जिसके लिये वित्त विभाग ने गुप्त रीति से जवाब तलब भी किया है और आज तक उसका जवाब नहीं दिया गया है। मुझे तो यहां तक जानकारी हुई है कि ओवर नाइट वह रुपया पाकिस्तान चला गया।

हसन साहब ने अपने ससुर को दो परमिट्स दीं जो कि आज उनकी बीबी खैरू निसा के नाम चल रही हैं और दोनों परमिटों को ३००,३०० रुपये पर बेच दिया है और वह रुपया उनको मासिक मिल रहा है। आर० टी० ओ० इलाहाबाद के अग्रवाल साहब ने ६ परमिट्स एक व्यक्ति के नाम दी हैं जो विभिन्न रूटों पर चल रही हैं। माघ मेले में ८२ प्राइवेट बसों को परमिट दी गयीं और रोडवेज बसें डिपो में पड़ी रहीं और हर प्राइवेट बस के लिये ५०० रुपये ले लिये गये और टैम्पोरेरी परमिट दे दिया गया जिससे प्रदेश के एक्सचेकर को दो लाख रुपये का नुकसान हुआ। आर० टी० ओ०, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद और हसन साहब का एक विशिष्ट गुट बन गया है और सारा गोलमाल इन्हीं लोगों के जरिये हो रहा है।

मैं आपको बतलाऊं कि इनके एक रिश्तेदार श्री जैदी हैं जो अनक्वालीफाइड हैं, उनको एकाउंट्स सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया है, जब कि पब्लिक सर्विस कमीशन से चुनाव हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, उस लिस्ट को दबाये हुये हैं और क्लर्क को एकाउन्ट्स आफिसर बना दिया है। इसके अलावा आपने एक भानजे को जो कि ६ वर्ष तक चीन में रहे हैं उनको ला करके पैसेंजर टैक्स सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया है। वह आज भी इलाहाबाद में बैठे-बैठे चीन की दलाली कर रहा है, चीन का दूत है, और चीन का अड्डा खोल रखा है। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार बिना वक्त खोये वहां तलाशी ले ले तो बहुत सा सामान बरामद हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी है। इस तरह से भ्रष्टाचार इस विभाग में चल रहा है। जो मैं यहां बोल नहीं पाया उसे लिख कर मुख्य मंत्री जी के पास भेजूंगा और मांग करता हूं कि इसकी पूरी तौर से जांच हो, किसी किस्म की ढिलाई न बरती जाय, जल्द जांच हो। अन्त में इस आशा के साथ कि सदन मेरी बात का समर्थन करेगा, अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखता हूं।

अनुदान संख्या २६——श्रम और सेवायोजन——(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता——

मैंने सदन को यह सूचित किया था कि २ बजे सहकारिता मंत्री जी के अनुदान पर मत लिया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)——

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब कोई ग्रान्ट पेश हो तो क्या उस समय किसी दूसरी ग्रान्ट पर वोट कराया जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता——

मैंने बहुत पहले ही इस पर व्यवस्था दे दी थी। मैं समझता था कि आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति इस पर इस तरह की व्यवस्था नहीं उठायेंगे।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि श्रम तथा सेवायोजन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य——विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ——

पक्ष में——२२,

विपक्ष में——७४।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६--श्रम और सेवा योजन के अन्तर्गत २,७६,४९,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--परिवहन--(क्रमागत)

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जिस अनुदान को सदन के समक्ष उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा संचालित सार्वजनिक हित में पब्लिक सेक्टर में, रोडवेज सर्विसेज ऐसी हैं जो जनहित में संचालित हो रही हैं और जो लाभ से चल रही हैं। श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि जो माननीय गया प्रसाद जी ने कटौती का प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया है, हालांकि दबी जबान से उन्होंने स्वीकार किया है कि रोडवेज हमारे प्रदेश में लाभ पर चल रही है। यह जो सार्वजनिक सेवा का संगठन है उसमें जन प्रतिनिधि के लिये यह चाहिये था कि इस प्रकार के सुझाव सदन में रखते जिनसे पब्लिक सेक्टर की सेवा दिन प्रति दिन प्रगति करती और जो प्रदेश में या देश में रेलवे विभाग सभी परिवहन का भार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ऐसे सुझाव आते कि रोडवेज की सेवायें इतनी एफीशिएंट होतीं जिनसे जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त होतीं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के तर्क और तथ्य हमारे सामने रखे हैं, वह मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसका स्तर बहुत निम्न प्रकार का रहा है। उन्होंने एक १ रुपये की कमी करने का कटौती का प्रस्ताव इसलिये रखा था कि वे विभागीय नीति की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने, गो वे समाजवादी दल के हैं, न तो कर्मचारियों के बारे में, न बस स्टेशनों के बारे में और न जनता को सुविधायें प्रदान कराने के बारे में ही कुछ कहा। श्रीमन्, वे बजट सेशन में शुरू से लेकर आखिर तक एक परमिट के सम्बन्ध में कहते चले जा रहे हैं और उससे वे यह साबित करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के पब्लिक सेक्टर में जो रोडवेज की सेवायें संचालित हो रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैं उनसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं, वह भी वर्कर हैं, इस असेम्बली के जन प्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए था कि वादविवाद के स्तर को ऊंचा रखते और इस प्रकार की बातें न करते, जिससे ऐसा मालूम हो कि वह स्वयं परमिट के इच्छुक थे और उनको परमिट नहीं मिल सकी इसलिए इतना ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए सदन में ऐसा आचरण न करें। इस तरह की प्रत्यक्ष बात होगी तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

मुझे आश्चर्य हो रहा था जब कि माननीय गया प्रसाद जी बोल रहे थे। पता नहीं कहां से कागज पर लिख लाये थे, माननीय मुजफ्फरहसन साहब ने अपनी सास को परमिट दिया, क्या किया, पता नहीं क्या गाथा गा रहे थे। यह असेम्बली का स्टैंडर्ड है, गांव सभाओं में भी ऐसे आरोप एक सदस्य दूसरे सदस्य पर नहीं लगाता होगा। लेकिन मैं मिश्र जी को बता देना चाहता हूं कि जितने आरोप सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से परिवहन मंत्री पर लगाये जा रहे हैं वह असत्य हैं, निराधार हैं, निरर्थक हैं और वह केवल राजनीतिक विद्वेष और वैमनस्य के कारण लगाये जा रहे हैं। मैं परमिट के केस को रखना चाहता हूं। कहा जाता है कि एक हुर्मुजी बेगम हैं जिनको परिवहन मंत्री ने बनारस और जबलपुररोड का परमिट दे दिया। कहा जा रहा है कि यह परमिट दे कर परिवहन मंत्री ने कुनबापरस्ती की है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जब इतिहास लिखा जायगा तो सोशलिस्ट पार्टी के लोग इस इतिहास को फाड़ कर फेंक देंगे। क्या वह भूल जाते हैं कि हुर्मुजी बेगम इस प्रदेश और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक बहुत बड़े व्यक्ति के परिवार की महिला हैं ? आपने वली अहमद सिद्दीकी का नाम सुना होगा। सुन्दरलाल त्रिपाठी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय इतिहास को विद्वतापूर्वक लिखा है उन्होंने सिद्दीकी साहब के बारे में लिखा है कि उनके त्याग, तपस्या (व्यवधान) मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय गयाप्रसाद जी ने जो इस आरोप को लगाया कि हुर्मुजी बेगम परिवहन मंत्री जी की रिश्तेदार हैं इसलिए परमिट दिया गया, मुझे यह सुन कर दुख होता है। वह सिद्दीकी साहब के भाई की पत्नी हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व सेवा की है जिसके लिए हम सब को गर्व है। मैं सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को जो परिवहन मंत्री पर यह गलत आरोप लगा रहे हैं उनसे बता देना चाहता हूं कि यदि ऐसे त्यागी परिवार के किसी व्यक्ति को इर्रेगुलर परमिट भी दिया गया होता तो भी वह न्यायपूर्ण था। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने में कालापानी की सजा हुई थी, उसके परिवार के सम्बन्ध में ऐसा कहना नितान्त अनुचित है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात पर और अधिक कहने का यहां पर प्रयास नहीं करता, लेकिन इस बजट के सम्बन्ध में सोशलिस्ट पार्टी इस ट्रम्प कार्ड को लेकर चली है कि परिवहन मंत्री ने कुनबापरस्ती की है। मैं इसका खंडन करना चाहता हूं। यह परमिट सिद्दीकी साहब के परिवार को दी गयी है जिनका बहुत बड़ा त्याग है।

मैं गया प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं।..... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला लिया)—

परमिट मिश्र जी के पास भी है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला गोंडा)—

मेरे पास भी है और सोशलिस्ट पार्टी के पास भी है..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं श्री जे० पी० मिश्र और काशीनाथ मिश्र दोनों से कह देना चाहता हूं, उनसे आग्रह करूंगा कि यदि आप लोगों ने इस आचरण की पुनरावृत्ति की तो मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा कि आप लोग सदन का परित्याग करें। (व्यवधान) मेरी प्रार्थना केवल इस सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए है। कोई व्यक्तिगत इस तरह का आक्षेप आप लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए।

श्री जे० पी० मिश्र—

हम तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, केवल जवाब दे रहे हैं। आप कहें तो जवाब न दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कृष्णानन्द राय काफी हैं जवाब देने के लिए।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय गया प्रसाद जी पता नहीं कौन कौन से नियम और कानून बता रहे थे (व्यवधान) मैं अभी गया प्रसाद जी को कानून पढ़ा सकता हूं..

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

आप मुजफ्फर हसन को पढ़ाइए, गया प्रसाद जी को क्या पढ़ाइएगा ?

(व्यवधान)

गोविन्द सहाय जी के स्कूल में जाइये अभी.. (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय उग्रसेन जी और गया प्रसाद जी को यह बता देना चाहता हूं कि यह परमिट देने का काम न तो मुजफ्फरहसन साहब का है और न उत्तर प्रदेश की सरकार और यह सेक्रेटरिएट यह परमिट देता है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी यह परमिट देती है और उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर होते हैं और भी बहुत काफी हाई पावर के मेम्बर होते हैं। उनका जो फैसला होता है इन परमिटों की दरख्वास्त के ऊपर वह एक तरीके की क्वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है जिसकी कि हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और मैं बता सकता हूं उनको कि हाई कोर्ट में रोज उसकी अपीलें होती हैं और आर० टी० ए० द्वारा दिये गये परमिट वहां कैंसिल कर दिये जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जहां ऐसी क्वैसी जुडीशियल बाडी सेट अप कर दी गई है जिसकी कि अपील हो सकती है, उसके लिए सरकार को बधाई न देकर आर० टी० ए० द्वारा किसी को परमिट दे दिये जाने पर यहां इस तरह का आरोप सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से लगाया जाता है और दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी यह भी लड़ाई लड़ती है कि हम तो जूडीशियल सेट अप का बहुत आदर करते हैं। अगर यह परमिट अनियमित तरीके से श्रीमती हुर्मुजी बेगम को दिया गया था तो मैं माननीय गया प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने परिवहन विभाग के ऊपर क्यों नहीं हाई कोर्ट में अपील करा दी...

श्री उग्रसेन—

इलाहाबाद हाई कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट दोनों जगह अपील हुई और दोनों जगह आपके खिलाफ फैसला हुआ।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह गलत बात है..

श्री गयाप्रसाद—

फैसले की नकल मंगवाकर देख लीजिए। नागपुर हाई कोर्ट ने दो बार फैसला किया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह परमिट देने का काम आर० टी० ए० करता है और उसमें यदि कोई अनियमितता होती है तो यह मोसीजर मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट में उसकी अपील हो सकती है। इस बात को लेकर बहुत अधिक वादविवाद यहां करना कोई शोभनीय बात नहीं है।

यह चार्ज लगाया उन्होंने कि २ लाख रुपये नुकसान उत्तर प्रदेश सरकार अपना कर रही है, इसलिए कि प्रदेशीय सरकार की रोडवेज की मोटरें वाराणसी-जबलपुर रोड पर नहीं चल रही हैं हालांकि दोनों प्रदेशों में ऐग्रीमेंट इसके लिए हुआ है। श्रीमन्, ऐसी कई सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच में ऐग्रीमेंट हुआ था, दोनों प्रदेशों के बीच में बातचीत हुई थी कि इन पर अपनी सर्विसेज चलायी जायं। लेकिन न तो मध्य प्रदेश की सरकार इस अवस्था में थी और न उत्तर प्रदेश सरकार इस अवस्था में थी कि उन सभी सड़कों पर सरकारी बसें चला दी जातीं। यही कारण है कि चौदह या अठारह सड़कें जो मध्य प्रदेश सरकार को दी गई थीं उसमें से केवल तीन चार पर वह अपनी बसें चला सकी और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। लेकिन यह बड़ी अजीब बात है यह कहना कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चला पायी है तो यह भ्रष्टाचार के कारण नहीं चला पायी है। मैं पूछता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार जो नहीं चला पायी वह किस कारण नहीं चला पायी है? तो इस तरह के आरोप लगाना कोई अच्छी चीज नहीं है।

अब मैं एकाध सुझाव भी माननीय परिवहन मंत्री को देना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री भी बैठी हुई हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट विभाग जो पब्लिक सेक्टर में काम

कर रहा है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी सेवा ट्रांसपोर्ट विभाग ले सकता है रिवर ट्रांसपोर्ट से। मुझे याद है कि एक बार यह प्रश्न दिल्ली में आया था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा था कि इलाहाबाद से पटना तक इसको करना चाहते हैं। श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार इस व्यवस्था को संचालित करना चाहती है और वहां पर यह प्रश्न चल रहा है। मैंने भी यहां पर इस प्रश्न को पूछा था कि इलाहाबाद और पटना की योजना जो चल रही थी उसका क्या हुआ। तो यह कहा गया कि चूंकि रुपया पैसा नहीं रहा इसलिये उसको स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार रुपये पैसे की बात को लेकर किसी स्कीम को छोड़ देगी तो यह प्रदेश के लिये ठीक नहीं होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केन्द्रीय सरकार जब इस योजना को लेना चाहती है तो प्रदेशीय सरकार भी इस इलाहाबाद–पटना की रिवर ट्रांसपोर्ट योजना को संचालित करने की चेष्टा करे।

श्री कल्पनाथसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गया प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री महोदय के भाषण को सुन रहा था। बड़ी संजीदगी के साथ हमारे बुजुर्गवार नेता ने यह कहा कि रोडवेज में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन के आदरणीय सदस्यों का ध्यान लोक लेखा समिति, लोक सभा के रिमार्क की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें पब्लिक सेक्टर में अधिक मुनाफा कमाने की मनोवृत्ति के प्रति टीका की गई है और यह कहा गया है कि इस तरह से पब्लिक अन्डरटेकिंग में जब मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति पैदा होगी तो वह पब्लिक इन्स्टीट्यूशन के लिये हानिकर सिद्ध होगा। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि यह फायदा कहां से आता है और कहां से मंत्री जी दिखाते हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क और सारे स्टाफ से अधिक काम लेकर उनकी तनख्वाह और उनके टी० ए० और डी० ए० ओवर टाइम काट कर मंत्री जी आज यह मुनाफा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस विभाग में फायदा हुआ है। अगर सही पूछा जाय तो जो रोडवेज का संगठन है और जिस संगठन से इस विभाग में फायदे की बात कही जाती है, उस संगठन की क्या हालत है, मंत्री जी जिस समय जवाब दें तो इस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, ऐसी आशा है। मैं यह भी कहता हूं कि एक-एक ड्राइवर १८, १८ घंटे अपनी ड्यूटी करता है। कंडक्टर से भी १८, १८ घंटे काम लिया जाता है। इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण दूं कि कानपुर-प्रतापगढ़ रूट पर एक ड्राइवर ने २८ घंटे ड्यूटी किया और उसमें उसने बस लड़ा दी और उसमें तमाम लोग मर गये। इस सिलसिले में मैं यह भी निवेदन करूं कि जब वह मामला अदालत के सामने गया तो मंत्री जी ने बतलाया था कि उस ड्राइवर पर १०० रुपये जुरमाना कर दिया गया। इसमें दोष किसका था? सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि टेक्निकली उससे २८ घंटे काम नहीं लिया गया था। लेकिन प्रैक्टिकली उससे काम लिया गया। आज रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टरों की हालत बेइंतहा खराब है। इसका कोई अन्दाजा नहीं है। अगर गोरखपुर रीजन की बकाये की लिस्ट देखी जाय तो वहां ४८, ४९ हजार रुपया बाकी है। आज तक कोई कोशिश नहीं की गई। यह हालत है। रोडवेज के कर्मचारियों का पेट काट कर और उनके ऊपर भार लाद कर सरकार दावा करती है कि मुनाफा हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि मंत्री जी कहते हैं कि मोटर पार्ट्स के दाम बहुत बढ़ गये हैं। मेरा निवेदन है कि मेरे ही प्रश्न के उत्तर के सिलसिले में सरकार ने यह जवाब दिया कि ६ फीसदी रोडवेज के किराये में बढ़ोत्तरी की गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस तरह का फायदा है तो फिर इतनी बढ़ोत्तरी करने का कारण क्या है? आपको पब्लिक को सीधे सीधे लूटने का कोई हक नहीं है। इस डिपार्टमेंट के तीन तरह के सिद्धान्त चलते हैं। जहां रेल-मोटर का कम्पटीशन होता है वहां किराये अलग हैं, जहां कोई यातायात का साधन नहीं है

[श्री कल्पनाथसिंह]

वहां अलग और जहां एक्का, तांगा और रिक्शा का कम्पटीशन है वहां अलग। मैं उदाहरण-स्वरूप बतलाना चाहता हूं कि आपके जिला और मेरे जिला हेडक्वार्टर के बस-स्टेशन का किराया आप देखें। आजमगढ़-दोहरीघाट का किराया दूसरा, बर्डघाट-गोरखपुर का किराया दूसरा, गोरखपुर-बस्ती का दूसरा। यह सरकार दम भरती है कि पब्लिक के फायदे के लिये हमने यह मुहकमा चला रखा है। नहीं, पब्लिक और कर्मचारियों की गर्दन काटने के लिये यह विभाग बनाया हुआ है।

आज प्रोमोशंस की हालत क्या है। कंडक्टरों और क्लर्कों के प्रोमोशंस की हालत यह है कि उनके साथ बेइन्साफी की जा रही है। यह तय नहीं हो पाया कि कौन सी सबसटैंशियल पोस्ट है, किस को कौन सा प्रोमोशन दिया जायगा। जो जनरल मैनेजर का प्यारा होगा, जो घूस देने में अव्वल होगा, आर्यलिंग और बर्टरिंग करने में सबसे ज्यादा होगा सिगरेट के पैकेट देने में और हां-हुजूरी करने में आगे होगा उसका प्रोमोशन होगा, लेकिन जो सही और रीजनेबिल वर्कर होंगे उनकी गर्दन काटी जायगी, उनका हक मारा जायगा। जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है जितनी कुनबा परस्ती है, जितनी जाति-पांति है उसका अगर लेखा-जोखा इस विभाग में किया जाय तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि आज चाहे अफसरान हों या मंत्री जी हों, कोई बचने वाला नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जो रिक्रूटमेंट हुये इलाहाबाद में कंडक्टर्स और क्लार्क्स के उनमें कितने परसेंट कौन कौन लोग लिये गये इसका लेखा जोखा आप स्वयं करें गोरखपुर में पिछली बार कंडक्टरों और क्लर्कों का एक इम्तहान लिया गया। मेरी सूचना है--मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसे गलत साबित करें--जो असली लिस्ट बनी है उसमें जो फेल थे वह पास कर दिये गये और जो पास थे वह फेल कर दिये गये। कौन इसका जिम्मेदार होगा ?

यह भी देखें कि आज सेंट्रल वर्कशाप के संबंध में मंत्रीजी ने कहा कि बड़ी अच्छी हालत है उसमें यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। उसके लिये किताबें छाप लीजिये, जिस तरह कि बच्चों को भुलवाने के लिये रबर का खिलौना खरीद लिया जाता है, तो आपने भी दो पन्ने की किताब छाप कर बांट दी। अगर उसमें सारी बातें बतायी जातीं तो मैं खुश होता। सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में आज पार्ट्स बदले जाते हैं, पार्ट्स चोरी किये जाते हैं। जैसी वहां और अन्य स्थानों में गड़बड़ी है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन सारी बातों की जांच करायें।

इसी सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज गाड़ियों की खरीद के बारे में क्या हालत है। पूरे प्रदेश की फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लेकिन मंत्री जी के विभाग द्वारा दी गयी फीगर्स हैं। कानपुर में ४ अप्रूवड् फर्म्स हैं और लखनऊ में १० हैं। लेकिन इनमें से किस फर्म से सबसे ज्यादा गाड़ियां खरीदी गयीं ? मैं १९६० से १९६३ के फीगर्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जो सरकार ने जवाब के सिलसिले में दिये हैं। अकेली एक नारायण आटोमोबाइल्स कंपनी लखनऊ को १९६०-६१ में ७८ गाड़ी खरीदने के लिये आर्डर दिया गया। फिर १९६१-६२ में १८२ गाड़ी और १९६२-६३ में १७६ गाड़ी उससे खरीदी गयीं। यह क्या कारण है ? और दूसरों का हाल सुनें किसी से ५, फिर किसी से ५, किसी से २९ और किसी से ३२। सबसे ज्यादा फीगर यही ३२ की है कामर्शियल मोटर, लखनऊ की। कारण क्या है ? और इन सब बातों का जवाब देने के लिये मंत्री जी को तैयार रहना चाहिये। मैं और फार्मों की चर्चा नहीं करता, लेकिन एक ही कंपनी से क्यों उनकी खरीदारी नहीं की गयी ? कहा जाता है कि रेट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। वह तय करती है। तो अब हालत क्या है इसे देखने की जरूरत है।

जैसा गया प्रसाद जी ने कहा ६८ सी० के बारे में मेरा भी निवेदन है कि फैजाबाद से बाराबंकी के बीच में यह लागू नहीं होगी। इस लखनऊ से पुरवा तक १२ मील का कच्चा रास्ता भी ले लिया जायगा। ३२ मील का रन दो घंटे में तय किया जाता है। आखिर वजह क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विभाग में मिनिस्टर के रिश्तेदार को अगर परमिट मिल गया

तो क्या हुआ, चपरासी और क्लर्कों के भाई और नौकरों को भी परमिट मिल जाता है। क्या हालत है ? जैसा कृष्णानन्दराय जी ने कहा मैं भी नहीं मानता कि हर बात के लिये मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने, जो कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं, एक ड्राइवर या प्वाइंट्स मैन की गलती की वहज से मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था। आज जब इस विभाग की हालत यह है तो खुदा हाफिज। आप ही सोच लीजिये कि आपको क्या करना चाहिये। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक यह कहा कि एक पोलिटिकल सफरर की औरत होने के नाते उनको परमिट दिया गया। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिये, लेकिन क्या इस रूट के लिये गणेशशंकर विद्यार्थी की लड़की विमला श्रीवास्तव ने अर्जी नहीं दी थी ? फिर इन दोनों में फर्क क्यों किया गया ? उसे भी इस रूट पर परमिट क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने यहां हुए भाषणों को सुना और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारा परिवहन विभाग केन्द्रित हो गया है एक परमिट पर। इस विभाग के अन्तर्गत मान्यवर, सैकड़ों हजारों परमिट दिये जाते हैं। आज अगर यह देखा जाता कि इसमें कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, कितना रिटर्न मिलता है, कितना इन्टरेस्ट पड़ता है, क्या क्या इसमें वीकनेसेज हैं, किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो बहस ठीक हो सकती थी। मुझे ऐसा लगता है कि बहस की एक ही मंशा है कि परिवहन मंत्री यहां एक्यूज्ड की तरह से बैठे हैं और उनको चार्जशीट दी जा रही है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम अपने देश और प्रदेश में पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारियां शासन पर भी होती हैं और अपोजीशन पर भी ? मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि किसी के दोष को कहा जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस हाउस के अन्दर इस बात को कहा कि जो भी स्पेसिफिक चार्जेज हों, उनको दिये जायं, वे उसकी जांच करायेंगी। उनके इस कमिटमेंट के बाद भी, बजाय इसके कि स्पेसिफिक चार्जेज उनको दिये जायं बार बार एक ही केस को कहना, कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय उग्रसेन जी समाजवाद की बहुत बातें करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि योरोप में बदकिस्मती से समाजवादी पार्टियों की कमजोरी की वहज से ही फासिज्म और नाजिज्म आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता के प्रतिनिधियों में अविश्वास पैदा करके आप समाजवाद नहीं ला पायेंगे। अगर आपकी आस्था और विश्वास जनतंत्र और समाजवाद में है तो आप जन प्रतिनिधियों में विश्वास पैदा कीजिये।... (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

चोर और भ्रष्टाचार मंत्री को हटाओ... (व्यवधान)

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, आस्ट्रेलिया में बूमरेंग एक शस्त्र है, जब वह चलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह चलाने वालों के ही लग जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि माननीय उग्रसेन जी जो बातें इधर के लोगों के लिये कह रहे हों, वह उन्हीं पर साबित हो जायं (व्यवधान)

जहां तक इस परमिट का सवाल है... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय उग्रसेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जब वे अपनी एक बात को कई बार दोहराना चाहते हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को भी यह अधिकार है कि वह जो अपनी बात कहे, उसे आपको सुनना चाहिये।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, सिद्दीकी साहब ने देश के लिये जो त्याग और कुर्बानी की हैं, उसकी तुलना एक दो परमिट या १०–२० हजार रुपयों से नहीं की जा सकती। यह वह इन्सान थे जिन्होंने १९१४ में गदर पार्टी में शामिल होकर सिंगापुर विद्रोह में भाग लेकर देश की आजादी के लिये अपने प्राणों को आहूत कर दिया था। बाद में अन्डमन में उनको फांसी की सजा तक हुई। बाद में २५ साल कारावास भोगने अन्डमन भेजे गये। तो अगर उनकी विधवा भावज के लिये कोई परमिट दे भी दिया गया तो उससे उनका त्याग और बलिदान कहीं अधिक है। इसके बावजूद भी, जब माननीया मुख्य मंत्री ने एक जांच के लिये आश्वासन दे दिया, और वे जांच कर भी रही हैं, फिर बार बार उसी बात को कहना शोभा नहीं देता।

जजमेंट की बात कही गयी। मेरे पास भी जजमेंट है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूं:—

"The counter affidavit reveals that the petitioner's application for permanent permit, which has been kept pending for about 16 months, is going to be published some time this month ; and it is expected that orders will be passed thereon within a month or so thereafter. So long as the application for grant of permanent permit remains pending, there would seem to be no scope for granting the petitioner a temporary permit. The interim relief asked for is therefore refused."

मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कौन से आर्डर्स हैं जिसमें हमारे ऊपर कोई चीज कही गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

उसकी हिन्दी कर दें।

श्री नवलकिशोर—

इसका मतलब यह है कि पिटीशनर ने जो इन्टेरिम रिलीफ मांगी है उसको हाई कोर्ट ने वस्तुस्थिति को देखते हुये स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

यह कहा गया कि हमने कोई समझौता तोड़ दिया। हमने श्रीमन्, कोई समझौता नहीं तोड़ा। ३७ रूट्स पर समझौता हुआ था उनमें १८ रूट्स ऐसे हैं जिनपर दोनों प्रदेशों की गाड़ियां चलने को थीं। ४ सड़कों पर न उनकी गाड़ियां चलीं न हमारी ही चलीं। इस पर हमारे आर० टी० ए० ने दो सड़कों के लिये परमिट प्राइवेट आपरेटर्स को ईश्यू कर दी और दो सड़कों पर मध्य प्रदेश के आर० टी० ए० ने प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट इश्यू कर दिये। १३ सड़कों पर मध्य प्रदेश की सरकार अपनी गाड़ियां चलाने को थी लेकिन वह भी १० ही सड़कों पर अपनी गाड़ियां चला सकी। जनता को यातायात की कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दिये गये। जब नेशनलाइजेशन की बात होती है तो उसमें बहुत सी बातों को देखना पड़ता है। वर्कशाप व रनिंग स्टाफ की भी दिक्कत पड़ सकती है फिर भी अगर उसे आहिस्ता आहिस्ता किया जाता तो कुछ दिनों में हो जाता लेकिन फिर भी उससे संबंधित तमाम चीजों की कमी है जिसको भी अपने ध्यान में रखना जरूरी है। आर० टी० ए० ने परमिट दिये, कोई सरकार तो किसी को परमिट देती नहीं। किसी को शिकायत हो तो उसके लिये एस० सी० एल० हाई कोर्ट का रास्ता खुला है। कुछ लोग हाईकोर्ट गये भी लेकिन उनको वहां रिलीफ नहीं मिली।

अब मैं बजट के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, बजट को पढ़ने से मालूम होता है कि १९६२–६३ में मुनाफा हुआ, १,७३,२५,००० रु० और १९६३–६४ में वह हो गया १ करोड़ १८ लाख रुपया याना ५५ लाख रुपया कम हो गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहूंगा कि वे बतलायें कि एक साल में ही मुनाफे में इतनी कमी क्यों हो गयी? १९६४–६५ में १ करोड़ ३७ लाख का मुनाफा होने की बात है, इस तरह से कुछ बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन मैं तो जानना

चाहता हूं कि जब कैपिटल इंवेस्टमेंट हमारा बढ़ता जा रहा है तो उसमें मुनाफा कम क्यों होता जा रहा है। आज जो हमारे स्टेट इन्टरप्राइजेज हैं उनमें रोडवेज सब से बेस्ट है चूंकि हमें सबसे ज्यादा यह पे करता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सैचुरेटेड प्वायंट तक पहुंच गये हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप अपने इम्पलाईज को तमाम एमिनिटीज दें जो उनके लिये आवश्यक है और उस काम में कुछ कम भी मुनाफा आपको हो तो उससे हमें या किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। इसके लिये हमें एक आइडियल कंडीशंस पैदा करनी होगी। माननीय उग्रसेन जी बराबर नेशनलाइजेशन की मांग करते रहे हैं, मैं अर्ज करूं कि नेशनलाइजेशन करने का पहला कदम यह होगा कि जो पब्लिक सेक्टर में आज इंडस्ट्रीज हैं उनके अन्दर आइडियल कंडीशंस पैदा करें तभी हम नेशनलाइजेशन को आगे बढ़ा सकेंगे।

जहां तक वर्कशाप्स वगैरह में पार्ट्स के गोलमाल की शिकायतें कानों में आती हैं, इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह की शिकायतों में असलियत कहां तक है और अगर कोई शिकायत हो तो उसे दूर करना चाहिये।

दो तीन और इम्पार्टेन्ट बातें हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि आपने कुछ शेड्स वगैरह बढ़ाये हैं तथा वेटिंग रूम्स भी कुछ बनाये हैं लेकिन फिर भी वे काफी नहीं हैं और वहां बैठने के लिये अच्छी जगह नहीं है, इसलिये आपको चाहिये कि आप उन शेड्स व वेटिंग-रूम में सामेंट के बेंच वगैरह बनवा दें ताकि लोग असानी से वहां बैठ सकें। इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मान्यवर, मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का भाषण इस उम्मीद के साथ सुना कि पुलिस मिनिस्टर व एजूकेशन मिनिस्टर की तरह हो कोई नयी घोषणा करेंगे जैसा कि पुलिस मिनिस्टर साहब ने पेन्शन के संबंध में घोषणा की, एजूकेशन मिस्टिर साहब ने टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, उसी तरह की किसी न किसी घोषणा की हम उनसे भी आशा करते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की घोषणा नहीं की बल्कि वह अपनी उन्हीं पुरानी रवायात पर कायम रहे और उन्होंने अपने भाषण में वही बातें दोहरा दीं जो वह अब तक कहते चले आये हैं। इसका हमें बहुत दुख है कि आज ट्रान्सपोर्ट विभाग में करीब २३,००० आदमी नौकर हैं और जैसा कि खुद भी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह एक ऐसा विभाग है जो गवर्नमेंट को पैसे की आमदनी कर के देता है। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि आमदनी करने के बावजूद १४-१५ साल लोगों को उस में नौकरी करते हुये हो गये लेकिन आजतक वह परमानेंट नहीं हुये। सैकड़ों कन्डक्टर, ड्राइवर, बुकिंग क्लर्क वगैरह ऐसे हैं जो अभी तक अस्थायी पड़े हुये हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जब सरकार ने इस विभाग को परमानेंट कर दिया है तो उस के मुलाजमीन ही टेम्पोरेरी क्यों रखे जा रहे हैं यह हमारी समझ में नहीं आता। आज सरकार भी इस पर बराबर जोर देती है कि प्राइवेट कारखानों तक में मजदूरों को टेम्पोरेरी न रखा जाय और जो १ साल या ६ मास भी मजदूर कहीं काम कर लेता है तो हम उसको परमानेंट कराने की लड़ाई लड़ते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन जो खालिस सरकार का विभाग है उस में भी मुलाजमीन को परमानेंट नहीं किया जाता है? इस का कारण क्या है? जब इस बात को मंत्री जी ने माना है कि इस साल भी विभाग की आय ६ करोड़ के लगभग बढ़ी है तो उन बेचारों को क्यों परमानेंट नहीं किया जाता? पिछले १४ साल में उन का वेतन, उन का भत्ता, उन की महंगाई या कोई पे रिवीजन नहीं किया गया है। उन की पेंशन वगैरह के लिये नियम बनाये जायं और उन के लिये पे कमीशन भी बिठाया जाय।

एक बात और मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि एक तो उन लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता है और दूसरे बस के अड्डों पर जो मेहतर और पानी पिलाने वाले हैं उनको सीजनल रखा जाता है। २ महीने के लिये रख लिया और फिर हटा दिया। मेहतरों को वहां स्थायी नहीं रखा जाता, एक को रख लिया और फिर हटा दिया। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह से

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

एक आदमी भी टेम्पोरेरी न रखा जाय और इन सब लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाय ताकि वह दिल लगाकर काम करें और उन के मन में हर वक्त हटाये जाने का खतरा न बना रहे, इस से उन का दिल टूट जाता है। आप उन को ऐसी पोजीशन में रख दें ताकि वह इत्मीनान से दिल लगाकर अपने फरायज को अंजाम दे सकें। इस तरह की आशाओं को लेकर मैं उन का भाषण सुन रहा था लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई कि इस तरह की कोई चीज उसमें नहीं थी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ट्रान्सपोर्ट आफिस की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। हमारे जिले के करीब बरेली का ट्रान्सपोर्ट आफिस पड़ता है। वहां की हालत यह है कि बगैर रिश्वत लिये वहां कोई काम नहीं होता। दो दो तीन तीन दिन तक बेचारे ड्राइवर लाइसेंसेज के रिन्यूअल के लिये वहां परेशान किये जाते हैं और उन को बेहद तकलीफ होती है और उन से उसके लिये सौ सौ रुपये रिश्वत के लिये जाते हैं। जिन को सौ रुपया तनख्वाह मिले वह हर दो तीन महीने बाद किस तरह से १०० रुपया रिश्वत के दे सकते हैं। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस है कि वहां इस तरह से रिश्वत का बाजार गर्म है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और निगाह रखें।

इस के अलावा मेरठ के रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिस की भी बहुत शिकायत है। वहां पर २-३ आदमी ऐसे हैं जिनका मैं यहां नाम तो न लूंगा क्योंकि वह चीज मुनासिब न होगी, लेकिन वह ही हर मामले में सारे आफिस पर हावी हैं और जो चाहे कराते हैं। मैंने सवाल के जरिये भी यह बताया था कि वहां पर आज भी ऐसे परमिट जारी हैं कि वह आदमी मर चुके हैं लेकिन परमिट उन के नाम जारी हैं। बुलन्दशहर-मेरठ रूट पर ऐसा परमिट है कि जो आदमी मर चुका, उस का कोई पता नहीं है। कह दिया गया कि वह मेरठ सिटी में रहता है लेकिन उस का कोई पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस की पूरी जानकारी करायें और अपने विभाग के लोगों से मालूम करें कि ऐसा परमिट क्योंकर जारी है और वह कैंसिल क्यों नहीं किया गया।

दूसरे मुरादाबाद में मेरी साफ बात है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यह बात अपनी जगह सही है कि सारे परमिट एक पार्टी को बल देने के लिये दिये जाते हैं। मैं इस बात को सफाई के साथ कहता हूं। वह कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं को, उनके रिश्तेदारों को परमिट दिये गये हैं। आप किसी कम्यूनिस्ट पार्टी के आदमी का या उसके किसी रिश्तेदार का नाम बता दें। कहीं कोई नहीं। मैं अपने जिले के कांग्रेस के लोगों के उनके रिश्तेदारों के नाम बता सकता हूं जिनको बसेज और ट्रकों के परमिट दिये गये हैं। इस तरफ मंत्री जी तवज्जह दें और रीजनल कमेटी को हिदायत दें कि वह एक ही पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिये काम न करे।

कानपुर में सेन्ट्रल वर्कशाप है वहां से आम शिकायत है कि हिन्दुओं को छुट्टी उनके त्यौहारों पर दी जाती है, मुसलमानों को उनके त्यौहार पर दी जाती है। एक सेक्यूलर स्टेट में इस बेसिस पर छुट्टी देना शर्मनाक बात है। अगर पाकिस्तान या किसी दूसरी जगह पर ऐसा हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, पूरब के सदस्य ने मूव किया, पूरब ही जवाब दे और सेन्टर गायब।

श्री अधिष्ठाता—

अध्यक्ष पीठ पर आप को ऐसा चार्ज नहीं लगाना चाहिये, आपके लिये यह शोभा की बात नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं वापस लेता हूं।

*श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान का समर्थन करता हूं। आज सिद्धान्तों पर बात न करके परमिट के बारे में ही कहा गया, कोई रचनात्मक सुझाव नहीं आये। परमिट के जो नियम हैं उसमें जो आ जायगा उसको मिलेगा, चाहे हुर्मुजी बेगम हों या और कोई हो। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंग्रेजों के जमाने में बहुत छोटा था। वह सिर्फ इसलिये रहता था कि समय-समय पर सरकार के काम में सहायता दे। जनता को उससे कोई लाभ नहीं था। यह विभाग १५, १६ साल से कायम हुआ है और लाखों आदमी इससे लाभ उठा रहे हैं। कलकत्ते की ट्राम सर्विस के बाद हमारे प्रदेश का ट्रांसपोर्ट विभाग सबसे सस्ता है। जब बड़े बड़े कुम्भ और मेले होते हैं और रेलें यात्रियों की जरूरत को कैटर नहीं कर पातीं तो रोडवेज विभाग उस स्थिति को कंट्रोल करता है। आजकल तो इतने काम पड़ते हैं, चुनाव होते हैं, अभी देखिये लोकल अथारिटीज का चुनाव हो रहा है, उसके लिये सभी पार्टीज के लोग किराये पर गाड़ियां ले जाते हैं। एक तरह से कहिए यह विभाग सब लोगों का मददगार है। इसके बावजूद भी कहा जाता है कि मेरठ में फलां को परमिट मिल गया, इलाहाबाद में फलां को परमिट मिल गया। परमिट मिनिस्टर तो नहीं देता, ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर नहीं देता। परमिट देने के लिए एक कमेटी बनी हुई है वह नियमों के अनुसार ही काम करती है और जो उनका पालन करते हैं उनको परमिट देती है। उसके बाद भी अगर किसी को एतराज हो तो वह कोर्ट में अपील कर सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग के सुधारों के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो यह कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में जो नीचे की सर्विसेज हैं वे इतनी इन-सिक्योर हैं कि उनके अफसर जब किसी को नहीं चाहते हैं, उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर देते हैं। इस विभाग के छोटे-छोटे जो कर्मचारी हैं वे अक्सर हम लोगों के पास में आते हैं और हम लोग भी ट्रान्सपोर्ट और मिनिस्टर साहब के दरवाजे खटखटाते हैं। कहीं-कहीं पर यह भी देखा जाता है कि हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है फिर भी उनके इमीडियेट अफसर जो हैं वे उससे नाराज होकर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं। एक तो इतनी बड़ी महंगाई है और दूसरे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। नौकरी से निकालना बहुत आसान है पर किसी को नौकरी देना बड़ा मुश्किल होता है। कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बनने चाहिए, जिससे उनकी सर्विसेज भी सिक्योर रहें।

दूसरी बात जो है वह बसेज के स्टापेज के बारे में है। एक चीज तो ये करलें कि ये कहां होंगे? फलां जगह भीड़ होगी या नहीं, कोई इसके लिए निश्चित रूल बना लें या एरिया बना लें कि १ मील पर, या ६ फर्लांग पर हम बनायेंगे। दूसरे यह भी देखने में आया है कि यदि कोई बस कहीं फेल हो गयी तो दूसरी बस आने में बहुत देर हो जाती है। इस विभाग को इसके लिए एक्सट्रा हैंड्स रखने चाहिए क्योंकि कभी-कभी ड्राइवर कहते हैं कि हम नहीं जायेंगे, कभी-कभी मिस्त्री कहते हैं कि हम नहीं जायेंगे। पब्लिक की यूटिलिटी को देखते हुए यह तो कम से कम हो जाय कि पब्लिक अपने इच्छित स्थान पर निश्चित समय से पहुंच सके। फर्ज कीजिए कि मैं यहां से ३ मील पर रहता हूं और मुझे यहां पर १० बजे आना है तो अगर कहीं बस फेल हो जाती है तो समय से नहीं आ सकता हूं। इस विभाग में ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर है, डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर है। उसकी एक साइड एडमिनिस्ट्रेशन की है दूसरी जुडीशियरी की है। तो कम से कम ऐसा हो जाय कि इस विभाग की एफीशियेन्सी तो अधिक हो।

इस विभाग में विशेष सप्ताह भी मनाये जाते हैं कि अच्छा व्यवहार किया जाय, लेकिन इनके आदमियों का अभी तक अच्छा व्यवहार नहीं होता। जब मैं कहीं जाता हूं बस में तो अक्सर देखता हूं कि इनके बस कन्डक्टरों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। अटैची और गठरी को कह दिया जाता है कि साथ में नहीं रखी जायगी। अगर मैं मेरठ में जाऊं और वहां पर मेरा कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लालबहादुरसिंह]

आदमी नहीं है तो मैं कहां पर उस अटैची को रक्खूं। उनके रूल्स में कुछ रिलेक्सेशन कर देना चाहिए। इनके कन्डक्टरों को चाहिए कि वे नम्रता से व्यवहार करें। इनके स्टेशन मास्टरों का तो कहना ही क्या? वे तो बेमुल्की नवाब हैं। यह सब ठीक तरह से होना चाहिये।

मोटरों के परमिट देने के सम्बन्ध में आपका कोई डेफिनिट ला नहीं है कि किसको मोटर दिये जायं। अनाप शनाप जिसको चाहते हैं मोटर दे देते हैं और फिर हाउस में शिकायत की जाती है कि उसको मोटर दे दिया गया। एक आदमी की क्या इनकम है यह नहीं देखा जाता। गल्ले की दूकान भी उसके पास है, कोयले की दूकान भी है और मोटर का परमिट भी उसको दे दिया गया। तो यह सब बन्द होना चाहिये।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गया प्रसाद के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी अगर विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा दिये हुए सुझावों को कांग्रेस के माननीय सदस्य दुर्लक्ष्य करेंगे। इस सदन में जो आरोप परिवहन विभाग पर लगाये गये हैं उनकी जांच होनी चाहिये। विरोधी दलों की ओर से जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कुछ तथ्य होते हैं और उनको यह कह कर टालना कि तथ्यहीन हैं इससे काम नहीं चल सकता।

जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उससे सिद्ध होता है कि परिवहन विभाग में इनएफीशियंसी बढ़ रही है। अगर इस विभाग की एफीशियेंसी बढ़ती होती तो कामर्शियल बेसिस पर जो यह विभाग चल रहा है उसका लाभ निरन्तर बढ़ता रहता। आंकड़ों से ज्ञात यह होता है कि यह लाभ निरन्तर घटता ही चला गया। ५८–५९ में १७.४५ का लाभ हुआ। ५९–६० में २१.३१ का लाभ हुआ। १९६०–६१ में १९.४२ का लाभ हुआ। १९६१–६२ में १६.३४ लाभ हुआ और १९६२–६३ में १४.२१ का लाभ हुआ। इसका कारण यह है कि परिवहन विभाग में नियुक्त कर्मचारियों को जो सुविधायें देनी चाहिये थीं वे सुविधायें उनको नहीं दी गयीं। परिणाम यह हुआ कि उनकी इन-एफीशियेंसी बढ़ रही है और उनका काम करने में जी नहीं लगता। इसका परिणाम यह हुआ कि इस विभाग का लाभ कम होता जा रहा है।

पहले इस विभाग में कुछ हैंडीक्राफ्ट के काम हुआ करते थे। वहां पर मशीनें मौजूद हैं, टैक्निकल हैण्ड्स मौजूद हैं और रा-मेटीरियल भी मौजूद है। वह रा-मेटीरियल फेंक दिया जाता है। अगर प्राइवेट फर्म होती तो उसी रा-मेटीरियल का वह लाभ उठाती और उससे उस लाभ का अंश बढ़ता। इस ओर विभाग को ध्यान देना चाहिये।

यह देखा जाता है कि कोई रूट नेशनलाइज हो जाता है लेकिन टेम्पोरेरी परमिट फिर भी चलता रहता है। रिट दाखिल होता है और महीनों टेम्पोरेरी परमिट चला करता है और मामला खटाई में पड़ा रहता है। जब एक रूट नेशनलाइज कर लिया जाय तो टेम्पोरेरी परमिट बन्द कर देना चाहिये।

साथ ही जिन रूट्स को आपने नेशनलाइज किया है उनमें भी गड़बड़ है। सीतापुर-लहरपुर रूट का नोटीफिकेशन हुआ लेकिन आज तक उस पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। वहां की जनता परेशान है। कितने ही आवेदन-पत्र आये, लेकिन १६ वर्ष से इसी तरह से सरकार चला रही है। आज तक उसके ऊपर सरकारी बस नहीं हैं। जनता में बहुत बड़ा क्षोभ है। यह इस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है।

इन-एफीशियेंसी के बारे में मैंने कहा। बस कंडक्टर लोग जब रूट पर चलते हैं और जहां स्टापेजेज आते हैं और जहां ड्राइवर की स्टीयरिंग ड्यूटी काटी जाती है वहां कंडक्टर की भी काट ली जाती है। कंडक्टर जो अपना जीवन लगाये हुये बस पर चल रहा है उनकी यह ड्यूटी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न काटी जाय तो वह भी समझें, उनके अन्दर भी उत्साह हो कि कामर्शल लाइन्स पर जो यह कार्य चल रहा है उसमें उनका भी योगदान है और जो लाभ है उसमें भी हमारा हिस्सा है।

साथ ही साथ, हर स्टेशन पर जहां वर्कशाप है वहां ड्राइवरों के लिये न ठहरने की, न जलपान की और न किसी प्रकार की व्यवस्था है। गत वर्ष भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि जहां जहां आपके डिपो हों वहां कर्मचारियों के ठहरने के लिये व्यवस्था करायें, उनके लिये वहां जलपान आदि की सुविधा हो। लेकिन प्राफिट तो लेते जा रहे हैं जिनके बल पर यह प्राफिट आता है उनका दुर्लक्ष्य किया जा रहा है।

लालबहादुर सिंह जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं। आपके विभाग में तानाशाही बहुत दिनों से चली आ रही है। अभी शाहजहांपुर का एक किस्सा है। वहां कन्हैयालाल, एक हरिजन बस कंडक्टर था। रिजवी साहब उसकी जगह पर अपने एक रिश्तेदार को लाना चाहते थे। रिजवी साहब ने उसको बरखास्त कर दिया। मुन्नालाल जी ने जब यहां प्रश्न उठाया तो उसको फिर रखा गया और रिजवी साहब के ट्रांसफर के आर्डर हो गये। रिजवी साहब का ट्रांसफर तो रुक गया, लेकिन वह बेचारा हरिजन कन्हैयालाल बदायूं को ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह का अत्याचार आपके प्रशासन में होता है। मेरा यह निश्चित चार्ज आप पर है और आप को इसका जवाब देना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। हरीसिंह जी, समय थोड़ा है संक्षेप में कहिये।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं परिवहन विभाग के अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह विभाग ऐसा है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं। सरकार को सिर्फ मुनाफा हो यह ऐसा विभाग नहीं है। यह विभाग जनता को भी बहुत सी सुविधाएं पहुंचाता है। जनता विभाग से बहुत संतुष्ट है कोई विशेष परेशानी नहीं है। लेकिन एकाध सुझाव हैं। मंत्री जी स्वयं जाकर देखें कि उनके विभाग में छोटे कर्मचारियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। जितना जुल्म आपके विभाग में होता है उतना सरकार के किसी विभाग में नहीं है। हरिजनों की नौकरियां खत्म कर दी गयी हैं। आपसे बार-बार कहा गया लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की। मैं आशा करता हूं कि उनके साथ जो जुल्म है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है उसको आप दूर करने की कृपा करेंगे। बड़े-बड़े अधिकारी जो गबन करते हैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं होता। यह विभाग मानों उनकी बपौती है, उनको कोई छूता नहीं, लेकिन छोटे कर्मचारियों को छोटी छोटी बातों पर निकाल दिया जाता है। एक बात यह है कि जितने हरिजन इस विभाग में रखे गये थे एक-एक करके निकाले जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि १९५७–५८ में कितने हरिजन इस विभाग में थे और आजकल कितने हैं? मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान देंगे और इसकी इंक्वायरी करायेंगे कि आखिर हरिजन लोग क्यों इस विभाग से निकाले जा रहे हैं। अगर कोई गलती ये करते हैं तो उनको वार्निंग दी जा सकती है। बड़े-बड़े कर्मचारी लाखों का गबन करते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। मैनेजरों का कुछ नहीं किया जाता है। जब कि हमारी सरकार समाजवादी समाज की बात करती है, बिरोधी दलों के लोग तो बुराई ही करते हैं और परमिटों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपने रीजनल कमेटी में लखपतियों को रख दिया है जिस से वे गरीबों के बजाय बड़े-बड़े लोगों को ही परमिट देते हैं। हमारे बिरोधी दल के लोग भी कहते हैं कि बड़े-बड़े साहूकारों को ही परमिट दिये जायं और ऐसे लोगों को परमिट दिये जायं जिनके पास पैसा हो। लेकिन गरीब आदमी को परमिट नहीं मिलना चाहिये। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

आज मुझे अफसोस हुआ जब उन्होंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किये। उनको तो समर्थन करना चाहिये था कि परमिट पैसे वालों को न दे कर गरीब आदमियों को दिये जायं जो मोटर चलाने वाले हों, चाहे वे कर्जा ले कर चलावें।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मेरठ रीजन में कमेटी बैठी और जिनके पास पैसा था उनको परमिट दिये गये। जो हमारे गरीबों के रहनुमा हैं, जिन्होंने देश के लिये बलिदान किया है और आज भी वे गरीबों के शुभचिन्तक हैं, वे आज कहते हैं कि परमिट उनको ही दिया जायगा जिनके पास रुपया होगा। जो गरीब हैं राजनीतिक पीड़ित हैं, उनको परमिट नहीं मिल सकते हैं। आपके मंत्रिमंडल के जमाने में सरमायेदारों को ही परमिट मिल सकते हैं। आज आपके विभाग के कर्मचारी माननीय सदस्यों तक से बात करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप इधर ध्यान देने की कोशिश करें। पहले इसी विभाग की बड़ी प्रशंसा होती थी। गढ़मुक्तेश्वर के मेले में इस विभाग के काम की हम बड़ी प्रशंसा करते थे और आज भी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वर्कशाप में जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। वे बेरोजगार बनाये जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जा कर देखें और बड़े कर्मचारियों को तम्बीह करें कि इतने जुल्म न करें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। हमारे सामने प्रश्न यह है कि सदन में निश्चय हुआ था कि ३–१५ बजे तक मत ले लिये जायं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे आज की परिस्थिति में क्षमा करें। सदन को अधिकार है यदि सदन चाहे तो समय बढ़ा दे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटा सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय गया प्रसाद, सोशलिस्ट पार्टी, ने कटौती का प्रस्ताव रखा। इतने पार्टी के तमाम लोग बाकी हैं, हम भी बाकी हैं। उसी पार्टी के नेता बोलने जा रहे हैं उनसे कहिये कि उनको फोरगो करें और हमको टाइम दें। वैसे जैसा आप हुक्म दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन, आप पांच मिनट में समाप्त कर दें।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, चूंकि आपने केवल ५ मिनट समय दिया है इसलिये जो कुछ अर्ज करूंगा सूत्रवत् करूंगा। मैं गया प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पहली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिनों से मांग चली आयी है कि इस विभाग के वेतन-क्रमों में जो असमानता है उसको दूर किया जाय। एक छोटा ड्राइवर, एक बड़ा ड्राइवर, क्लीनर, हाई स्कूल पास और फेल, कैशियर और असिस्टेन्ट कैशियर, स्टोर कीपर और असिस्टेन्ट स्टोरकीपर, छोटे-छोटे कर्मचारियों में जो यह असमानता है वह दूर होनी चाहिये। १९४७ में जब पे कमेटी बैठी उसके बाद यह विभाग पैदा हुआ इसलिये इसके लिये एक ग्रेड कमेटी बिठा दी जाय ताकि जब बृहत्तर पे कमीशन बैठे तो अन्य विभागों के समानान्तर पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में वह कह सके। दूसरी बात यह है कि इस विभाग में २३ हजार आदमी हैं। आपने वादा किया था कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्ज इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्ष तक के कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। लेकिन आज भी केवल ८ हजार कर्मचारी स्थायी हुए हैं, १५ हजार कर्मचारी आज भी अस्थायी हैं, जिनको स्थायी हो जाना चाहिये। तीसरी बात यह है कि स्थायित्व प्रदान करने के लिये सरकार के कई जी० ओ० हैं। १९५२ में कहा गया कि सीनियारिटी के हिसाब से स्थायी किया जायगा। वह बाद में बदल दिया गया। फिर कहा गया कि तारीख ऐप्रूवल से बनाया जायगा। वह भी बदल दिया गया। कहा गया

कि मैरिट से बनाया जायगा। फिर बाद में बदलकर कर दिया गया कि डेट आफ एप्वाइंटमेंट से बना दिया जाय। सारे विरोधी भाषी जी० ओ० जो हैं इनको खत्म कीजिये और कर्मचारियों को तुरन्त स्थायित्व प्रदान करें। १९६० में जो राजाज्ञा हुई, राठौर साहब के जमाने में जो आज्ञा हुई, उसने तो सारे गरीबों को साफ कर दिया। मेडिकल छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी में अगर कहीं काटी गयी है तो परिवहन विभाग में। यह वह विभाग है जहां नियम नहीं है, ऐक्ट नहीं है, मैनुअल नहीं है। रोडवेज मैनुअल बनाने के लिये कमेटी बनी है। आखिर रोडवेज मैनुअल धूल की तरह कहां उड़ गयी ?

बोनस की मांग बहुत पुरानी है। कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारें बोनस देती हैं। अब तो बोनस कमीशन का खुलासा हो गया है। सारे कर्मचारियों को बोनस देना चाहिये। आज तक वर्क्स कमेटियां कायम नहीं हुईं। रीजनल वर्कशाप कानपुर तक में वर्क्स कमेटी नहीं है। इस विभाग में जनरल मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है। आठ सौ से बारह सौ, पन्द्रह सौ तनख्वाह पाते हैं। जिस तरह से जिलाधीश का पद समाप्त होना चाहिये उसी तरह से यह पद भी समाप्त होना चाहिये। जी० एम०, उसके बाद ऐडीशनल जी० एम०, उसके बाद डिप्टी जी० एम० बनाये हैं। उसके बाद ए० जी० एम० हैं और ए० जी० एम० (आर), ए० जी० एम० (ए), ए० जी० एम० (टी), इस तरह से करके यह जी० एम० और ए० जी० एम० की जो यह भृंखला है यह ऊंचे अधिकारियों की यह छोटे कर्मचारियों पर तानाशाही करते हैं और बड़ा खर्चा है इनके ऊपर। नौ-नौ रीजन्स में नौ-नौ जी० एम० और कितने ही ए० जी० एम० हैं। इनको वहां से हटाइये। इनसे दूसरा कोई काम लीजिये, उड्डयन विभाग में भेज दीजिये, नैपाल बांध बन रहा है, वहां भेज दीजिये। और बहुत से तो इनमें ऐसे हैं कि जो नाइन्थ फेल हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि रोडवेज मजदूर सभा रोडवेज के मजदूरों की एक खास यूनियन है, इसको आप मान्यता प्रदान करें और जिस तरह से और दूसरे कर्मचारियों के लिये परमानेन्ट कंसीलिएशन बोर्ड बना हुआ है उसी तरह से रोडवेज के कर्मचारियों के लिये भी एक परमानेन्ट कंसीलिएशन बोर्ड होना चाहिये, ताकि उनको जी० एम० और ए० जी० एम० के पास न जाना पड़े। उनके सारे मामलों को उस परमानेंन्ट कंसीलिएशन बोर्ड में भेजा जाय। श्रम विभाग ने आपको इसलिये चिट्ठी लिख रखी है, आप उसके अनुसार कार्य करें।

इस विभाग में भ्रष्टाचार इतना है, माननीय मुजफ्फर हसन के सामने जब गोरखपुर के जी० एम० मिस्टर स्याल की ऐन्ट्रीज पहुंची तो मिस्टर प्यारेलाल गुप्त की सिफारिश पर वह छहों साल की एन्ट्री एक समय में एक साथ काट दी गई। मिनिस्टर स्याल की एन्ट्रीज कट नहीं सकती थीं किसी तरह से भी लेकिन माननीय मंत्री जी के आदेश से वह काटी गई हैं। बड़ा भ्रष्टाचार है इस विभाग में, माननीय मंत्री जी, यह आपके मान का नहीं है, इसलिये अल्लाह के नाम पर आप विभाग छोड़ कर चले जाइये।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

गयाप्रसाद जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव....

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इस सिलसिले में कुछ मुझे भी निवेदन करना है। मेरे क्षेत्र की कुछ विशेष बात हैं, इसलिये आप थोड़ा-सा समय मुझे भी देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने तो स्वयं चाहा था, लेकिन सदन की राय नहीं हुई कि समय बढ़ाया जाय, इसलिये मेरी मजबूरी है।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

परिवहन विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। अगर इस पर निवेदन करने का मौका मुझे नहीं मिलता है तो .....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जायं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है कि जो आपका निश्चय हो उसके अनुरूप मैं यहां बैठकर आचरण करूं। आपने निश्चय किया कि साढ़े तीन बजे तक इस अनुदान पर आपका मत लिया जाय। मैंने अपने अधिकार से दस-पांच मिनट और इसको बढ़ा दिया। मैंने जब यह जानना चाहा कि क्या सदन का समय कुछ बढ़ाना चाहते हैं, आप लोगों ने तो इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो ऐसी हालत में मेरी मजबूरी है।

*श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गयाप्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार ने जो अपनी विभागीय परिचय पुस्तिका पेश की है उसमें एक यह भी सिद्धान्त दिया गया है कि यह राज्य के आर्थिक विकास में योग देने के उद्देश्य से इस विभाग की ओर सरकार ने ध्यान दिया है। अगर यह सिद्धान्त है सरकार का तो परिचय पुस्तिका से ही प्रतीत होता है कि सरकार को बराबर तीन वर्षों से लाभ कम होता गया है। ६०–६१, ६१–६२ और ६२–६३ में २ करोड़ १४ लाख, २ करोड़ १३ लाख और २ करोड़ ११ लाख इस तरह से करके बराबर यह आमदनी कम हुई है। तो अगर एक यही सिद्धान्त था तो सरकार इसमें भी असफल हुई है।

मान्यवर, सरकार अगर हर किस्म का व्यापार करना चाहती है तो वह अपने वास्तविक कार्य से दूर हो जाती है। सरकार का काम हर एक बिजनेस को अपने हाथ में ले कर चलाना नहीं है। प्रदेश में सरकार का काम चौराहे पर खड़े सिपाही की तरह होना चाहिये जो वहां से खड़े होकर गाड़ियों को पास करता है, न कि हर गाड़ी में बैठकर वह उन्हें पास करता है। इस विभाग की आलोचना ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से भी हुई है। माननीय हरीसिंह ने अभी कहा कि उनका एक अंग हरिजन जिसको कहा जाता है उनकी वहां बिलकुल कमी है। इन आलोचनाओं से यह स्पष्ट है कि समाज का भी इससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा है तथा पब्लिक एक्सचेकर पर अनावश्यक भार रूप है। और जनता की जो व्यक्तिगत सम्पत्ति और स्वतंत्रता है वह सरकार ने छीन ली है। आज सरकार नेशनलाइजेशन की तरफ बड़ा ध्यान देती है। पहले यह मोटर परमिट का रोजगार पंगु और बेवाओं का था। जिनके पास और कोई साधन नहीं होता था वह मोटरों का परमिट लेकर चलाते थे, उनको परमिट और लाइसेंस दे कर सरकार को उनकी रक्षा करनी चाहिये थी। परन्तु परमिट, लाइसेन्स और कोटे का विरोध करते हुये मुझे यह कहना है कि जहांपर जिनको जरूरत थी उनको नहीं दिया गया। परमिट, लाइसेन्स और कोटे का लाभ जनता को नहीं हुआ है और बल्कि शासक वर्ग के विशेष तबके को लाभ हुआ और जनता को उलटे हानि हुई है। जो प्राइवेट मोटर वाले हैं अभी वह भी अच्छा काम करते आ रहे हैं तो सरकार उनको भी मौका देती कि वह भी अपना संगठन करते और दिखाते कि वह कैसा काम कर सकते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकार के सामने कम्पीटिशन में आते और तब मालूम होता कि सरकार क्या काम कर रही है। कम्पटीशन में कार्य शैली और दक्षता का पता चलता है। जब सरकार ने अच्छी-अच्छी रूट पर अपनी मोनोपोली कर ली है जैसा कि इस पुस्तिका के आंकड़ों से मालूम होता है कि सरकार के साथ कोई मुकाबले में नहीं है तब यह कैसे जाना जाय कि क्या लाभ जनता को हुआ तो फिर इन नेशनलाइज्ड और मोनोपलाइज रोड पर जनता को क्या दुखः-सुख है इस प्रकार की सही बात का अनुमान लगाना कठिन है। परमिट और कोटे की वजह से सरकार के ऊपर सदैव जनता की ओर से और हर तरफ से यह आरोप लगाये गये कि भ्रष्टाचार है, और सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी स्वयं इस व्यवसाय को अपने हाथ में लेकर मनमाने ढंग से चला रही है। अन्तर्प्रान्तीय रोड्स पर भी प्राइवेट मोटर वाले लोगों को भी सरकार परमिट दे सकती थी, लेकिन उनको नहीं दिया गया है। सरकार की ओर से यह कहा गया कि इस विभाग में बड़ी एफिशियेन्सी है। अभी हमको मालूम हुआ कि हमारे कुछ माननीय विधायक मित्र २२ तारीख को कानपुर जा रहे थे। जो गाड़ी यहां से चली उसको १।। घंटे के अन्दर वहां पर पहुंचना था, परन्तु रास्ते में एक और बस पड़ी हुई थी जिसको उस गाड़ी से बांध लिया गया। वह गाड़ी उस खड़ी हुई गाड़ी को भी बांधकर लेकर गई। उन दोनों गाड़ी के पैसेन्जरों को और भी अधिक समय लग गया और बड़ी परेशानी में वे लोग कानपुर तीन घंटे में पहुंचे। इसी तरह से सिटी बस सर्विस का हाल है। कभी आप घंटे भर तक किसी चौराहे पर खड़े रहे तो मालूम होगा कि कभी तो ४, ५ बसें एक साथ आ जाती हैं और कभी घंटों खड़े रहने पर भी बसें तक नहीं आती हैं। यह आपके यहां की एफिशियेन्सी है जो बहुत सराहनीय है, जनता आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न है।

दूसरी बात यह है कि जहां पर सरकार ने मोनोपोलाइज नहीं किया है वहां पर प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं। वहां पर उनके पीछे एक भूत लगा हुआ है वह है यात्रीकर। यात्रीकर लगाकर एक इन्सपेक्टर उनके पीछे लगा दिया गया है। इस प्रकार के प्रबन्ध से हजारों बे पढ़े-लिखे कंडक्टर आदि बेकार हो गये हैं और अपनी रोजी खो बैठे हैं वे गरीब कंडक्टर, जो दर्जा ४ भी पास भी नहीं थे, किसी तरह से अपनी रोजी कमाते थे। उनके लिये एक मुसीबत पैदा कर दी है। प्राइवेट बस वालों ने उनको यात्रीकर के हिसाब किताब न रख सकने की वजह से निकाल दिया है। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। यह उनकी गरीब जनता की रोजी और रोटी का सवाल है। उनको किसी काम में लगाने का प्रयत्न किया जाय। एक बात यह भी कहूंगा कि परमिट, कोटे और लाइसेन्स का जहां पर सवाल आता है वहां सरकार को बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के मोटर वालों को स्वतन्त्रता दें। उनको स्वतन्त्र व्यवसाय करने दें। सरकार उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण न करे यह साधारण जन जीवन यापन की एक विधि है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्य के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गयाप्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकारी तरफ के वक्ताओं के भाषण सुन रहा था और मैंने माननीय नवलकिशोर जी और कृष्णानन्दराय जी क भी भाषण सुने। मुझे ऐसा लगता है कि किसी विषय को न जानना और उस पर कुछ कह देना ही भाषण देना है और उन्होंने सदन के स्तर को ऊंचा उठाने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपना तीन-चौथायी समय दिया था यह बतलाने में कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धाराओं का पालन माननीय हसन साहब के राज में नहीं हो रहा है और उसका कोई उत्तर नवलकिशोर जी ने या कृष्णानन्दराय जी ने नहीं दिया। जिस परमिट के बारे में वह सोच कर आये थे उसका नाम तक मैंने नहीं लिया। जो दूसरी बातें मैंने कही थीं उन पर अगर विवाद हुआ होता तो सदन की जानकारी बढ़ी होती, लेकिन आप तो किसी मुवक्किल की वकालत करने आये थे, भले ही वह ठीक हो या गलत। तो जो चार्जेज हैं, जिनको मैं कानून कायदे के अनुसार सिद्ध कर सकता हूं और किये हूं और अगर आवश्यकता होगी तो जांच समिति के सामने भी सिद्ध करूंगा, उस समय आप अपनी बुद्धि की गठरी ले कर आ जाइयेगा और अगर मेरी एक भी बात वहां काट दीजियेगा तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो दोनों प्रदेशों के समझौते की बात थी वह ५७ और ६० में हुआ था। उसके अनुसार प्राइवेट बसेज नहीं चल सकती थीं। १९६३ की जुलाई में वह समझौता बदला गया जिसके अनुसार प्राइवेट बसेज भी चल सकती थीं, लेकिन उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाप्रसाद]

पहले ही ३ मई को हुरमुजी बेगम को परमिट दे दिया गया। तो क्या उस समझौते के अनुसार काम हो रहा है ? मैं उन कायदे कानूनों का जिक्र कर रहा हूं जिनके अनुसार आप इस प्रदेश के परिवहन विभाग को चलाना चाहते हैं और आपकी ओर से ही उनका पालन नहीं हो रहा है। मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि वे लोग जब किसी मंत्री की वकालत करने खड़े हों तो पूरी जानकारी हासिल करके जिम्मेदारी के साथ खड़े हों। मैं उन आदमियों में से हूं कि जो बहुत कम बोलते हैं और किसी को बोलते समय डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जब कोई बात मुझे पकड़ की मिलती है तो मैं उसे कहने से बाज भी नहीं आता। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस वर्ष से इलाहाबाद प्रयाग को टूरिस्ट सेंटर बनाने जा रहे हैं या नहीं।

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने इस वातावरण में भी कुछ सुझाव इस बजट के सिलसिले में पेश किये। मेरी बदकिस्मती है कि सदन का एटमास्फियर दो, तीन महीनों से एक परमिट को लेकर बिगड़ता जा रहा है और आज इस कटौती के प्रस्ताव में भी वही राग छेड़ा गया। मैं आप से अर्ज करूं कि परमिट देने का काम क्वासी जुडिशियल काम है। आर० टी० ओ० उसे देते हैं और उसके खिलाफ ए० टी० ए० और एस० टी० ए० क्रिमिनल में अपील हो सकती है। किसी खास परमिट के सिलसिले में अगर कोई प्रोसीजरल सवाल था तो वह अपील की शकल में आ सकता था। वहां आ सकता था। जो ट्रिब्यूनल है उसमें आ सकता था, हाई-कोर्ट में आ सकता था। दूसरी सूरत भी थी कि दफा ६० के मातहत उसकी इंक्वायरी आर० टी० ओ० करते, लेकिन चूंकि इस मामले में मेरे नाम को बार बार घसीटा गया था, इसलिये मैं इसके लिये बहुत ज्यादा बेचैन था कि इस पर कोई इंक्वायरी होनी चाहिये। मैं तो यहां तक उस पर तैयार था कि प्रिविलेज मोशन मंजूर हो जाय, जिसको कि नामंजूर किया गया, ताकि उसी नाते इस पर इंक्वायरी हो सके। मैंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि मेरे डिपार्टमेंट से जाबते से इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, आप इसकी इंडिपेंडेन्ट इंक्वायरी करें। बजाय इसके कि उसको कोई अप्रिशिएट करता, उसके सिलसिले में रोज ही सवाल आता है और यहां के स्तर को गिराने की लगातार कोशिश हो रही है। मुझे याद है कि जो जजमेंट सुनाया गया था उसमें कहा गया था कि जस्टिस ब्रूम ने कहा कि यह स्कैंडलस है और मिनिस्टर उसके लिये जिम्मेदार हैं। लेकिन आज जो जजमेंट आपने सुना कि जजमेंट में क्या सुनाया गया। मुझसे यह कहा गया कि एक नहीं २० परमिट मैंने अपने रिश्तेदारों को दिलवाये। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे जमाने में मेरे रिश्तेदारों में से अगर एक भी परमिट किसी को दिया हो तो मैं यहां से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार होना या दूर का रिश्तेदार होना कोई गुनाह है और कोई काम करता है तो....

श्री मुजफ्फर हसन—

परमिट ऐसी चीज है जो आर० टी० ओ० के जरिये से दी जाती है और जो उसकी शरायत को पूरा करता हो उसको वह लेने का मुस्तहक है और मैं यह नहीं मानता कि किसी के रिश्तेदार को उससे वंचित किया जा सके। लेकिन फिर भी यह कहा गया कि ५० लाख रुपया मैंने कमा कर रखा है। कल एक सवाल के सिलसिले में कहा गया कि मैं इलाहाबाद में कहां ठहरता हूं। मैं कहता हूं कि मैं उनके मकान में इसलिये ठहरता हूं, क्योंकि इलाहाबाद में कोई मेरे लिये और मकान नहीं है। मेरा हिसाब एक आईने की तरह से खुला हुआ है। जो

मिनिस्टरी में मुझे मिलता है उससे तो मेरी जरूरत भी पूरी नहीं होती और मैं बगैर जरूरत पूरी किये हुए इसे चला रहा हूं। तो ऐसी सूरत में बजाय इसके कि इसको अप्रिशिएट किया गया होता, इसकी इंक्वायरी का वह सिलसिला आज भी जारी है और मुझे अफसोस है कि एक बड़े विषैले ऐटमास्फेयर में इस बात को उठाया गया और आज भी इस बजट के सिलसिले में कहा जा रहा है।

एक सदस्य—

आप तो ७ हजार पाते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—

कल्पनार्थसिंह जी ने एक अतारांकित सवाल पूछा था, उसका जवाब मिला तो उन्होंने एक फेहरिस्त बना ली कि नरायन स्टोर को इतने आर्डर दिये गये। अगर वह और सवाल करते तो मालूम होता कि क्यों इतने आर्डर दिये गये। बात यह है कि वह रेलेज मेक जीप के सोल एजेंट हैं, दूसरा कोई सप्लायर नहीं है, तो फिर किसको आर्डर दिया जाता? लेकिन अपने खयाल से इमारत बना ली जाती है। अगर तारांकित सवाल करते तो बात साफ हो जाती।

१८ घंटे काम करने की जो बात कही जाती है वह गलत है। जिनसे ओवर टाइम काम लिया जाता है, उनको ओवर टाइम भत्ता भी दिया जाता है। (व्यवधान)

माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने कहा कि इस विभाग में मुनाफा नहीं होना चाहिये। पब्लिक सेक्टर में जो दो तीन चीजें हमने लगा रखी हैं, अगर उनमें मुनाफा न हो तो आज हम जो कार्य करना चाहते हैं उनमें हम सफल नहीं हो सकते। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

जब मंत्री जी बैठ नहीं रहे हैं तो आप लोग शान्ति से सुनिये।

श्री मुजफ्फर हसन—

माननीय नवलकिशोर जी ने मुनाफे के बारे में जो जानना चाहा था, मैं अर्ज कर दूं कि बजट लिट्रेचर में जो एकाउन्ट्स पेश होता है वह कैश बेसिस पर पब्लिश किया जाता है, लेकिन जो नफा नुकसान का हिसाब बनता है वह कार्मशियल बेसिस पर बनता है, उसका ए० जी० के यहां से चेकिंग होता है। १९६३–६४ में जो कम नफा हुआ उसका कारण था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गये, दूसरे आइटम्स पर भी खर्चा बढ़ा, और नये कानून के अनुसार ८०–९० लाख का खर्चा और बढ़ गया।

माननीय शराफत हुसैन साहब ने मुरादाबाद रीजन के बारे में कहा कि कुछ फर्जी परमिट दिये गये। अगर वे मुझे लिखकर देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

नौकरों के बारे में कहा गया। यह सही बात है कि छोटे नौकरों को नौकरी से अलग करने में थोड़ा सा रेस्ट्रेन से काम लेना चाहिये, लेकिन मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि हमने यह उसूल बना लिया है कि अगर कोई कन्डक्टर किसी आदमी को बिना टिकट ट्रैविल कराता हुआ पकड़ा जायेगा तो उसके साथ रियायत नहीं की जायेगी। मैं समझता हूं कि यह हाउस भी इसे मुनासिब समझेगा ताकि करप्शन को रोका जा सके।

लोगों को मुस्तकिल करने की बात कही गयी। ३ साल से ज्यादा की जिनकी सेवा हो चुकी है उनमें से ६६ फीसदी कर्मचारियों को मुस्तकिल किया जा चुका है। एक अप्रैल, १९६३ तक १०, ९५२ कर्मचारी थे जिनमें से ७,६६० को मुस्तकिल किया जा चुका है। जो ३,२९२ जगह बाकी रह गयी थीं, उनमें भी १४२५ को इस साल मुस्तकिल किया जायेगा।

इसके अलावा जो और सुझाव आये हैं, उन पर कहने का इस समय मौका नहीं है, हम विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इस बजट को यह सदन एक राय से मन्जूर करेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

जिस समय मंत्री जी को परिवहन विभाग नहीं मिला, तो क्या उन्होंने धमकी दी थी कि मैं शपथ नहीं लूंगा ?

श्री अधिष्ठाता—

(श्री ब्रह्मदत्त मायर से) आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—३७,

विपक्ष में—१११।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९—परिवहन के अन्तर्गत २५,२१,७९,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

पुरःस्थापन का विरोध नहीं होता है।

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४, पर विचार किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आम तौर से परम्परा यह रही है कि इस पर अध्यक्ष, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति, विचार प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सदस्य भी तो कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

हां, लेकिन बहुत संक्षेप में आपका भाषण होना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

२३५ करोड़ का बजट जो माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है मैं उसका सैद्धांतिक रूप से विरोध करता हूं क्योंकि इस बजट से उत्तर प्रदेश की आम जनता को कोई राहत मिलने वाली नहीं है । पिछले लगातार १०, १२ वर्षों से इस सरकार का बजट सुरसा की तरह बढ़ता चला जा रहा है । अभी माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के ऊपर से अगर जनता की आस्था उठ जायगी तो जनतंत्र नहीं चल सकता है । मैं इससे बिलकुल सहमत हूं । लेकिन सवाल यह है कि किन लोगों के कामों से जनता की आस्था उठ रही है । इसके जिम्मेदार आज सरकारी पक्ष के लोग हैं । माननीय नवलकिशोर जी, माननीय वित्त मंत्री और दूसरे मंत्री अपनी बजट योजनाओं से और शासन के ढंगों के द्वारा जिम्मेदार हैं कि आम जनता की आस्था जनप्रतिनिधियों के ऊपर से उठती चली जा रही है । आप भाई-भतीजावाद चलावेंगे तो जनता की आस्था कैसे रह सकती है ?

अभी एक सदस्य ने उधर से कहा कि क्या किसी मंत्री के रिश्तेदार को परमिट लेने का हक नहीं है । क्या किसी मंत्री के लड़के को हक नहीं है किसी फर्म में नौकरी पाने का ? मैं कहता हूं कि हक है लेकिन हिन्दुस्तान जैसे पिछड़े हुए देश में, जहां जनतंत्र अभी पनप रहा है, जनतंत्र में आम जनता की आस्था बनी रहे, इसके लिये आवश्यक है कि कानून बनना चाहिये कि जितने प्राइवेट फर्म्स हैं जो मंत्री के विभाग के नीचे हैं, उनमें किसी मंत्री का नजदीकी रिश्तेदार नौकर न होगा । अगर माननीय बनारसी दास भी श्रम विभाग के मंत्री हैं तो उनका कोई नजदीकी रिश्तेदार किसी मिल में वेलफेयर आफिसर या किसी मिल में मैनेजर न हो । अगर परिवहन विभाग के मंत्री का परिवहन विभाग है तो उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार जेनरल मैनेजर रोडवेज न हो । जब तक ऐसा नियम नहीं बनेगा तब तक जनतंत्र नहीं चल सकता है । आज तक दूसरे विभिन्न विभागों में इस प्रकार की बात चल रही है कि ऐसी नौकरियां जो गजेटेड नहीं हैं, जिनका विज्ञापन नहीं होता उसमें अपने सगे संबंधी भर्ती कर लिये जाते हैं । जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो चीनी मिलें हैं, उनका आप राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते ? इसका कारण यही है कि इन मिलों में मंत्रियों के सगे संबंधी व भाई भतीजे पनाह पाते हैं । माननीय मंत्री जी इस बजट के द्वारा इस तरह की योजना बना कर राज्य को भी बनाना चाहते हैं, और अपने घर-परिवार को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती हैं । माननीय मंत्री जी का ऐसा विचार है और उनकी भावना है कि राज्य तरक्की करे, उत्तर प्रदेश की तरक्की हो, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि इनके सगे-संबंधी व भाई भतीजे तरक्की करते चले जांय । ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं । २३५ करोड़ रुपये का यह बजट जो माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बनाया है वह ऐसा ही बजट है । इसलिये मैं इस पूरे बजट का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक ऐसी योजना बनावें जिससे सही रूप में कामयाबी हो सके । यदि आप उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाना चाहते

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हैं, और अपनी योजनाओं को कामयाब करना चाहते हैं, तो आपको अपनी योजनाओं में आमूल परिवर्त्तन करना होगा। जो योजना आप चलाना चाहते हैं इससे आम जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्रीमन्, मुझे तो तरस आती है कि एक तरफ तो भुवनेश्वर में आप समाजवाद का प्रस्ताव पास करते हैं और दूसरी तरफ यहां के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में तो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी करते हैं और ४०० रु० से ऊपर वालों की तनख्वाह में ४० रुपये की बढ़ोत्तरी करते हैं, जिससे जिसको मक्खन टोस्ट मिलता है उसे वह मिलता रहे, अमीर अमीर रहे और सूखी रोटी नमक पाने वाला सुख की जिन्दगी न बसर कर पावे। आप इस तरह की योजना बना कर उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं कर सकेंगे कि जो नीचे है वह तो नीचे ही बना रहे और दूसरी तरफ अमीर और अमीर होता जाय। इस तरह के बजट से उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ गरीब जनता का भला नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ में इस पूरे बजट का विरोध करता हूं।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह लगभग ४४५ करोड़ का बजट है जो हम लोगों के सामने आया है, मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पिछले सालों में बराबर बजट की रकम में अपार वृद्धि हुई है। परन्तु आज हमें यह सोचना होगा कि हमारे प्रान्त में जो खर्चा है और जो कर लगा है, आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या जनता उसे बर्दाश्त कर सकती है या उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम यह भी बतला दें कि जिन योजनाओं पर हम भारी रकम खर्च कर रहे हैं या जिनके बारे में हमने जनता में विश्वास व आस्था पैदा करने का प्रयत्न किया है उसमें विफलता ही ज्यादा रही है। पिछले कई सालों से भारतीय जनसंघ की ओर से इन योजनाओं के संबंध में आमूल परिवर्तन करने की प्रार्थना बराबर की गयी है, लेकिन आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के आखिरी चरण में जाकर यह अनुभव हुआ कि महंगाई बहुत बढ़ गयी है, लोगों के सामने कठिनाइयां भी पैदा हो गयी हैं जिससे जन जीवन का चलाना मुश्किल है। साथ ही जितने हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं उनमें भी कठिनाइयां बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई महंगाई व भ्रष्टाचार और स्थान स्थान पर हमारी इतनी कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना विफल होती जा रही है। अगर हमने उसमें अमूल परिवर्तन न किया और इन योजनाओं में जो आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये वह नहीं किया, तो हम एक ऐसी भयावह स्थिति में चले जायेंगे जहां से वापस होना कठिन हो जायगा। आज इन योजनाओं के कारण हम एक ऐसे चौराहे पर जाकर खड़े हो गये हैं कि जहां से आगे बढ़ना भी कठिन है और पीछे लौटना भी सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाये हुये है। आज की आसमान को छूती हुई मंहगाई, बढ़ती हुई बेकारी और तरह तरह की अन्य आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयां जनता के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा किये हुये हैं कि जिससे जनता त्रस्त है। आप सारे प्रदेश में दफा १४४ लगा कर जनता को उसकी कठिनाइयों और परेशानियों को भी सामने रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं और उसका यह असन्तोष अन्दर ही अन्दर घुटकर एक विकराल रूप धारण कर रहा है। उसको ऐसा अवसर वैधानिक रीति से मिलना चाहिये ताकि वह अपनी कठिनाई और परेशानी की भावनाओं को आपके सामने रख तो सके। आप ऐसी विस्फोटक परिस्थिति अन्दर ही अन्दर असन्तोष को व्यक्त कर पैदा न करें क्योंकि यह शांति व्यवस्था के लिये एक बहुत ही घातक चीज होगी और उसके बहुत से दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिये जहां योजनाओं में परिवर्तन होना चाहिये, हमारा उत्पादन बढ़ना चाहिये, जनता को विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये, वहां जनता के सामने जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कठिनाइयां हैं, जो आज के उसके जनजीवन में परिस्थितियां हैं उनके प्रकटीकरण का उसको मौका मिलना चाहिये ताकि यह असन्तोष विस्फोट न बने जो हम सबके लिये हानिकारक होगा। जब कोई सत्याग्रह के द्वारा, शांतिपूर्वक आकर अपनी मीटिंग करे और जो जीवन में महंगाई से परिस्थितियां पैदा हुई हैं उनको कहना चाहे तो सरकार उनकी परिस्थिति को न समझ कर, जनता के दुख का अनुभव न कर के ऐसे कदम न उठाये जिनके द्वारा आज उस से लाठी और डंडे से बात की जा रही है। आप इस तरह से इतिहास की पुनरावृत्ति न करें और अगर जनता सचिवालय के सामने बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कुछ अपनी बात कहना चाहती है तो आप दफा १४४ के द्वारा उसको न रोकें। यह जो बजट आप पास कराना चाहते हैं इसकी इतनी भारी धनराशि है कि उसके संबंध में जनता की भावनाओं और कठिनाइयों को समझकर और उसके आर्थिक संकट को ध्यान में रखकर आप अपनी नीतियों में परिवर्तन करें और उनकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक कदम उठावें। मुझे आशा है कि जनता की भावनाओं को समझ कर आप अवश्य इसमें परिवर्तन करेंगे। यही निवेदन करना था।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने पेश हुआ है उसके संबंध में मैंने २ भाषण सुने। बजट के सदन में ३ स्टेजेज होते हैं, पहला जनरल डिस्कशन, उस के बाद दूसरा उसकी ग्रान्टवाइज बहस और तीसरा स्टेज इस एप्रोप्रियेशन बिल का है। हम यह मानकर चलते हैं कि सबसे पहले जनरल डिस्कशन में सरकार की बजट नीति पर विचार होता है और उसके बाद ग्रान्टवाइज डिस्कशन में हम अलग-अलग विभागों के डिटेल्स में जाते हैं लेकिन एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त जनरल बहस नहीं होती बल्कि केवल कुछ बेसिक प्रिंसिपल की तरह ही थोड़ा-सा ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह २३५ करोड़ का हमारा ग्रांट-वाइज बजट पास हो गया, लेकिन इसके बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि जिस मद में जितना पैसा मंजूर हो गया है वह खर्च ही हो जाय। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें साढ़े ११ करोड़ का जो घाटा है उसके बारे में वह मेहरबानी कर के कोशिश करें कि जहां भी फजूलखर्ची को रोकने और बचत करने की गुंजायश हो उसको करने की वह कोशिश करें ताकि घाटा पूरा हो सके और अनस्पेंट जो करोड़ों रुपया रह जाता है वह न रहे क्योंकि उस हालत में हमारे जो टारगेट्स हैं वह पिछड़ जाते हैं। तीसरी योजना का यह चौथा साल है और एक साल और बाकी है और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं वह यथासम्भव इसी पैसे में पूरे होने चाहिये। इसके अलावा बजट में जो सरकारी उद्योगों के संबंध में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वह जो कैश बेसिस पर बनाया जाता है—मैं डिटेल में नहीं जाता—मैं यही चाहता हूं कि फाइ-नेंशियल स्टेटमेंट जो अटैच किया जाय बजट के साथ वह ऐसा हो कि जो पब्लिक सेक्टर में इंटर-प्राइजेज हैं उनका सही नक्शा हमारे सामने पेश कर सके। ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से क्या फायदा जिसकी कोई बात समझ में न आ सके। एक तो यह बजट के अन्दर होना चाहिये।

दूसरे यह कि आप बजट में देखेंगे कि अगर एक ग्रान्ट को लें तो सारा खर्चा एक जगह नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं हर ग्रान्ट का खर्चा एक जगह होना चाहिये ताकि हमको मालूम हो जाय कि किस मद पर कितना खर्चा होता है। आम तौर से दिक्कत आती है कि एक मद को ढूंढने में कई मदों को देखना पड़ता है। मेरी मंशा है कि बजट के तरीके में, चाहे मंत्री जी एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठायें, या सदन की बनायेंगे, जो यह देखे कि किस तरीके से बजट में तब्दीली कर सकते हैं जिससे बजट को अधिक स्पष्ट मेम्बर्स के लिये कर सकें।

आपने सरकारी कर्मचारियों के लिये जिनकी तनख्वाह १०० रु० से कम है, ५ रु० महंगाई भत्ता दिया है। मैं दरख्वास्त करूंगा एक क्लास और है पोलिटिकल सफरर्स की। जहां तक मेरी सूचना है, किसी को ७५ रु० से ज्यादा पेंशन नहीं मिलती। यदि उनको भी ५ रु० बढ़ा दें तो कृपा होगी।

[श्री नवलकिशोर]

एक और डिसप्यूटेड प्वाइंट है, पहले हमारे यहां फाइनेंस कमेटी थी। बजट की तीन स्टेजेज होती थीं --पहली फाइनेंस कमेटी की जिसमें शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स को ऐग्जामिन किया जाता है, उसके बाद ऐस्टीमेट कमेटी का काम आता है और खर्चा हो जाने के बाद पी० ए० सी० आती है। सेंटर में फाइनेंस कमेटी खत्म की गई, मैं कारणों को नहीं जानता किन कारणों से ऐसा किया गया, उसी तरह से हमने अपने यहां भी फाइनेंस कमेटी समाप्त कर दी। मुझे मालूम हुआ है कि केन्द्रीय पार्लियामेंट इस बात पर फिर सोच रही है कि फाइनेंस कमेटी होनी चाहिये। मैं कतई इस मत का हूं कि फाइनेंस कमेटी होनी चाहिये क्योंकि बजट के पेश होने से पहले शेड्यूल आफ न्यू डिमान्ड्स को एग्जामिन करने का मौका मिल जाता है। इस पर मंत्री जी ध्यान दें, मुख्य मंत्री जी भी ध्यान दें कि स्टेट में जो ४,५ साल पहले तक फाइनेंस कमेटी थी उसको फिर से रिवाइव किया जाय।

माननीय नेता विरोधी दल को कुछ शिकायत प्लानिंग के बारे में थी कि कुछ नतीजा नहीं निकला। यह बात सही है कि कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये। मगर उनको याद होगा कि अभी माननीय अशोक मेहता जी ने भी बताया था कि तीसरी योजना जो चल रही है और जिस तरह से इनवेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं राइजिंग प्राइसेस का फिनोमिना काफी समय तक परेशान करता रहेगा। मगर मैं उसकी आड़ नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि यथाशक्ति प्राइसेस को कंट्रोल किया जाय। मैं तो चाहता हूं अगर सम्भव हो सके तो स्टेट ट्रेडिंग को फूड ग्रेन्स में लागू किया जाय। इसके लिये शायद जनसंघ के नेता तैयार नहीं होंगे। वही एक तरीका है प्राइसेस को रोकने का।

औद्योगीकरण में जो पैसा दिया है वह पैसा बहुत कम है। स्टेट का औद्योगीकरण तेजी से होना चाहिये, अगर आप चाहते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़े या सेल्फ जेनेरेटिंग एकोनामी इस प्रदेश में पैदा हो। यह भी लक्ष्य है कि २३ लाख नये आदमियों को रोजगार देना है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगा कि औद्योगीकरण को प्रदेश में तेजी से बढ़ाया जाय। हमारे खर्चे के पीछे भी एक भावना होनी चाहिये कि हम अटमोस्ट एकोनोमी करें और कोई वेस्टेज न होने दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, डेढ़ महीने से इस बजट के ऊपर चर्चा करते चले आये हैं और १ १/२ महीने के बाद भी आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह शोचनीय है। कितने गरीबों को राहत मिली है इससे इस समय चीफ मिनिस्टर साहबा भी सदन में मौजूद हैं और मुझे उम्मेद है कि वे इस ११ १/२ करोड़ की कमी को शायद आने वाले साल के अन्दर नये टैक्सों से पूरा करने की कोशिश करेंगी और खास कर काश्तकारों से। मैं तो यह चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहबा से कि अगर आपने इन गरीबों पर, जिन्होंने गर्मी सर्दी में तकलीफ उठा कर अपने खेतों को जोता हो और फसल पैदा की हो, कुछ भी टैक्स डालने की कोशिश की तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसका डट कर विरोध करेगी। हम यह नहीं चाहते हैं अगर आप टैक्सेशन चाहते हैं तो गरीबों पर मत डालिये। आपकी ज्यादातर कागजी कार्यवाही होती है। रेजोल्यूशन में तो जरूर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बातें करते हैं लेकिन आपके काम जितने होते हैं वे सब कैपिटलिज्म के होते हैं। अतः अगर आप टैक्स डालें तो कृपया उसको अमीरों पर ही डालिये। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि गवर्नमेन्ट के अन्दर आप आस्टीयरिटी लावें। २३५ करोड़ रुपये के खर्चे में ११ १/२ करोड़ रुपये को वसूल किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर अगर आपने इन किसानों को परेशान किया तो याद रखिये कि हम लोग इसका डट कर विरोध करेंगे। क्या ही अच्छा होता कि जिस तरह से पंजाब में है आप भी क्रैप इंश्योरेंस लाते तो उनको सिक्योरिटी देते। दूसरे जैसा कि श्री नवलकिशोर जी ने कहा इस प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये। जनसंघ चाहे इसका विरोध करे पर चाहे कोई पार्टी चाहे या न चाहे, आपको इसको अवश्य करना चाहिये। आपको गल्ले की कीमत निर्धारित कर देनी चाहिए और काश्तकारों के फायदे के लिए १०-१० एकड़ पर कुओं का प्रबंध करना चाहिये। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप देखेंगे कि आने वाले साल में आप कोई टैक्स नहीं लगायेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं। मेरी समझ में यह केवल एक मखौल है। महीने भर लाखों रुपया खर्च कर के एक तमाशा बनाया जाता है और रुपया कहीं लगता नहीं। जितना विनियोग विधेयक बनाया जाता है अगर उतना खर्च वाकई हो तो फिर ठीक है। घाटे का बजट बनाया जाय कल्याणकारी राज्य में, लेकिन कागज पर बना देने से कल्याण नहीं होगा। ५१ से ६० तक का प्रमाण दे सकता हूं कि बराबर हर साल जितना विनियोग किया गया उसमें ३ फीसदी से ५३ फीसदी तक बचत हुई है।

श्री अधिष्ठाता--

५३ परसेंट किस साल बचत हुई ?

कुंवर श्रीपालसिंह--

५३-५४ में हुई। मैं हर साल के आकड़े दिये देता हूं। ५१ में २०.८ परसेंट, ५२ में २१.२ परसेंट, ५३ में ९.२ परसेंट, ५४ में ५३.९ परसेंट, ५५ में ३८.७ परसेंट, ५६ में २४.५ परसेंट, ५७ में १२.९ परसेंट, ५८ में १०.३ परसेंट, ५९ में ९.४ परसेंट और ६० में ३ परसेंट की बचत हुई विनियोग विधेयक में। आडिट रिपोर्ट में एक हेड होता था।

"Savings on the voted amount and charged appropriation separately and combined as compared with previous year."

इस चीज को ५९ में सरकार ने जब यह देखा कि आंकड़े देख कर सदस्यों के मस्तिष्क में बातें भर जाती हैं और उनका फिर खुले आम विरोध होता है, तो सरकार ने यह तो नहीं किया कि जो रुपया बच जाता था उसे वह खर्च करना शुरू कर देती, बल्कि यह किया कि आडिट रिपोर्ट में से वह हेड ही निकाल दिया गया। सन ६३ की आडिट रिपोर्ट में से जानबूझ कर यह हेड निकाल दिया गया है ताकि हमें यह पता न चल सके कि क्या हालत रही सरकार की। इसी प्रकार "उत्तर प्रदेश का आंकड़ों द्वारा सिंहावलोकन" नामक जो पुस्तिका छपा करती थी वह बन्द कर दी गयी। उससे असलियत मिल जाती थी।

प्लानिंग के लिये बड़ा जोर है और कहा जाता है कि बगैर रुपये के प्लानिंग कैसे होगी। मैं तीनों प्लान्स का रिजल्ट रखना चाहता हूं जो कि मेरे अपने बनाये हुये नहीं हैं। इसी सरकार द्वारा बनाई पुस्तक के आधार पर ५१ से ५६ तक पहली पंचवर्षीय योजना में जो रुपया रखा गया था उसमें ३०३ लाख रुपया बच गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया रखा गया था उसमें २३६६ लाख रुपया बच गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो अभी चल रही है उसमें अभी तक २०५ लाख रुपया बच चुका है। गरीब जनता पर टैक्स लगाने के लिये वित्त मंत्री घाटे का बजट ले आते हैं, लेकिन वह रुपया खर्च कर नहीं पाते हैं। अगर खर्च नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिये। सत्य पर आप आइये। लाखों रुपया गरीब जनता का एक महीने में खर्च करके नतीजा कुछ नहीं निकलता। श्रीमन्, बजट का जो नियम बना हुआ है उसका भी पालन नहीं होता है। यह नियम है कि जो २ लाख से ऊपर के खर्चे होंगे उनके लिये बजट में मूल प्राविधान होना ही चाहिये। मगर मैं आपसे क्या निवेदन करूं ? केवल २ विभागों के बारे में निवेदन करूंगा। एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग है जिसकी ४७ योजनायें ऐसी हैं--एक, दो, तीन

[कुंवर श्रीपालसिंह]

नहीं ४७—जो २ लाख से ऊपर की थीं और बिना बजट में मूल प्राविधान किये ही उन पर खर्च किया गया। इसी तरह से सिंचाई विभाग की ३७ योजनायें हैं जिन पर इसी तरह से बिना बजट में प्राविधान कराये खर्च किया गया। श्रीमन्, यह मेरी बात नहीं है, यह आडिट रिपोर्ट सरकार की है उसमें से मैंने बताया है। मैं कुछ नाम लिये देता हूं:—१—सारदा सागर योजना, टू का निर्माण, २—राज्य के ९९५ नलकूपों का निर्माण, ३—नगर बांध तथा चंदौली नहर का निर्माण, ४—राज्य के ३७० नलकूप योजना का निर्माण, और ५—अफजलगढ़ नहर योजना का निर्माण।

उसी आडिट रिपोर्ट से और लीजिये। ५ लाख से ऊपर की ग्रान्ट्स का प्राविधान बजट में किया गया, लेकिन उन्हें खर्च नहीं किया गया और छोड़ दिया गया। आडिट रिपोर्ट को आद्योपान्त पढ़ जाइये तो मैं कह सकता हूं कि अगर सरकार का छूरा वित्त सचिव, भिड़े साहब, की गरदन पर न हो और उन्हें दबाया न जाय तो आडिट रिपोर्ट तो पढ़ने के काबिल है। सरकार के असली चित्र को वह सामने रखती है। मगर वह बेचारे क्या करें ? हमारे कर्मचारी साल-साल भर मेहनत करते हैं, मर-मर कर आंकड़े इकट्ठा करते हैं और सरकार के सामने रखते हैं, तो सरकार एक दम टाल देती है कि यह आइटम नहीं आना चाहिये। उसी आडिट रिपोर्ट से पढ़कर मैंने बताया है कि एक हेड ही इसलिये हटा दिया गया जिससे हम सरकार का मुकाबिला न कर सकें। पिछली ५–६ साल की आडिट रिपोर्टों में बराबर इसका जिक्र है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपनी परम्परा को कायम रखें। काशी के वासी होने के नाते, विश्वनाथ के भक्त होने के नाते कम से कम वे तो इतनी कृपा करें कि जिस प्रकार पहले असत्य के आवरण को हटाकर सत्य को सदन के समक्ष ले आया जाता था आइन्दा भी उसको चलने दें, अन्यथा पूरा का पूरा बजट मजाक बनकर ही रह जायगा।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, यह एक वैधानिक विधि है। बजट पेश हुआ, उस पर ५ दिन साधारण विवाद हुआ और २ हफ्ते से अधिक अनुदानों पर विवाद होता रहा; अब सारे अनुदान स्वीकार हो गये हैं और आदरणीय सदन ने कृपा करके हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। अब संविधान के मुताबिक एक एप्रोप्रियेशन बिल आता है। जो कंसालिडेटेड फंड है प्रदेश का उसमें सदन के किस विभाग के लिये कितना धन स्वीकार किया है, उस रकम को एक साथ दिखला दिया जाता है और बिल की शक्ल में पेश करके उस पर जाब्ते से स्वीकृति सदन की ले ली जाती है। इतना ही उसका काम है क्योंकि संविधान की धारा २०४ के अनुसार ऐसा करना जरूरी है और वह जाब्ते की कार्यवाही की गयी। अवश्य ही चूंकि यह बिल है तो माननीय सदस्यों को उस पर अपनी राय प्रकट करने का पूरा अधिकार है। परन्तु देखना यह चाहिये कि कोई नई बात हो तो उसे अंतिम अवसर पर कहना चाहिये। कोई नया सुझाव हो तो कह देना चाहिये। यह तो एक फिनिशिंग टच है। पुनः वही बात दुहराई जाय जो साधारण वाद-विवाद में कही गई और अनुदानों के विवाद के सम्बन्ध में भी वही बातें कही गईं और उन्हीं को फिर से इस समय दुहराया जाय तो उसका क्या विशेष उत्तर दिया जाय ? अगर कोई नई बात कही जायगी तो जरूर देखेंगे।

जहां तक, श्रीमन्, ४४५ करोड़ वाली बात अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कही वह तो यह है कि एक कंसोलिडेटेड फंड होता है और एप्रोप्रियेशन बिल में ग्रौस एक्सपेंडीचर और ग्रौस इनकम, सब लिखी जाती हैं। वास्तव में इस चार अरब रुपये में रेवेन्यू ग्रौस एक्सपेंडीचर है, कैपीटल ग्रौस एक्सपेंडीचर है, रिपेमेंट आफ लोन्स है और जो एडवांसेज करते हैं, लोन्स देते हैं, वे भी सब इसमें शामिल किये गये हैं। इस तरह से यह इतनी बड़ी रकम दिखाई देती है। वास्तव में जो रकम अनुदानों में पेश की गई है, वही है। यदि ग्रौस एक्सपेंडीचर पर न जायं और नेट देखें तो २३६ करोड़ रुपया ही है जो बजट में पास हुआ है।

तीसरी बात माननीय विरोधी दल ने प्लानिंग के बारे में कही। यह साधारण बात विवाद के समय भी उठाई गई थी और उसका इधर से उत्तर भी दिया जा चुका है। वास्तव में प्लानिंग में क्या चेंज होनी चाहिये और क्या नहीं? यह देश की आवश्यकता के अनुसार अपने प्लानिंग में चेंज करना हमारा काम है और जितने काम प्लानिंग में होते हैं, कोई रिजिड भी नहीं हैं, अक्सर उनमें चेंजेज होती रहती हैं। लेकिन एक बात से आप लोग वाकिफ होंगे कि हमारे प्लानिंग के सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन बना हुआ है जो सारे देश की ओवरआल प्लानिंग करता है। आल इंडिया बेसिस पर प्लान बनता है। नीचे से भी राय लेते हैं और फिर वह ऊपर जाता है और स्क्रुटिनी होकर एक ढांचा बनाया जाता है। इसी तरह हमारे पहले प्लान का ढांचा बना, दूसरे का बना और तीसरे का भी बनाया गया। उसी के मुताबिक हम चलते चले जा रहे हैं। अगर कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है और परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। अभी हमारे सामने इमर्जेन्सी की परिस्थिति आई थी तो उसमें बदलाव हुआ। एक आधारभूत दृष्टिकोण का इस सम्बन्ध में सवाल है, उसको हम मान कर चलते हैं। जिस देश में साधनों और धन का अभाव होगा और चाहें कि हम जीवन के प्रत्येक अंग में उन्नति करें तो सिवाय इकोनामी कंट्रोल करने के और कोई तरीका नहीं है। इसी के लिये प्लानिंग होती है। जनसंघ प्लानिंग के खिलाफ है, वह समझता है कि किसी तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिये। यह फ्री ट्रेड के पक्ष में हैं, प्राइवेट इंटरप्राइज के पक्ष में हैं, और इंडिविजुअल प्राफिट के पक्ष में हैं और यही हमारे और उनके बेसिक एप्रोच में डिफरेंस है।

हमारी इस बात की चेष्टा है कि प्लान पर जो पैसा रखें वह खर्च हो। कुंवर श्रीपालसिंह जी ने, मालूम होता है, आडिट रिपोर्ट का अध्ययन अच्छा किया है, जैसे वह श्री भगवद्गीता या रामायण का अध्ययन रोज करते होंगे। बैठे बैठाये आडिट रिपोर्ट पढ़ ली। कहीं एप्रोप्रियेशन नहीं हुआ रहता, कहीं इर्रेगुलेटरी हुई रहती है, कहीं सैंक्शन नहीं पहुंचा खर्च हो गया, उन पर आडिट रिपोर्ट आती है। आडिट डिपार्टमेन्ट सरकारी डिपार्टमेन्ट है। वह रिपोर्ट करता है। आडिट रिपोर्ट पी० ए० सी० में जाती है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की स्टेट्यूटरी पोजीशन है। तमाम विभागों से पूछ कर वह अपनी रिपोर्ट देती है। फिर आपके सामने आता है। खाली आडिट रिपोर्ट कह देना वह ऐसा ही हुआ जैसे एक दफा सात अंधे हाथी देखने गये थे। एक ने सूंड़ पर हाथ रखा तो उसने कहा कि हाथी कुछ लम्बी डोर की तरह से है। किसी ने कान पर हाथ रखा तो कहा कि हाथी सूप की तरह से है। किसी ने पेट पर हाथ रखा तो कहा कि हाथी दीवाल की तरह से है। सत्य की परम्परा केवल विश्वनाथ की नगरी में ही या जौनपुर में ही नहीं है, सब जगह है। आधी बात आप कह दें और कह दें कि ५३ परसेंट बच गया, आपने कह दिया कि २०० करोड़ के ऊपर बच गया। तीन सौ, साढ़े तीन सौ करोड़ कुल खर्च हुआ होगा; अभी थर्ड फाइव ईयर प्लान में उसमें दो-ढाई सौ करोड़ बच गया। तो यहां हम क्या शंख फूंकते रहे? कुछ सोचने देखने की बात होती है। खाली आडिट रिपोर्ट को देख लें, पूरे साहित्य को देख कर तब बात कहनी चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं एक परसनल एक्सप्लेनेशन पर जरा निवेदन करना चाहता हूं। जब आप आज्ञा दें मैं उनके सामने पूर्ण साहित्य ले आ कर रख दूंगा। पूरी आडिट रिपोर्ट में एक-एक पेज पर मेरे लाल पेंसिल के निशान हैं। एक एक हरफ पढ़ा है। अगर उसमें गलत है तो आपने किया है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आडिट रिपोर्ट ही आपने पढ़ी। उसका अध्ययन वैसे ही किया जैसे आप जैसे भक्त आदमी रामायण का अध्ययन करते होंगे। मेरा कहना है कि दूसरा जो साहित्य है उसका भी अध्ययन कर लीजिये। जिस दिन आप पधारना चाहें पधारें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आपका प्रदेश है। जो भी आप सुझाव देंगे वह सर आंखों पर है। मैं यह मानता हूं कि जो धन हमारी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

विधान सभा की ओर से विभागों को स्वीकार हो उस धन को खर्च होना चाहिये। अगर आप खर्च करते ही नहीं तो कहां से प्लान पूरा होगा ? अगर इस तरह से सेविंग हो जाय, खर्च न किया जाय, तो यह बात अनुचित है। मैं समझता हूं कि हमारे सब विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितना रुपया बजट में आदरणीय सदन से स्वीकार कराते हैं उस रुपये का समुचित और उचित उपयोग हो, वह रुपया काम में लगे। यह भी नहीं कि पैसा निकाल कर परसनल लेजर में रख दें, यह भी नहीं होना चाहिये, जिस काम के लिए पैसा लिया है, उसको पूरा करें तभी प्लान का टार्गेट पूरा होगा और तभी प्रदेश की उन्नति हो सकेगी। इसकी तरफ वित्त विभाग तो ध्यान देता ही है, सदन भी ध्यान दे और और भी हमारे विभाग जो हैं वह भी ध्यान दें कि जो रुपया दिया जाय उसका खर्च होना आवश्यक है।

एक बात और शारदाभक्तसिंह जी ने कही कि १४४ लगाकर सब का मुंह बन्द किये दे रहे हो। मुझे पता नहीं है कि खास तौर से कहां १४४ लगाकर मुंह बन्द किया गया है। इस प्रदेश में अन्न की परिस्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, उसकी सभी की जिम्मेदारी है। यदि इसका लाभ अनुचित उठाया जाय राजनीतिक दृष्टि से और इस परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए एक साथ मिलकर के प्रयास न हो, बल्कि चेष्टा यह की जाय कि सरकार को किसी न किसी प्रकार परेशानी में डालें और .....

श्री शारदाभक्तसिंह---

यह गलत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अब गलत सही तो आप जानें। जो आपको सूट करे वह सही और जो सही बात हम करें वह गलत।

मैं यह कह रहा था कि अब इस बात की कोशिश की जाय तो सरकार क्या करे। यदि आज किसी दल की तरफ से कोई भी हो, किसी तरह से सत्याग्रह के नाम पर अगर बवन्डर मचाने की कोशिश की जाय, कोशिश की जाय किसी तरह अशांति और अव्यवस्था पैदा करने की, तो फिर सरकार के लिये सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि कानून ने जो अधिकार उसे दे रखा है उसका वह उपयोग करे। १४४ हो या कुछ भी हो, यदि ऐसी व्यवस्था पैदा होगी तो सरकार को उसके लिये कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ताकि शान्ति और व्यवस्था बनी रहे। और मेरा तो यह मत है, मैं यह मानता हूं कि डेमोक्रेसी में सत्याग्रह के लिए जगह नहीं है। जनता के प्रतिनिधि मौजूद हैं और जनता के प्रतिनिधि जनता के कष्टों के प्रश्न को उठा सकते हैं, कानून बनाने का अधिकार जब जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में है और जनता के प्रतिनिधियों के बनाये हुए कानून को जनता के प्रतिनिधि जिस दिन चाहें बदल सकते हैं, स्वयं सरकार को बदल सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सत्याग्रह के लिए किसी को अधिकार नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं और बहुत दिनों से मानता हूं। गांधी जी के कथनानुसार सत्याग्रह हमेशा सब्स्टीट्यूट रहा है वायलेंस का, एफेक्टिव सबस्टीट्यूट टु वायलेंस.....

एक सदस्य---

केरल में क्यों किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

केरल की बात जाने दीजिये। नाक के नीचे उत्तर प्रदेश को देखिये। कभी किसी ने गलती की हो तो हम भी गलती करें, यह तो उचित नहीं है। और फिर कभी यदि किसी जगह किसी प्रदेश की यह स्थिति हुई हो कि उस प्रदेश में डेमोक्रेसी के रहते हुए तानाशाही चलने लगी हो, यदि उस प्रदेश में जनता के और जनता के प्रतिनिधियों का जो सदन है उसके सारे

अधिकारों की अवहेलना होती हो, यदि वहां किसी को कुछ कहने का अधिकार न प्राप्त होता हो, यदि कोई अपने मानवीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता हो जो कि प्रत्येक मनुष्य को मिले हुये हैं, तो उस समय क्या परिस्थिति होगी और क्या करना चाहिये, यह देखने की बात है। यदि कहीं आज डेमोक्रेसी खत्म करके तानाशाही चलायें तो सत्याग्रह ही क्या और भी कुछ सोचा जा सकता है। मैं तो अपने यहां की साधारण स्थिति की बात कह रहा था कि जहां डेमोक्रेसी है वहां सत्याग्रह के लिए स्थान नहीं है। खैर, वह एक विवाद का प्रश्न है, उसको जाने दें।

भाई नवलकिशोर जी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के जो सैनिक रहे हैं उनका नाम उसमें नहीं है। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने यह सोचा है कि जिस तरह कि ५ रुपये पेंशन बढ़ी है, खास करके ओल्ड एज पेंशन, उसी तरह से अपने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को जो पेंशन मिलती है जो अधिक से अधिक ७५ रुपये और कम से कम २० रुपये है उसमें भी हम पांच रुपया बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनको भी वह मिल सके।

अब जहां तक ठिकाने से खर्च करने की बात है, जिसकी तरफ आपने भी ध्यान दिलाया और हमारे नवलकिशोर जी ने भी ध्यान दिलाया, उसकी तरफ जरूर सरकार की चेष्टा रहेगी कि जहां तक हो सके हम उसे बचा सकें।

अब सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं आपकी आज्ञा से माननीय उग्रसेन जी से, आपने कह दिया और गयाप्रसाद जी ने भी कि सदन का स्तर गिरा दिया आप लोगों ने, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही बात ही आप कहें लेकिन अगर किसी प्रकार के क्रोध की भावना से, द्वेष की भावना से और बार-बार उसी चीज को दोहराते रहें और आप समझते रहें कि इससे आपका बड़ा भारी लाभ हो रहा है तो मैं यह कहूंगा कि आप जनता के प्रतिनिधियों में अपने विश्वास को और जनता के विश्वास को खोने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी पर आरोप लगाना हो तो जब तक आप इस बात को देख न लें, उसके तमाम पहलुओं को समझ न लें तब तक भाई-भतीजेवाद, बाप पापा वाद, चाचा चाची वाद की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। आपको आरोप लगाने का अधिकार है क्योंकि जनता के प्रतिनिधि यहां पर सब हैं। अगर वे गलती करते हैं तो उनकी तरफ संकेत करने या उनको सामने लाने का आपको पूरा अधिकार है। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि भाई-भतीजेवाद की आप बात करते हैं। जितने सदन के माननीय सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं उनमें कोई ऐसा न होगा जिसके परिवार या सगे सम्बन्धी न हों। भगवान् न करे कोई लावारिस हो। क्या कोई सदस्य ऐसा है जिसके सगे सम्बन्धी ने कोई परमिट न पाया हो, जिसका सम्बन्धी कोई रोजगार न करता हो, जिसका सम्बन्धी कोई सर्विस न करता हो या जिसके लिये आप में से किसी ने कोई सिफारिश न की हो ? किसी को कोटा मिला होगा या किसी को सर्विस मिली होगी। इसलिये एक चीज को बार-बार दोहराना उचित नहीं है और इससे लाभ भी कुछ नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि जिन लोगों पर आप इस तरह के लान्छन लगा देते हैं यदि उनमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सार्वजनिक जीवन में बहुत सेवा की हो या उनकी सेवा स्वयं आदरणीय सदस्य की उमर से अधिक हो, ४५,४६ वर्ष से सेवा करते आ रहे हों, जिनका जीवन आइने की तरह से हो, जिसने बहुत कठिनाइयां उठाई हों और आज वह आपकी कृपा से मंत्रिमंडल का सदस्य हो और वह अगर किसी अपनी सास को या सास की बहन को परमिट देता है तो क्या उसने बड़ा भारी लाभ उठाने की चेष्टा की है या उन्होंने बड़ी भारी बेईमानी की है ? वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनता की सेवा की है, जिनके ऊपर जनता का भरोसा है और जिन्होंने कष्ट उठाया है और जिनका ३०,४० वर्ष का जीवन सामने है। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर लांछन लगायें तो यह कोई समझदारी की बात नहीं है। हमारे बलवान्सिंह जी अगर हमारे एलेक्शन मैनीफेस्टो को मान लें तो न उनकी पार्टी रहे और न उनका एलेक्शन मैनिफेस्टो रहे। आज कहते हैं कि आपकी पालिसी कैपिटलिस्टों के हक में है। कल इधर पधारते हैं तो फिर क्या कहेंगे ? उग्रसेन जी की तरह से ब्लैंक चेक मिलता है, लेकिन हमारी तरफ दरवाजा खुला हुआ है। आप न तो इस घाट के रहे और न इधर के रहे और न उधर के रहे तो फिर टीका-टिप्पणी करते हुये ऐसी बात करें और

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की मजाक उड़ायें तो यह क्या मुनासिब है ? भगवान् करे कल हमारी इन बेंचों पर आयें और सद्बुद्धि आप में पैदा हो और कांग्रेस को नया दृष्टिकोण देने के लिये पधारें तो हमको भी कुछ ताकत मिले । परन्तु इन बेन्चों पर बैठ कर आपने यदि वही कहना शुरू किया जो अब कहते हैं तो उससे क्या लाभ होगा ? हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहे जैसा हो लेकिन इस देश की जनता के लिये सिवाय कांग्रेस संगठन में आने, कांग्रेस के झंडे के नीचे आने, देश की रक्षा का प्रबन्ध करने, इस देश की योजना को पूरी करने और उसकी सम्पत्ति और समृद्धि के लिये चेष्टा करने के सिवाय, जो कोई भी देशभक्त है, उसके लिये दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरे मार्ग पर यदि कोई जाता है तो वह मृग मरीचिका है और वह मृग तृष्णा के लिये दौड़ता है। हमारे भाई उग्रसेन जी एक एक को ब्लैंक चैक देते हैं। हम कोई चैक नहीं देते हैं और न हमको कोई चैक देते हैं। हम तो, मान्यवर, कैपिटलिस्ट हैं लेकिन वे बांटते हैं ब्लैंक चेक, हमारे पास तो धेला नहीं है । खैर ।

मैं एक प्रार्थना और इस माननीय सदन से करना चाहता हूं। फाइनेंस कमेटी की जो बात आपने उठायी है वह पहले यहां थी और सेंटर में भी थी। फिर खत्म कर दी गयी । मुझे उसके कारण नहीं मालूम हैं कि क्यों खत्म की गयी और अब उसे रिवाइव करने में क्या दिक्कतें हैं। लेकिन अगर कोई बाधा न होगी तो उसे जरूर रिवाइव कर लिया जायगा और इस तरह की जो और कमेटियां होंगी जिनसे हम को लाभ हो सकता है, उनको लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है । हम प्रदेश में आपका पूरा सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफल हों, यहां समृद्धि आये, हमारा उत्पादन बढ़े, हमारा औद्योगीकरण हो, चाहते हैं कि जनता पर अधिक भार न पड़े और यह भी चाहते हैं कि जनता से जो पैसा हमें प्राप्त होता है उसका समुचित उपयोग किया जा सके । इसमें हमें आपका सहयोग चाहिये और जहां हम में कमी हो, जहां हमें दिखायी न देता हो, वहां आपका सहारा चाहिये लेकिन यदि आप धूल उड़ाकर जो दिखायी दे रहा है उसे भी ओझल करने का प्रयत्न करें तो उससे न हमारा कल्याण होगा और न आपका और न प्रदेश का। इन विचारों के साथ मैं कामना करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। एक निवेदन और है। बजट के समय का उपयोग उसी काम में करना चाहिये । यह बड़े दुख की बात है कि इस बार बजट अधिवेशन का ७५ फी सदी समय दूसरे कामों में नष्ट हुआ तो नहीं कह सकता, कहीं यह भी प्रिविलेज का सवाल न बन जाय इसलिये, लेकिन असंगत और जिस काम के लिये दिया गया था उससे अलग दूसरे कामों में जरूर खर्च हुआ और जो करोड़ों रुपया आप सरकार के माध्यम से खर्च करने जा रहे हैं उस पर आपकी तीक्ष्ण दृष्टि रहनी चाहिये। उस तरफ आपने इस बार ध्यान कम दिया है । ऐसा कर के आप अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में इस समय का सदुपयोग किया जायगा। मैं धन्यवाद देता हूं सदन को कि आपने इतने परिश्रम से इतना समय दे कर इस पर विचार किया और प्रार्थना करता हूं कि आप इस बिल को पास करें।

(इस समय ४ बज कर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । वित्त मंत्री जी ने एक ऐसी चीज कह दी कि जिसके संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। उन्होंने कहा कि जितना पैसा रखा गया था उससे ज्यादा मैंने बतलाया कि खर्च ही नहीं हुआ। मुझे एक मिनट लगेगा। प्रथम योजना में ११,२२१.५७ लाख रुपया रखा गया था.....

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आप से तय हो गया है, आप मेरे कमरे में पधारें।

श्री अध्यक्ष--

इस समय यहां इस स्पष्टीकरण की गुंजायश नहीं है। आपकी, श्रीपाल जी, बात ठीक है, लेकिन अब समय नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि बजट का समय दूसरे कामों में लग गया। यह नवलकिशोर जी और शरण साहब ने ही किया है। हम तो मना करते रहे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, कृपया अब आप बैठ जायं। माननीय वित्त मंत्री, आपको कुछ जवाब देना है ?

श्री जयराम वर्मा--

मुझे अब कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४

३१ मार्च, १९६५ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संहत निधि में से ३१ मार्च, १९६५ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६४-६५ के लिये ४,४५, ९४,९४,८०० रु० का दिया जाना

२--ऐसे विविध व्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६५ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ४,४५,९४,९४,८००रु० (चार अरब, पैंतालीस करोड़, चौरानवें लाख, चौरानवे हजार आठ सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६५ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

१	२			३
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर ..	३,३८,५००	३,०००	३,४१,५००
२	भू राजस्व (मालगुजारी) ..	८,३२,६६,५००	८,९००	८,३२,७५,४००
३	राज्य आबकारी ..	३२,३२,१००	२,०००	३२,३४,१००
४	बिक्री-कर ..	५९,७४,१००	५,०००	५९,७९,१००
५	अन्य कर और शुल्क ..	२९,७२,६००	१,०००	२९,७३,६००
६	स्टाम्प	९,००,३००	१,०००	९,०१,३००
७	निबन्धन ..	२१,२२,८००	२००	२१,२३,०००
८	राज्य विधान मंडल ..	५१,५३,३००	७१,१००	५२,२४,४००
९	सामान्य प्रशासन ..	२,१९,१२,९००	१६,३४,०००	२,३५,४६,९००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	९,३२,२१,६००	५,०००	९,३२,२६,६००
११	गांव सभायें और पंचायतें ..	१,४१,०९,७००	२,०००	१,४१,११,७००
१२	न्याय प्रशासन ..	१,७५,३८,२००	३७,८३,२००	२,१३,२१,४००
१३	कारागार (जेल) ..	२,००,९९,१००	२,०००	२,०१,०१,१००
१४	पुलिस ..	१३,८२,३८,१००	१०,०००	१३,८२,४८,१००
१५	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	७८,१३,०००	६३,०००	७८,७६,०००
१६	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	२३,१०,४००	३००	२३,१०,७००
१७	शिक्षा ..	३३,७१,३९,४००	१,०००	३३,७१,४०,४००
१८	चिकित्सा ..	७,५२,१९,०००	३,०००	७,५२,२२,०००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	७,९५,८४,५००	७००	७,९५,८५,२००
२०	कृषि-सम्बन्धी विकास ..	७,९४,५२,५००	४,०००	७,९४,५६,५००
२१	उपनिबेशन ..	४,५६,३००	१००	४,५६,४००
२२	पशुपालन तथा मत्स्य-पालन ..	४,२४,९१,२००	२,०००	४,२४,९३,२००
२३	सहकारिता ..	३,१५,४७,७००	२,०००	३,१५,४९,७००
२४	उद्योग ..	११,४९,३९,३००	३,५००	११,४९,४२,८००
२५	नियोजन और समन्वय ..	१४,५८,२९,०००	५,०००	१४,५८,३४,०००

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२६	श्रम और सेवायोजन ..	२,७६,४९,८००	३,०००	२,७६,५२,८००
२७	सूचना निदेशालय ..	५८,६८,६००	५००	५८,६९,१००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	३,५०,३७,०००	१,०००	३,५०,३८,०००
२९	समाज-कल्याण ..	५२,१७,९००	५००	५२,१८,४००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	१६,३२,९५,२००	२,०००	१६,३२,९७,२००
३१	सिंचाई-अधिष्ठान ..	७,२९,११,४००	४,०००	७,२९,१५,४००
३२	अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) संस्थायें ..	७७,६४,२००	..	७७,६४,२००
३३	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरा किया जाता है ..	२,७५,७१,६००	..	२,७५,७१,६००
३४	विद्युत् योजनायें-अधिष्ठान ..	४९,०२,९००	५००	४९,०३,४००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ..	८,२२,९०,७००	३,६८,५००	८,२६,५९,२००
३६	संचार-साधनों का सुधार ..	१,१४,१७,१००	..	१,१४,१७,१००
३७	सार्वजनिक निर्माण-कार्य—अधिष्ठान ..	१,४१,६५,७००	१००	१,४१,६५,८००
३८	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान ..	१,७७,२३,३००	..	१,७७,२३,३००
३९	परिवहन ..	२५,२१,७९,७००	६५,०००	२५,२२,४४,७००
४०	दुर्भिक्ष सहायता ..	५२,१०,२००	५०,०१,०००	१,०२,११,२००
४१	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	३,९७,३०,२००	३,८७,४००	४,०१,१७,६००
४२	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	२४,५०,०००	..	२४,५०,०००
४३	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	१,७५,१५,४००	१,०००	१,७५,१६,४००
४४	वन ..	४,९७,५४,४००	२,०००	४,९७,५६,४००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	४,५१,१३,६००	६,१००	४,५१,१९,७००

विधान सभा

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४६	राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय ..	३,४८,१७,६००	..	३,४८,१७,६००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	१८,७१,८०,८००	१८,७१,८०,८००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	६१,५३,४३,५००	६१,५३,४३,५००
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय ..	१९,६१,२८,३००	२,०००	१९,६१,३०,३००
४८	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	३,४१,४९,६००	५,०००	३,४१,५४,६००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२५,५३,७४,३००	५००	२५,५३,७४,८००
५०	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	४,७७,९८,७००	..	४,७७,९८,७००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर पूंजी परिव्यय ..	२०,३६,२३,०००	३,१५,०००	२०,३९,३८,०००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	७,०८,५५,०००	१,३०,१००	७,०९,८५,१००
५३	पेंशनों का राशिमूल्य (Commuted Value of Pensions) ..	५,८५,०००	३०,०००	६,१५,०००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें	११,३५,३०,२००	१००	११,३५,३०,३००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances Bearing Interest) ..	४७,४५,३९,५००	..	४७,४५,३९,५००
	योग ..	३,६४,५०,३२,२००	८१,४४,६२,६००	४,४५,९४,९४,८००

*प्रभृत विनियोग

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

हां---१५३,
नहीं---३७ ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) का (संशोधन) विधेयक, १९६४--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---

१५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह विधेयक आज नहीं आ सकता । अभी यह प्रस्तुत हुआ है और प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत २ दिन का समय भी नहीं मिला है जिससे हम लोग इस विधेयक को पढ़ भी नहीं सके हैं । इसलिये इस पर अभी तो विचार हो ही नहीं सकता । इस पर आप कई बार व्यवस्था दे चुके हैं, इसलिये आप इसको रुकवाइये । यह आज नहीं आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं, लेकिन माननीय उग्रसेन जी, अगर सदन चाहे तो आज इस पर विचार कर ले । मुझे अधिकार है कि मैं नियमों में ढील दे दूं । सदन की यही राय मालूम होती है कि इस पर आज ही विचार हो ।

श्री उग्रसेन---

ठीक है, तो आप नियमों में ढिलाई कर दीजिये ।

*श्री बनारसीदास---

अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे सदन का अधिक समय नहीं लेना है, लेकिन जितने जनतांत्रिक देश हैं वहां आम जनता के जितने प्रतिनिधि हैं और जहां इस तरह की संसदीय संस्थायें कायम हैं, वहां इस बात की आवश्यकता रहती है कि सदस्यों को ऐसी सुविधायें प्रदान की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

जायं जिससे कि वे अपने कार्य को अधिक योग्यता और क्षमता के साथ कर सकें। जब सब से पहले इंगलैण्ड के अन्दर मजदूर सरकार बनी तो वहां पर मजदूर सरकार ने अपने संसद के सदस्यों के लिये इस बात की व्यवस्था की जिससे वे कार्य कर सकें। हमारे सदस्यों का इस वक्त जो वेतन है और इस वक्त जो उनको डी० ए० मिलता है, आमतौर से सदस्य महसूस करते हैं कि उससे उनको कष्ट होता है। आज आम तौर पर लोग इस प्रकार का तर्क करेंगे कि इस तरीके से सदस्यों का वेतन बढ़ाना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरे खयाल से सदस्यों की तुलना अन्य लोगों से करना अनुचित होगा। आज आई० सी० एस०, आई० पी० एस०, पी० सी० एस० और दूसरे काम करने वाले कर्मचारी जो पूरी तरह से इस शासन के अधीन हैं और उत्तरदायी हैं, उनसे तुलना कर के यह कहना कि तमाम सदस्यों के वेतन बढ़ रहे हैं और अन्य लोगों के नहीं, उचित नहीं होगा। हमें यह समझना होगा कि यदि जनतंत्र को कायम रखना है तो सदस्यों को ऐसे अवसर प्रदान किये जायं जिससे वे ईमानदारी के साथ और पूरी योग्यता के साथ अपने कार्यों का सम्पादन कर सकें। इसलिये किसी भी प्रकार से इसकी आलोचना करना अनुचित होगा और साथ ही यह परम्परा रही है कि इस प्रकार के विधेयक पर सदस्य लोग विवाद नहीं करते और मैं यह भी समझता हूं कि स्वस्थ परम्परा यही है कि जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम कहते हैं उसी तरह का हमारा अमल होना चाहिये। इसलिये मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कुछ लोग सिर्फ इसलिये कि बड़ी-बड़ी हेड लाइन्स में पेपरों में उनका नाम आ जायगा कि उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया, और वे विरोध करना चाहते हैं। तो.... (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी की इस बात पर मुझे आपत्ति है जो उन्होंने प्रेस गैलरी की बात कही।

श्री उग्रसेन--

सब से पहले भाषण तो बड़े-बड़े अक्षरों में माननीय मन्त्री जी का ही छपेगा। हमारा तो बिलकुल नीचे ही छपेगा।

श्री बनारसीदास--

कुछ लोग यह समझते हैं कि यह विधेयक तो पास हो ही जायगा और उपलब्धियां भी मिल ही जायेंगी, तो इस दृष्टि से यदि वे विरोध करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह अपने को एक बड़ी ही इम्बैरेसिंग और गलत स्थिति के अन्दर रखना है, क्योंकि किसी सदस्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जो इसे न लेना चाहे वह अवश्य ले ही।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य लोग तो आपका समर्थन करने के लिये तैयार बैठे हैं।

श्री बनारसीदास--

इसमें वेतन २०० रु० से ३०० रु० तथा डेली एलाउन्स १० रु० से १५ रु० किया गया है और जैसा कि संसद में हुआ है कि यदि सदस्य अपनी ड्यूटी पर आयें और सदस्यों के प्रदेश के अन्दर बहुत से आवश्यक कार्य होते हैं--उनके सम्पादन के लिये यदि वह जायेंगे तो उनके लिये ४००० किलोमीटर के सफर के लिये कूपनों की व्यवस्था की गई है ताकि माननीय सदस्यों को काम करने में सुविधा हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। आज के समय में जिन परिस्थितियों .....

श्री अध्यक्ष---

पहले आप अपना संशोधन मूव कर दें।

श्री शारदाभक्तसिंह---

वह छपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

वह मैं पढ़े देता हूं। "मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को १ मास तक जनमत जानने के लिये जनता में परिचालित किया जाय।"

श्री उग्रसेन---

मेरा प्रस्ताव है कि इसे ६ मास तक घुमाया जाय।

श्री शारदाभक्तसिंह---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रदेश की आज की परिस्थिति को देख कर जो यह विधेयक आज सदन के सामने लाया गया है मैं समझता हूं कि इस का समर्थन करना किसी के लिये भी अत्यन्त कठिन होगा। आज हम मानते हैं कि संकटकालीन स्थिति है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इस प्रदेश की कोटि-कोटि जनता जीवन की कठिनाइयों को समझते हुये हम से मांग कर रही है कि उसके जीवन के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जायं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो इसका विरोध करते हैं, उसके लिये इस विधेयक में व्यवस्था है, वह अपना वेतन न लें और जितना पैसा चाहें कम कर के लें, कौन उन को मना करता है। जितना चाहें वापस कर सकते हैं।

श्री शारदाभक्तसिंह---

मैं यह कह रहा था कि आज प्रदेश की कोटि-कोटि जनता से हम कह रहे हैं कि आज चूंकि संकटकालीन स्थिति है और हम देश का निर्माण करना चाहते हैं इसलिये तुम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी काटकर निर्माण-कार्य में सहयोग दो और प्रदेश का निर्माण होने दो। यह योगदान आप जनता से मांगते हैं कि वह त्याग और तपस्या कर के और जीवन की मौलिक आवश्यकताओं को भी काटकर, जीवन की सारी कठिनाइयों को झेलते हुये भी देश के निर्माण के लिये आगे आये। अतः ऐसी परिस्थिति में इस तरह का विधेयक लाना प्रदेश की जनता में एक निराशा और क्षोभ का वातावरण पैदा करेगा। हमें तो आज अपना सर्वस्व निछावर करने और हर तरह से आत्मसमर्पण करने की स्थिति में आकर जनता के सामने एक उदाहरण रखना चाहिये था, हम आशा करते हैं कि उस त्याग और तपस्या व बलिदान का उदाहरण यहां रखा जायगा जिस से जनता की भावनाओं को हम जागृत कर सकें और आने वाले भावी संकट में हम साहस के साथ परिस्थितियों का सामना कर सकें। ऐसे विधेयक की बात सुनकर सारी जनता में एक निराशा छा जायगी। हम से जब कि लोग आशा करते थे और खास तौर से निम्न श्रेणी के हमारे कर्मचारी, जिनकी कठिनाई को समझ कर आपने अभी उनके वेतन में ५ रुपया महंगाई बढ़ाई है और बजट के अवसर पर उन से कहा गया कि सरकार की आर्थिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

कठिनाइयां हैं । कहा गया कि हम उन की परिस्थिति को समझते हैं और उन की सहायता भी करना चाहते हैं । लेकिन हमारे साधन नहीं हैं इसलिये हम अधिक सहायता नहीं दे सकते। हमने उनसे प्रार्थना की थी कि बुनियादी चीजों के मूल्य बढ़ते हुए भी हिम्मत से सामना करते हुये आगे बढ़ना है । लेकिन अपने वेतन और एलाउन्स में वृद्धि करके यह कहा है कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण आवश्यक है कि हम वेतन बढ़ायें। तो जो उपदेश हमारा गरीबों को था वह निराशा में परिणत हो गया । ऐसी परिस्थिति में इस तरह का विधेयक लाना उचित नहीं है । हां, जो प्रांत में इधर-उधर जाकर कार्य देखने की सुविधा प्रदान की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं इससे हम अपने प्रदेश के निर्माण में सुझाव दे सकते हैं, इसके साथ जो भी कठिनाई डबल फर्स्ट क्लास की हमारे सामने थी वह भी समाप्त होती है । इसके अतिरिक्त जो सुविधायें देने की बात की जा रही है मैं उसका विरोध करता हूं और वह हमारे लिये कलंक है ।

माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि मंत्री त्याग के उदाहरण पेश करें। इसलिये आज सदस्यों को भी वह सुविधायें दे कर उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं और अपनी कमजोरी को छिपाना चाहते हैं । अतः समय और परिस्थिति को देखते हुए इस विधेयक का किसी तरह समर्थन नहीं हो सकता ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट दे दे । सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी ।

मुख्यमंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय ।

श्री उग्रसेन--

५ बजे के अन्दर प्रस्ताव आ सकता है । इसलिये अब समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन उस समय तक बैठे जब तक यह विधेयक पास न हो जाय ।

श्री उग्रसेन--

यह प्रस्ताव ५ बजे के बाद नहीं आ सकता । आपने १५ मिनट के लिये कहा था, अतः यह सदन ५ बजकर १५ मिनट पर उठ जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह समय के अन्दर इस माने में है कि मुझे अधिकार है कि १५ मिनट सदन का समय बढ़ा सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि ५ बजकर १५ मिनट तक सदन का समय मेरे आदेश से बढ़ गया । इसलिये जो प्रस्ताव किया गया है वह नियमित है ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । ५ बजे के अन्दर जो नियमित समय है उसके अन्दर समय बढ़ाने का प्रस्ताव होता है या आपके द्वारा बढ़ाये हुये समय में प्रस्ताव आयेगा? इस पर व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

वही मैंने निवेदन किया कि बढ़ाये हुए समय में भी यह प्रस्ताव आ सकता है । अब प्रश्न यह है कि.....

श्री कमलासिंह यादव—

जरा मुझे भी कुछ कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

समय बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

प्रश्न यह है कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक पास न हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर दे ।

जहां तक उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४, का सवाल है सदन के सम्मुख २ बातें हैं । पहली बात है इसके जनमत संग्रह की । जनमत का जहां तक सवाल है माननीय नेता विरोधी दल ने यहां जो भाषण दिया है उसको सुनने के पश्चात् मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि माननीय नेता विरोधी दल इस बात से सहमत हैं कि नीति जो इसकी है वह बिल्कुल ठीक है । आपने जो एग्रीमेंट किया है जहां तक फर्स्ट क्लास के पासेज का संबंध है उससे तो वे एग्री करते हैं । तो जहां तक नीति का सवाल है उससे तो वे एग्री करते हैं । जहां तक जन मत का सवाल है अगर वे इसका विरोध किये होते तो हो सकता था, लेकिन अगर ये इन पार्ट भी एग्री करते हैं तो जनमत की बात नहीं होती ।

दूसरी बात है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस बिल के जरिये रोजगार करना चाहती है । वह रोजगार यह है कि ७५ रुपये के किराये पर हमको एक मकान दिया गया जिसमें आवास के बारे में जितना भी खर्चा बिजली या सामान वगैरह पर होता है सरकार की तरफ से दिया जाता है । छोटे कमरों का किराया ४० रुपये है । आज जो यह बिल है इस बात का सबूत है कि इससे किराया बढ़ाने का ढंग ढूंढा जा रहा है और यह कार्यवाही सिर्फ उसके लिये ही की गयी है । अगर माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई ऐसी बात हो कि कोई सदस्य इतनी बिजली का खर्चा करेगा तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं । क्या माननीय मंत्री जी ने कभी अपने बंगलों की तरफ नहीं देखा कि कितनी बिजली खर्च हो रही है ? मैं इस बात को जानता हूं कि हम लोग भी गलती करते हैं । छुट्टियों में हम लोग लाइट और पंखे खोल देते हैं, यह हमारी गलती है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन जो आदमी दुरुपयोग नहीं करते हैं और सदुपयोग करते हैं तो उनसे भी आप बिजली का खर्चा लेना चाहते हैं तो यह तो उचित नहीं है । क्योंकि हम यहां पर सरकारी काम से आते हैं । अगर हम रातभर किताबें पढ़ते हैं और उससे सदन में भाषण देते हैं तो उस बिजली का हम सदुपयोग करते हैं लेकिन जो दूसरे ढंग से करते हैं तो माननीय मंत्री जी को पूरा अधिकार है कि वे जितना टैक्स चाहें लगा सकते हैं ।

दूसरी चीज माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सदस्य जितने हैं उनकी ड्यूटी होती है कि जितने डाम बने हैं या जहां पर प्रोडक्शन हो रहा हो उत्तर प्रदेश में, हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

लोग उसको देखकर अपने यहां भी एलाऊ कर सकें। तो मंत्री जी से मैं कहूंगा कि यह ४ हजार किलोमीटर की जो लिमिट है यह नाकाफी है। मुमकिन है कुछ लोग अवगुणों की वजह से फर्स्ट क्लास टिकट मिलने से रोजगार करने लगें लेकिन ज्यादा मेम्बरान ऐसे हैं जो इसी भावना से ट्रेवल करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति कैसी हुई है, डैम्स कहां-कहां बने हैं और सदन से जो रुपया मिलता है वह खर्च किस तरह से होता है। बस हर जिले में चलती है अगर बसेज की फेसिलिटीज भी माननीय मंत्री जी साथ में दे देते तो उचित होता। जिले के अन्दर जिला परिषद् की मीटिंग भी हमको अटेंड करनी होती है। वहां कोई भत्ता नहीं मिलता है। इतना ही कह कर मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिलेक्ट कमेटी में इसे भेज दिया जाय।

श्री लालबहादुरसिंह (जिला वाराणसी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हर सदस्य को ५ मिनट का समय बोलने के लिये दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, अब हर सदस्य को ५ मिनट का ही समय मिलेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं। शारदा भक्त सिंह तथा कमला सिंह यादव ने जो प्रस्ताव जनमत और प्रवर समिति के रखे हैं संशोधन के उनमें उन्होंने यह तो सिद्धांततः स्वीकार ही कर लिया है कि बिल ठीक है लेकिन इसको जनता में जनमत के लिये अथवा सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। ऐसी हालत में हमको स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि इस बिल की वास्तविक रूप से आवश्यकता है। आज मद्रास ने १०० रुपया वेतन बढ़ाया है। दूसरी विधान सभाओं में ३०० से ३५० रुपये वेतन पहले ही हैं। पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी अपना वेतन बढ़ाने के लिये एक मसविदा तैयार किया है। मैं दो, तीन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान और दिलाऊंगा।

बिल से ऐसा प्रतीत होता है कि एक ओर तो सुविधा दी गयी है लेकिन दूसरी ओर छीनी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के जरिये। दूसरे चार हजार किलोमीटर प्रोवाइड किया जा रहा है जबकि पार्लियामेंट के सदस्य हिन्दुस्तान भर घूम सकते हैं और सेशन के लिये वे आते हैं तो एक पास दिया जाता है। तो यह जो प्रोवाइजो इस बिल में जोड़ा गया है इसको वापस ले लिया जाय। बिजली के कंजम्पशन के लिये मैं सदस्यों की तरफ से यकीन दिलाता हूं कि व्यर्थ हम बिजली खर्च नहीं करेंगे, सब सदस्य देखेंगे कि ईमानदारी से समय पर पंखा चलायें, समय से बिजली जलायें और उसका दुरुपयोग न करें। तीसरे इंसिडेंटल चार्जेज जो हैं वह इसमें से निकाल दिया जाय। अगर सुविधा आप देना चाहते हैं सदस्यों को तो ईमानदारी से दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं। तो मेरे ये चार सुझाव मंत्री महोदय मान लें। एक यह कि हम अपने क्षेत्र में घूम सकें। पार्लियामेंट के सदस्य १४ दिन के लिये जा सकते हैं तो हमें कम से कम १ हफ्ते के लिये समय दिया जाय। इलेक्ट्रिसिटी के लिये मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका दुरुपयोग माननीय सदस्य नहीं करेंगे इसलिये उस पर जो प्रतिबन्ध है उसे हटा लिया जाय। इंसिडेंटल चार्जेज वाले प्राविजन को खत्म कर दिया जाय और चार हजार किलोमीटर की भी जो कैद है उसे हटा ली जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करता हूं और ईमानदारी से जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं तो अगर यह बिल पास होता है वह सरकार को रुपया लौटा दिया करेंगे, जो इसका विरोध कर रहे हैं पर दिल से नहीं। बिल पास हो जाने पर विरोध करने वाले भी लेंगे।

श्री उग्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय यों तो मैं चाहता हूं कि सरकार को अल्लाह मियां सद्बुद्धि दे जिससे वह इस विधेयक को वापस ले लें। नेकराम शर्मा चाहे जैसे हाय अल्ला हाय अल्ला पीटते हैं मुहर्रम के दिनों में उसी तरह से खूब छाती पीटकर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट लें लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जब अभी तक हमारे मेहतरों को ३ रुपये १४ आने महीने तनख्वाह मिलती हो और चौकीदार को ५ रुपया महीना, सेक्रेटेरिएट में २० रुपये तनख्वाह हो तब अपने तनख्वाह की वृद्धि की बात करना देश के साथ और प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी है। या तो फिर सौ से कम किसी की न हो तनख्वाह, फिर हम विधायक भी अपनी बढ़ा लें लेकिन छोटी तनख्वाह वालों के लिये तो कहें कि पैसा नहीं है और विधायकों की तनख्वाह बढ़ा लें, इससे बढ़कर निर्लज्जता इस सरकार की क्या हो सकती है ? विधायक कहते हैं कि हमारा खर्चा पूरा नहीं पड़ता है । चाहे हम ९ महीना यहां आवें, रहें जब हाउस आफ कामंस की बैठक ९ महीने होती है, जब जापान में वहां की पार्लियामेंट की बैठक ८ महीने होती है तो हम क्यों न साल भर यहां बैठें और काम करें, लेकिन भत्ता हमारा कम कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि जब पर कैपिटा इन्कम प्रति व्यक्ति की कम हो रही है, यहां उनके प्रतिनिधि अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं । क्यों नेकराम शर्मा जी काफी हाउस में लुत्फ लेने के लिये यह तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं ? मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इसका घोर विरोध करता हूं और मंत्री जी से कहता हूं कि इसको अविलम्ब वापस ले लें वरना जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे और भुवनेश्वर का समाजवाद मिट्टी में मिल जायगा। यह काला कानून है, इसे वापस लें ।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि इस विधेयक के आने का कारण क्या है । श्रीमन्, तमाम साथियों में यह बात आयी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बड़ी प्रगति हुई है और हमारा यह विचार हुआ कि हमें माताटीला डैम देखने को मिले, रिहन्द डैम देखने को मिले और प्रदेश भर में जितनी भी प्लानिंग की योजनायें चल रही हैं उनको हम सदस्यों को जाकर देखने का मौका मिले। तब खर्च की समस्या आयी। कितने ही हममें से ऐसे सदस्य हैं जो इतने लम्बे खर्चे करके उत्तर प्रदेश का भ्रमण नहीं कर सकते । तो जब यह विचार हुआ तब माननीय उग्रसेन और माननीय नेता विरोधी दल चाहे कितना विरोध करें अब, लेकिन उस समय मेरा दावा है कि ठाकुर शारदा भक्त सिंह के दल के लोगों के उस पर हस्ताक्षर हैं और उग्रसेन जी की सोशलिस्ट पार्टी के उसमें हस्ताक्षर हैं ।

श्री उग्रसेन—

झूठ बोल रहे हैं । सोशलिस्ट पार्टी के हस्ताक्षर दिखा दें तो हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग इस्तीफा दे देंगे ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

यह बात बिलकुल गलत है । जनसंघ के किसी सदस्य ने नहीं किया है (व्यवधान) ।

श्री जे० पी० मिश्र—

जो विधेयक संसदीय मंत्री लाये हैं उसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स नम्बर ३ में जो लिखा है उससे एक हाथ से यह सुविधा दे रहे हैं, दूसरी से वह ले लेंगे । ५ रुपया आलमारी के लिये, २५ रुपया फ्लश का पड़ेगा, २,२ रुपया चारपाई का, यह सब पड़ेगा। अगर माननीय मंत्री जी नम्बर ३ को वापस ले लें तो हम इसका हृदय से समर्थन करते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

आज हम संसदीय मंत्री को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। यह विधेयक पहले ही आ जाना चाहिये था। हमारे कुछ माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने जयपुरिया और रामसिंह को एलेक्ट कराया और पूंजीपतियों की मदद की वही जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जिनके सहयोग से ऐसे पूंजीपति जीते आज वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। श्रीमन्, रामसिंह और जैपुरिया को इलेक्ट कराने में जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी का सहयोग हो सकता है और आज यहां इस विधेयक का विरोध किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। श्रीमन्, इन लोगों के कर्म यह हैं कि ६२-६३ में जैपुरिया और रामसिंह को इलेक्ट कराया जाता है और इस विधेयक के लिये कहा जाता है कि यह गरीबों के ऊपर लागू होगा। ५०-५० हजार रुपया पार्टी के लिये चन्दा लिया जाता है और उनको इलेक्ट कराया जाता है और आज इसका विरोध किया जाता है। इसलिये वह विधेयक लाया गया है कि विधायकों की स्थिति दयनीय है और जो सुविधायें अन्य प्रदेशों के विधायकों को प्राप्त हैं उनके मुकाबले में यहां बहुत कम हैं। मैं शर्मा जी और मिश्रा जी का समर्थन करता हूं और माइलेज के ऊपर नियंत्रण लगाया गया है उसको हटा लें।

श्री अध्यक्ष--

जब खंड पर विचार हो उस समय रखियेगा।

श्री बनारसीदास--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। विरोधी दल के नेता ने कहा कि हमने ५ रुपये छोटे कर्मचारियों की महंगाई में वृद्धि की और अपने १०० रुपये की वृद्धि करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते समय बताया था कि ५ रुपये बढ़ाने से ४ करोड़ रुपया खर्च होगा और इस विधेयक में जो तालिका दी गई है उससे मालूम होगा कि इसका व्यय केवल १२ लाख, ७२ हजार रुपया है। इसलिये यदि संभव होता तो हम ५ रुपये से अधिक बढ़ाते। यह अवश्य है कि लोगों में अधिक संयम और त्याग होना चाहिये। गांधी जी कहा करते थे कि त्याग और मुर्झाये हुये चेहरे का कोई मेल नहीं है। कुछ कड़ी शक्तिशाली होती हैं और कुछ कमजोर होती हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग त्यागी होते हैं और कुछ कमजोर होते हैं। इसलिये उचित होगा कि शब्दों से नहीं बल्कि अमल के द्वारा लोगों में प्रेरणा दें। जो त्याग करना चाहते हैं वे त्याग करें।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, यह कानून बना दे सरकार और फिर हमारा त्याग देखे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय लखीसिंह जी, माननीय उग्रसेन जी ने जितनी उग्रता हो सकती थी उससे विरोध किया है।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि त्याग की भावना के लिये मेरे हृदय में उदारता है और मैं चाहता हूं कि लोग प्रभावित करें, जो इस समय विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह उन लोगों की भावना के अनुकूल हो जायगा जैसे कि इमर्जेन्सी के समय पर बहुत से लोगों ने अपना वेतन छोड़ दिया था। बहुतों ने त्याग किया था। उसी प्रकार से श्रीमन्, कोई आपत्ति नहीं है और इस बिल के द्वारा ३०० रुपये किसी की जेब में जबर्दस्ती रखे जाने वाले नहीं हैं। यदि इस बिल के पास हो जाने के बाद जो सदस्य सूचित करना चाहें कि तीन सौ के बजाय दो सौ लेना चाहते हैं, सौ रुपया लेना चाहते हैं, तो इस पर कोई प्रतिबन्ध

नहीं है। माननीय कमलासिंह जी ने एक शंका प्रकट की और माननीय जे० पी० मिश्र ने भी थोड़ी सी शंका प्रकट की। उनका खयाल हुआ कि हम एक नया प्राविजन कर के कुछ किराया बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। हम फर्नीचर का किराया नहीं लेना चाहते। केवल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज के लिये हैं। बिजली के संबंध में माननीय कमलासिंह ने कहा कि मिनिस्टर कितनी बिजली खर्च करते हैं? तो मैं बता दूं कि कोई मिनिस्टर सरकार की ओर से निःशुल्क बिजली नहीं पाता है, न स्पीकर और न डिप्टी स्पीकर पाते हैं और न कोई कर्मचारी। सब को बिजली का व्यय अदा करना पड़ता है। किराया बढ़ाने की नीयत नहीं है, बल्कि यह है कि जो भी सुविधा दी जाय उसका व्यय अदा करना चाहिये। इसमें माननीय सदस्य चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का व्यय निश्चित होना चाहिये तो इसके मानने में आपत्ति नहीं होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

बिजली के बारे में जो सुविधा माननीय सदस्यों को मिली हुई है उसी को क्यों नहीं रहने देते हैं?

श्री अध्यक्ष--

जब खंड आयेगा तो उसी पर बहस कर लीजियेगा।

श्री बनारसीदास--

एक बात यह कही कि जब सदन चलता हो तो चार दिन या एक हफ्ता कांस्टीट्युएंसी में जाने की अनुमति हो और उस समय में डी०ए० नहीं कटना चाहिये। इस प्रकार का प्राविधान पहले था, लेकिन उसमें कठिनाई यह हुई कि कोरम के अभाव में सदन स्थगित करना पड़ता था इसलिये उसको वापस लेना पड़ा। जिस वक्त सदन चल रहा हो उस समय सबसे आवश्यक कर्तव्य होता है सदन के अन्दर अपने मूल्यवान सुझावों को देना। इसलिये इसको बिल के अन्दर शामिल करना उचित नहीं होगा। इस विधेयक को न लोकमत संग्रह के लिये और न सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता है।

श्री नेकराम शर्मा--

अभी माननीय वित्त मंत्री और माननीय संसदीय मंत्री ने आश्वासन दिया था (शोर)।

वित्तमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

यह इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा कि इस बिल के संबंध में इस तरह से उतावलापन दिखायें। खंड खंड आ रहा है, कोई आश्वासन आपको दे कर झूठ थोड़े ही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को १ मास तक जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उ० प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २ का प्रतिस्थापन

२--उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय :--

रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा और यात्रिक तथा दैनिक भत्ता

"२--(१) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उप-सभापति या सभा सचिव (पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी) के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी सदस्य द्वारा सदस्य होने के नाते अपने कर्त्तव्य या कृत्य के संबंध में अपेक्षित उपस्थिति से भिन्न, ऐसे कूपनों के आधार पर की गयी यात्रायें प्रति वर्ष ४,००० किलोमीटर से अधिक न होंगी ।

(२) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को जो उपधारा (१) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक से, सार्वजनिक कार्य के संबंध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिये प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय प्रतिवर्ष अधिकतम ४,००० किलोमीटर तक की यात्रा करने का अधिकारी होगा ।

(३) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य, सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा --

(१) रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराये के बराबर होगा और सड़क द्वारा ऐसे स्थानों के बीच जो रेल द्वारा संयोजित न हों, की गयी यात्राओं के लिये, प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज); और

(२) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपये की दर से होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उपधारा (१) के अधीन किसी सदस्य को रेल के निःशुल्क कूपन नहीं दिये जाते तब तक वह अपनी पूर्वोक्त उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :--

(१) यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये रेल के प्रथम श्रेणी के किराये का दूना होगा और सड़क द्वारा यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज); और

(२) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपये की दर से होगा ।"

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड १ में सातवीं पंक्ति में "उत्तर प्रदेश राज्य" के स्थान पर "भारतवर्ष" कर दिया जाय ।

मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी संशोधन है । जहां माननीय सदस्यों को उत्तर प्रदेश में यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है वहां उनको भारतवर्ष में यात्रा करने की सुविधा दी जाय ताकि वह पूरे तरीके से न केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जान सकें बल्कि सारे भारतवर्ष की यात्रा करके जान सकें । मैं समझता हूं हम सभी सदस्यों को देश के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है । इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

यह सुविधा इसलिये दी गई है कि चूंकि हमारा कार्यक्षेत्र इस प्रदेश में है तो इसी प्रदेश तक वह सीमित रहनी चाहिये और तमाम देश के लिये वह सुविधा देना उचित नहीं होगा । मैं आशा करता हूं वह इसको वापस ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड १ में सातवीं पंक्ति में "उत्तर प्रदेश राज्य" के स्थान पर "भारतवर्ष" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला आजमगढ़)---

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २ की उपधारा १ में प्रतिबन्धात्मक वाक्य को हटा दिया जाय ।

श्री उग्रसेन---

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री बनारसीदास---

यह संशोधन मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा २ की उपधारा १ में प्रतिबन्धात्मक वाक्य को हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा २ में उपधारा (१) (अ) और जोड़ दी जाय जो इस प्रकार से होगी । :---

(१) (अ) पहाड़ी जिलों के विधान मंण्डल का प्रत्येक सदस्य पहाड़ी जिलों की यात्रा के लिये प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

इस संशोधन के अनुसार हम तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा कर वहां के मैदानी जिलों में प्लानिंग का काम देख सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में जाने में कठिनाई होती है, इसलिये मैंने यह रखा है कि वहां हम लोगों को फर्स्ट क्लास 'गजटेड अफसर' की तरह ही भत्ता मिला करे ताकि हम वहां भी हर जगह का काम देख सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बनारसीदास--

यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाय तो प्रदेश के मैदानी जिलों में जहां लोगों को सड़क से जाना होगा उसको भी इसमें लाना पड़ेगा और उसका फाइनेंस की दृष्टि से अन्दाजा लगाना कठिन होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं, यह उचित नहीं मालूम होता।

श्री कृष्णसिंह--

श्रीमन्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की उपधारा (२) निकाल दी जाय। श्रीमन्, यह मैंने इसलिये किया है कि मंत्रियों, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरियों आदि पर जो प्रतिबन्ध इसके द्वारा रह जाता है वह नहीं रहना चाहिये जब कि इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध माननीय सदस्यों पर नहीं है।

श्री बनारसीदास--

यह तो कांसीक्वेंशियल अमेंडमेंट है। मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ की उपधारा (२) को निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला बलिया)--

मेरा इसको निकाल देने का संशोधन है। मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

कह दीजिये कि मैं विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

नहीं, जरा बोलने दीजिये। यह चारों जो खंड है इनके संबंध में एक ही बार में बोल दूं।

श्री अध्यक्ष--

तो आखिर में बोलियेगा।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा २--ख का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा २--ख में--

(१) उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक "धारा २" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (१)" रख दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले व्ययों" के स्थान पर शब्द "विद्युत् उपभोग के व्ययों की दशा में, सदस्यों द्वारा, और व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले किन्हीं अन्य व्ययों की दशा में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने" रख दिये जायें।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की उपधारा २(२) निकाल दी जाय। उसमें यह है कि सदस्यों को जो विद्युत् दी जाती है अब उनसे वह चार्ज करना चाहते हैं और जो इंसीडेंटल चार्जेज हैं वह गवर्नमेंट उनसे चार्ज करना चाहती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मूल विधेयक के खंड ५ को देखें तो उसमें सरकार को पूर्णरूप से अधिकार है कि इसकी जितनी धारायें हैं उनके लिये वह नियम बना सकती है। तो सचमुच में अगर सदस्य लोग विद्युत् का दुरुपयोग कर रहे हैं तो नियमों को बनाकर उसे रेगुलेट कर लें लेकिन यह कहना कि विद्युत् का पूर्णरूपेण चार्ज हमसे लिया जाय, एक तो उग्रसेन जी वैसे ही हम लोगों के ऊपर बदनामी लगा रहे हैं, तो एक हाथ से बढ़ाकर दूसरे हाथ से उसे ले लेना चाहते हैं, यह तो कुछ ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष महोदय, इसमें कठिनाई है। जैसा मैंने अर्ज किया जो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रत्येक इसका बिल देता है और ऐसा नहीं है कि एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से ले रहे हैं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि पुराने विधेयक में जो व्यवस्था है उसके अनुसार नियम बनाये जा सकते हैं, तो उसमें तो निःशुल्क लिखा है तो वह कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें हम उसको रेगुलेट कर सकें कि कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, यह नहीं हो सकता, इसलिये इसकी आवश्यकता है। जैसा मैंने अर्ज किया नियम के द्वारा बाद में हम उसको ठीक कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

हम एश्योर करते हैं कि हम उसका मिसयूज नहीं करेंगे। हमको इतना इर्रेस्पांसिबिल क्यों समझते हैं?

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं इसको वापस लेता हूं। (शोर)

एक सदस्य—

माननीय नवलकिशोर बोलना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

लेकिन उन्होंने तो इसके पहले ही वापस ले लिया।

एक सदस्य—

कायदा यह है कि अगर हाउस परमीशन दे वापस लेने की, तब वापस हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

तो वही तो मैं उपाय कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि.....

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरा भी एक ऐसा ही संशोधन है कि उपधारा (२) निकाल दी जाय। तो आप एक बार वापस करा देंगे तो यह कैसे हम पेश करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो वापस नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा भी उपस्थित किया हुआ माना जायगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री ने स्वयं मान लिया इस बात को कि वह नियमों के अन्दर उसके लिये व्यवस्था कर देंगे। तो जब नियमों में करने की बात है तो अगर इसको हटा भी दें तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक ही बात और उठती है और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि इन चीजों में, जैसे कि हम कहते हैं कि बजट में खर्चा कम से कम होना चाहिये, मैं खुद भी कहता हूं कि बिजली का खर्चा भी कम से कम होना चाहिये।

मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय सदस्य बड़े जिम्मेदार लोग हैं और वह कभी बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात को मान लें।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यह बिलकुल सही मालूम होता है। माननीय बनारसीदास जी हम लोगों में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। जो आदमी मकान नहीं लेता है उसको ७५ रुपये दिया जाता है। जो ७५ रुपये नहीं लेता, वह मकान में रहता है और यह समझ कर रहता है कि उसको बिजली वगैरह फ्री है। तो हमारा सरकार से एक कान्ट्रैक्ट हो चुका है कि सरकार हमको जो कमरा देगी उसमें बिजली फ्री देगी। इसी कान्ट्रैक्ट पर हम लोगों ने कमरा ले रखा है। तो अब अगर इसको फ्री नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी अपने कान्ट्रैक्ट से पीछे नहीं जायेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय सदस्यों की जो राय यहां होती है उसी के अनुसार हमको चलना होता है। बात असल में यह है कि जितने भी फ्री कंजीडेन्शियल हम देते हैं उसमें कहीं यह नहीं है कि हम बिजली फ्री देते हों। चाहे वह मिनिस्टर हों, डिप्टी-मिनिस्टर हों या कोई हों। फिर जिसको हम मकान नहीं देते हैं और ७५ रुपये देते हैं, जो अलग मकान में रहता है उसको बिजली का पैसा नहीं देते। वह भी फिर यह मांग करेगा कि हमको भी बिजली फ्री मिलना चाहिये। आखिर वह भी तो जिस मकान में रहता होगा, बिजली का पैसा देता ही होगा। इसलिये यह तर्क लागू नहीं होता।

फिर अगर आप सब चाहते हैं कि यह प्राविधान किया जाय कि इसकी भी सहूलियत हो, तो उसके लिये माननीय सहकारिता मंत्री ने आश्वासन दे ही दिया है। इस सदन के सामने जो आश्वासन दिया जाता है उसका बहुत महत्व होता है। जैसा उन्होंने कहा है कि वे आप सब से बात करके नियमों में जैसा उचित होगा परिवर्तन कर देंगे। अगर आप लोग कहेंगे बिलकुल मत रखो, उसका भी रूल्स में प्रविधान किया जा सकता है। इसको बाद में कर लिया जायगा। इसके बने रहने से यह जरूरी नहीं है कि हम इसे लगा ही दें या लगाना चाहें तो न लगा सकें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को न रखें और बाद में आपसे राय लेकर उसे रूल में रख देंगे। जहां तक फर्नीचर इत्यादि की बात है, उसके लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि फर्नीचर के लिये भी रुपया लें।

मेरी प्रार्थना है कि कमलासिंह जी इसे वापिस ले लें।

श्री नेकराम शर्मा—

जैसा माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, पंडित जी से हम सहमत हैं। इस वक्त बिजली वाले इस क्लाज को निकाल दें। फिर मीटिंग बुला लें और अगर यह मालूम हो कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐक्ट में आ जाने से उसे इम्पलीमेंट न करना कठिन हो जायगा। साथ ही यह घोषणा आप करें कि यह पहली अप्रैल से लागू हो जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने साफ कह दिया था कि हमारा और आपका कंट्रैक्ट है बिजली, कुर्सी मेज वगैरह फ्री देने के लिये। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि ७५ रुपया हम दूसरों को देते हैं। पिछली बार हमने सहकारिता मंत्रीजी का विरोध किया था कि जो आदमी हमारे साथ उस आवासगृह में रहे और बिजली व पानी इस्तेमाल करे, उसे ७५ रुपये मत दीजिये, लेकिन उन्होंने दिया। तो फिर आज क्यों वह ऐसा कर रहे हैं? मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम लोग मकान छोड़ दें। उनकी यह इन्टैंशन उचित नहीं है। कंट्रैक्ट के खिलाफ भी मंत्रीजी को नहीं जाना चाहिये और हमारे संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण के बाद मुझे अधिक नहीं कहना है। परन्तु मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि माननीय सदस्यों को कोई असुविधा नहीं होगी। सब लोग मिल कर तय कर लेंगे कि कितना उनको देना है। यह भी आवश्यक नहीं है कि हम मोटर लगवावें ही। एक सिद्धांत यह है कि कोई भेद नहीं होगा कि जो सुविधा और किसी प्रदेश में नहीं है वह यहां हो। यह भेद उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ की उपधारा (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन—

माननीया सुचेता जी यहां नहीं हैं, इतना महत्वपूर्ण विधेयक है। जनता इतनी गरीब और बेकार है और ऐसा बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ तथा ५

उ० प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "दो सौ" के स्थान पर शब्द "तीन सौ" रख दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "उपर्युक्त" निकाल दिया जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) में, अंग्रेजी प्रति में शब्द "the purposes of carrying into effect the provisions" के स्थान पर शब्द "carrying out the purposes" रख दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड बढ़ा दिये जायें :—

"(घ) रेल के निःशुल्क कूपनों की व्यवस्था से संबद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत उनका उपयोग और वापस करना भी है;

(ङ) आवास के वर्गीकरण और ऐसे आवास का प्रयोग करने के कारण होने वाले व्ययों का भुगतान करने से संबद्ध विषय।"

श्री अध्यक्ष—

माननीय कमलासिंह, खंड ४ पर कुछ कहना है ?

श्री कमलासिंह यादव—

नहीं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने धारा २, ३, ४, ५ इन सबको हटा देने का संशोधन रखा था और मुझे आशा है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे । जहां तक उद्देश्य और कारण में तनख्वाह व भत्ता बढ़ाने तथा रेलवे पास फ्री की सुविधा देने की बात है, महंगाई बढ़ जाने के कारण रहन-सहन का दर्जा बढ़ाने की गरज से यह विधेयक लाया गया है । तो सोशलिस्ट पार्टी इस नाते इसका विरोध करना चाहती है कि महंगाई बढ़ने के कारण महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाना चाहिये, तनख्वाह को नहीं बढ़ाना चाहिये बल्कि भाव को बांधना चाहिये । जब तक भाव नहीं बंधेगा तब तक इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । क्योंकि महंगाई भत्ता या तनख्वाह तो बढ़ रही है गदहे की चाल से और महंगाई बढ़ रही है घोड़े की चाल से । इन दोनों की चाल में कोई मेल नहीं है, जब तक इनमें मेल नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है इसलिये आवश्यक है कि रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीजों के भावों को बांध दिया जाय जिसके कारण हमारा रहन-सहन गिर रहा है । इससे विधायकों और अन्य जनता के सेवकों को लाभ होगा । जो भी रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं उनका दाम लागत मूल्य के डेढ़ गुना से ज्यादा न हो । इस वक्त यह सदन चाहता है कि महंगाई भत्ता बढ़े, तनख्वाह बढ़े और रेलवे का फ्री पास मिले। यह उसी तरह की बात यहां हो रही है जैसे गांवों में मछली मारने के लिये लोग टूट पड़ते हैं । आज यहां भी लोग उसी तरह से टूट पड़ रहे हैं और लूट में हिस्सा लेने के लिये बेचैन हैं । इस कुतर्क से इस लूट को जायज बनाना चाहते हैं कि "जो न लेना चाहे वह इनकार कर दे तब हम जानें कि उसने त्याग किया ।" मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि आप इस तरह का कानून बना दें जिन लोगों ने तनख्वाह बढ़ाने की बात मान ली है, उनको छोड़ कर जो लोग नहीं मानते हैं, जब भी टैक्स बढ़ाने की कोई बात आवेगी तो जिस इलाके के लोग विरोध करें उनके इलाके में टैक्स न बढ़े और उस वक्त यह बात कही जाय तो हम मानने के लिये तैयार हैं आपकी चुनौती को और निश्चित तौर पर मैं माननीय मंत्री जी की चुनौती स्वीकार करते हुए उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे इस तरह का कानून बना दें कि विरोध करने वालों को नहीं मिलेगा, तो मुझे वह भी स्वीकार है और मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने .....

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् । माननीय चन्द्रबली सिंह ने जो सुझाव दिया है और जो चुनौती दी है, क्या माननीय मंत्री जी हमारी सोशलिस्ट पार्टी की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और मानने के लिये तैयार हैं ?

*श्री रामायणराय—

श्रीमन्, भोजपुरी में एक कहावत है—"मने मने भावे, मुड़ी हिलावें"। मान्यवर, जो लोग चुनाव में तथा एक-एक उपचुनाव में लाखों रुपये खर्च करते हैं वे जब आस्टरिटी की बात करते हैं, तो मुझे यही कहना पड़ता है जिसकी ओर कि मैंने ऊपर संकेत किया कि उनकी इच्छा तो है ही और उनको पूरा इत्मीनान है कि यह पास तो हो ही जायेगा फिर क्यों न वाहवाही लूट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ली जाय। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की यह बहुत दिनों से मांग है और महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इसलिये इसे स्वीकार किया जाय। ऐसे मेरी जाती राय में इस बिल की विभिन्न धाराओं में बहुत सी कमियां हैं। माननीय सदन के सदस्यों को आश्वासन दिया गया है कि रेलवे पास देने में सरकार को कठिनाई थी लेकिन राज्य परिवहन जो हमारी राज्य सरकार की अपनी व्यवस्था है, उसका पास देने में उसे क्या कठिनाई थी? और ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं तो माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं और इस बिल के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं लेकिन आपकी भावना कुछ और है और भाषण में कुछ और कहा जाय, यह उचित नहीं मालूम होता।

एक सदस्य—

आप दो जबान से बोलते हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जो जीभ उनके पास है तथा जिनके पुर्खे रखते थे वही दो मुंही बातें करते हैं। हम और हमारी पार्टी एक जीभ वाले हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक १९६४

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ का संशोधन करने के लिये — उ० प्र० अधिनियम संख्या १२, १९५२

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री धर्मसिंह—

मान्यवर, मेरा इस में संशोधन है कि खंड १ में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय कि "और १ अप्रैल, १९६४ से लागू समझा जायगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १ में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं—

"और १ अप्रैल, १९६४ से लागू समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बनारसीदास---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन---

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि वह प्रदेश की गरीबी और बिगड़ती हुई आर्थिक दशा और मंहगाई को देखते हुए इस विधेयक को वापस लें। मैं इसका विरोध करता हूं और मन्त्री जी से कहता हूं कि जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है उस के साथ विश्वासघात न करें....

(व्यवधान)

हल्ला करने से कुछ नहीं होगा हम भी आप से अधिक हल्ला मचा सकते हैं और सदन की कार्यवाही बन्द हो जायगी। मैं साढ़े ७ करोड़ जनता की ओर से कहता हूं कि मन्त्री जी इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ जिस प्रकार से इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री उग्रसेन---

आप यह डिवीजन लाबी में करायें ताकि उधर के लोगों की राय का भी ठीक से पता चल जाय और जनता जान जाय कि उस की गरीबी में यह कैसे सहायता कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

लाबी में जाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री उग्रसेन---

मुझे खेद है कि आप हमारी लाबी की मांग भी स्वीकार नहीं कर सकते और आज सरकार इसको संख्यासुर के बल पर पास कराना चाहती है इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का त्याग करता है और मैं जनता को प्रेरित करता हूं कि वह ऐसी भ्रष्ट सरकार को अविलम्ब यहां से हटा दे।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शारदाभक्तसिंह---

अध्यक्ष महोदय, हम और हमारा दल भी इस विधेयक के विरोध स्वरूप सदन का त्याग करता है।

(जनसंघ दल के सदस्य भी सदन का त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, १९६४ जैसाकि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सरकार द्वारा जनवरी, १९६४ में खरीदे गये १० रेलवे वैगन चावल खराब निकलने से सम्बद्ध विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब जो नियम ५० (१) के अन्तर्गत आधे घंटे का विवाद है उसको सोमवार को ले लिया जाय।

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

१९६४–६५ के लिये लोक लेखा समिति के २१ प्राक्कलन समिति के २५ और २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६–१६ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियत समय के भीतर प्राप्त नाम निर्देशन पत्र सूक्ष्म परीक्षा के उपरान्त ठीक पाये गये। उक्त समितियों में निर्धारित सदस्यों की संख्या में अतिरिक्त नाम हैं। अतः यदि अतिरिक्त नाम १४–४–६४ के सायंकाल ५ बजे तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन १६–४–६४ को १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा। परसों लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जायेगी।

पार्लियामेंटरी ग्रुप द्वारा आयोजित कल्चरल प्रोग्राम

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मुझे और देनी है और वह यह कि पार्लियामेंट्री ग्रुप की तरफ से एक कल्चरल प्रोग्राम ७ बजे से होगा। आप लोगों से प्रार्थना है कि उसमें आप लोग आवें।

अब हम उठते हैं और ३० मार्च को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १० मिनट पर सोमवार, ३० मार्च, १९६४ के ११ बजे दिन के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ मार्च, १९६४।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २० एल० ए०—१९६४—८८५।